खण्ड-186, अंक-3
गुरूवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1879
(22 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	२०८
भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय पर जानकारी की मांग	२०८–२०९
संस्कृत शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२०९
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२०९–२११
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (जारी) ..	२११–२५२
२६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे के बाद भी बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना	२५२–२५३
नत्थियां	२५४–२६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २२ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३८)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाहबख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असग़रअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम 'कमले'
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछा, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह श्री

गुलाब सिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपाकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरी राम गुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारा, श्री
डूगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरा, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दानदयालु शर्मा, श्री
दानदयालु करुण, श्री
दानदयालु शास्त्री, श्री
दापनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दापडुकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
पञ्चरराम, श्री
पहलवान सिंह, चौधरी
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धो सिंह, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भुवनेश भूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
मान्धाता सिंह, श्री
मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहाम, श्री हाफिज
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रण बहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री

रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी नारायण , श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल, यादव, श्री

नोट:--माल उपमन्त्री श्री परमात्मानन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २२ अगस्त १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ के गबन से संबंधित कर्मचारियों का स्थानान्तरण

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ के हिसाब की जांच के सम्बन्ध में २-८-५७ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि लेखा सम्बन्धी अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रधान लिपिक एवं सहायक लिपिकों का स्थानान्तरण सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीरामस्वरूप यादव)—संचालक, पंचायत राज को यह आदेश दे दिये गये हैं कि ऐसे समस्त कर्मचारियों को, जिनका तनिक भी सम्बन्ध जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में गबन से हो अथवा जो उपर्युक्त कार्यालय की लेखाओं की अनियमितताओं से सम्बन्धित हों, तुरन्त ही स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतराज संचालक को, लिपिकों को स्थानान्तरित करने का कब आदेश दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिछली बार जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था, उसी वक्त आश्वासन दिलाया गया था, उसके बाद ही आदेश भेज दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वह आदेश अब तक जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ में लागू नहीं किया जा सका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आदेश यहां से भेज दिये गये हैं। अगर वहां पहुंच गये होंगे तो अवश्य ही लागू किये होंगे। ऐसा सम्भव नहीं है कि आदेश शासन से जायं और आजमगढ़ के अधिकारी काम में न लायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस गबन की जांच अब किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने इस पर भी निवेदन किया था कि वह सब कागजात सील कर के एकाउंटेण्ट जनरल द्वारा जांच करायी जायगी। वही रिपोर्ट फाइनल होगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरकार का आदेश गया उससे कितने लिपिक अथवा सहायक लिपिक प्रभावित होंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना इस समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट को देख कर ही जिन-जिन कर्मचारियों का सम्बन्ध गबन से होगा उन सबको ही स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

मऊ में जनाना अस्पताल बनाने में विलम्ब

**२—श्री अब्दुललतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ में जनाना अस्पताल बनाने के लिये सरकारी अनुदान दिये जाने के पश्चात् भी अब तक उपर्युक्त अस्पताल का निर्माण आरम्भ क्यों नहीं हुआ है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—सरकार मऊ में एक सम्मिलित अस्पताल (CombinedHospital) बनाने की योजना पर विचार कर रही है। अतः जनाने अस्पताल के बनाने का प्रश्न उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

श्री अब्दुललतीफ नोमानी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मिले-जुले अस्पताल की स्कीम जो विचाराधीन है, यह कब तक शुरू हो सकेगी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—प्लान और एस्टीमेट करीब-करीब तैयार हैं। सरकार के पास एप्रूवल के लिए आने वाले हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल के निर्माण के लिये कितना अनुदान सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एस्टीमेट और प्लान आ जाने पर ही सही तादाद बतायी जा सकती है।

बिलग्राम, जिला हरदोई में हैजा की रोकथाम

**१—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरदोई जिले के कस्बा बिलग्राम में कालरा की रोकथाम के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—हरदोई जिले के कस्बे बिलग्राम में कालरा की रोकथाम के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

१—४,७७७ कालरा के टीके लगाये गये।

२—कालरा की रोकथाम तथा मक्खी मारने की औषधियां बिलग्राम म्युनिसिपैलिटी ने दीं।

३—बिलग्राम सरकारी अस्पताल के डाक्टर की सहायता के हेतु एक और अतिरिक्त डाक्टर जिले के अन्य सरकारी अस्पताल से भेजा गया।

४—१२ मजदूर सफाई तथा डी० डी० टी० के छिड़कावों के लिये रक्खे गये।

५—एक सेनेटरी इन्सपेक्टर भी बिलग्राम में कालरा की रोकथाम के लिये भेजा गया और २ एपीडेमिक असिस्टेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब बिलग्राम के आसपास के देहातों में कालरा जोरों से बढ़ रहा था तब जिलाधीश और डी० एम० एच०, ने नगरपालिका बिलग्राम के अध्यक्ष को लिखा था कि चारों तरफ कालरा बढ़ रहा है, वहां गंदगी ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष—आप वक्तव्य दे रहे हैं। प्रश्न पूछिये।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका बिलग्राम के अध्यक्ष को यह लिखा गया था कि कस्बे में गंदगी है, और उन्होंने सफाई नहीं कराई इसलिये वहां कालरा बढ़ गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस पाने पर दरयापत करके बता सकूंगा।

श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बीमारी से इस कस्बे में कितनी मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६८।

श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बीमारी के कितने दिनों के शुरू हो जाने के बाद जिले से सरकारी सहायता भेजी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शुरू होते ही भेजी गयी ।

प्रदेश में वर्किंग जरनलिस्ट वेज बोर्ड की सिफारिशों का लागू होना

**४—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्किंग जरनलिस्ट वेज बोर्ड की सिफारिशें उत्तर प्रदेश में कब तक लागू की जायंगी?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—वर्किंग जरनलिस्ट वेज बोर्ड की सिफारिशें उत्तर प्रदेश में १० मई, १९५७ से लागू हो गई हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लागू होंने की आज्ञा कब निकाली गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की आज्ञा भारत सरकार ने १० मई, १९५७ को ही निकाल दी थी ।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि कितने समाचार-पत्रों में वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अमल किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक सरकार की इत्तला है अभी तक किसी भी समाचार-पत्र ने इसकी सिफारिशों को अपने यहां लागू नहीं किया ।

श्री त्रिलोकीसिंह—जिन समाचार-पत्रों ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया है उनके खिलाफ सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय त्रिलोकीसिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत सरकार को जितनी कार्यवाही करनी थी वह कर ली है। प्रदेशीय सरकार को कुछ नियम बनाने थे वे बना लिये । इंसपेक्टर एप्वाइंट करने थे वे हो गये, अब जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, यदि पैनल प्रावीजन्स से ताल्लुक रखता हो तो उसका सवाल आने पर उत्तर की बात होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—सरकार ने यह बयान दिया है कि जहां तक सरकार को इत्तला है, किसी भी समाचार-पत्र ने लागू नहीं किया है सिफारिशों को, तो यह बयान किस आधार पर दिया है ? क्योंकि मुझे मालूम है कुछ समाचार-पत्रों में सिफारिशें लागू हो गई हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने श्रीमन्, यही कहा था कि जहां तक हमको ज्ञात है। अगर कहीं हो गई हों तो बड़ी अच्छी बात है ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि कितने अखबारों में वर्गीकरण (क्लासीफिकेशन) का काम पूरा हो गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारे प्रदेश में अब तक केवल ६ अखबारों ने अपने ग्रास रेवेन्यूज की सूचना दी है, यदि माननीय सदस्य का सवाल इसी से सम्बन्ध रखता है, जिसके आधार पर वर्गीकरण योजना होती है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना उनको किस तरह से मिली है कि अखबारों ने वेज बोर्ड के फैसले को लागू नहीं किया है ? और इस सम्बन्ध में सरकार, फैसले को लागू कराया जा सके, इसके लिये क्या करने को सोच रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, अखबारों के काम करने वाले लोगों का एक बहुत अच्छा संगठन है और वह बड़ा सचेष्ट रहता है यह बताने के लिये कि कहां, कहां क्या हो रहा है, वही हमको बताता है। अब जहां तक हमारा संबंध है मैं बता दूं हमने यह भी विज्ञप्ति निकाल दी है सब अखबारों के लिये, कि उनके ऊपर जो उत्तरदायित्व है वेज बोर्ड के फैसले को लागू करने के सम्बन्ध में, उसको वे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिन अखबारों ने वेज बोर्ड की बातों को लागू करने के सिलसिले में जो आदेश सरकार ने निकाला था, नहीं माना, उनके खिलाफ सरकार कौन-सी कार्यवाही करने की बात सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार लेबर कमिश्नर को अखबार वालों को कुछ जानकारी करानी थी, तो वह जानकारी उन्होंने करायी या नहीं कराई ? और अगर नहीं कराई, तो, क्यों नहीं कराई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वेज बोर्ड के फैसले के मुताबिक अखबारवालों को सन् ५२-५३ और ५४ के वित्तीय वर्ष की ग्रास रेवेन्यूज लेबर कमिश्नर को भेजनी थीं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि ६ अखबारों ने लेबर कमिश्नर को ग्रास रेवेन्यूज भेज दी हैं।

श्री गौरीशंकर राय—जिन अखबारों ने नहीं भेजी हैं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—हमने अभी हाल में विज्ञप्ति निकाली है कि १५ रोज के अन्दर हमें ग्रास रेवेन्यूज के आंकड़े भेज दिये जायं और उस विज्ञप्ति के निकलने के बाद मुझे आशा है कि अखबारवाले हमारी बात समझेंगे और अपने उत्तरदायित्व को भी।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्किंग जरनलिस्ट वेज बोर्ड की सिफारिशों को १ मई, १९५६ से क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री अध्यक्ष—बतला तो दिया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १० मई से लागू कर दिया।

श्री भगवती सिंह विशारद—खाली यह बतलाया कि १० मई से लागू कर दिया। सन् नहीं बतलाया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१० मई, १९५६ को वेज बोर्ड की विज्ञप्ति निकली और उसके मुताबिक कुछ फैसले १ मई, १९५६ से लागू होंगे और कुछ नवम्बर, १९५६ से लागू होंगे। जो मैंने पहले कहा था वही अब कह रहा हूं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस वेज बोर्ड की सिफारिश के अनुसार हमारे प्रदेश में कितने वर्किंग जरनलिस्ट प्रभावित होंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

विमको नाम के दियासलाई के कारखाने के मजदूरों की कथित हड़ताल

**५—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विमको नाम के दियासलाई के कारखाने में मजदूर हड़ताल कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति में कठिनाई

**६—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्य प्रारम्भ होने में क्या कठिनाइयां हैं और वह कब तक प्रारम्भ हो सकेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—नये प्रकार का विश्वविद्यालय होने के कारण सुयोग्य उप-कुलपति मिलने में कुछ कठिनाई हो रही है, इसी कारण अब तक विश्वविद्यालय प्रारम्भ नहीं हो सका। ज्योंही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जायगा, विश्वविद्यालय का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

**७—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि इस विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर और रजिस्ट्रार कब तक नियुक्त हो जायेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—यथा सम्भव शीघ्र।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि संस्कृत विश्वविद्यालय को वाइसचांसलर कब तक मिल जायंगे ?

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ऐसी आशा है कि शीघ्र ही मिल जायंगे और काम आगे चल सकेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने उपकुलपति को ढूंढ़ने का क्या प्रयत्न किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ढूंढ़ रहे हैं और जिन खोजां तिन पाइयां।

आचार्य दीपांकर (जिला मेरठ)—क्या इस विश्वविद्यालय के लिये कोई विधान बन चुका है, या बन रहा है ?

श्री अध्यक्ष—अधिनियम तो हो ही चुका है।

श्री गेंदासिंह—इस विश्वविद्यालय में कब से कुलपति साहब नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो आरम्भ ही नहीं हुआ। आप कहां थे ?

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपकुलपति के लिए जो उनकी खोज है वह अन्तरप्रान्तीय है या अन्तरराष्ट्रीय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब इसमें अन्तर्राष्ट्रीय का तो कोई ऐसा प्रश्न उठता नहीं, इस कारण कि हम ऐसा समझते हैं और माननीय सदस्य को भी यह विश्वास होना चाहिये कि इस देश में संस्कृत का जहां जन्म है बहुत से प्रतिभावान, मेधावी पंडित मिलेंगे जो हमारे उपकुलपति पद के लिए उपयुक्त होंगे। फिर भी हम ढूंढ़ रहे हैं—वह चाहे उत्तर प्रदेश में मिल जायं या उत्तर प्रदेश के बाहर मिल जायं।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कुछ नामों की सिफारिशें उपकुलपति पद के लिए की गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपकुलपति की नियुक्तियां सिफारिशों से नहीं हुआ करतीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे किनारे पर बैठ करके ही खोज रहे हैं या गहरे पानी में भी घुसे हैं ?

श्री अध्यक्ष—साहित्य का जवाब साहित्य में दे सकते हैं, अगर आप चाहें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सदन द्वारा अधिनियम स्वीकृत हो जाने के बाद इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अब तक प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस विश्वविद्यालय की स्थापना में एक ओ० एस० डी० मौजूद हैं, जिन्होंने उसके स्टेट्यूट्स वगैरह की रचना की है और यह कालेज एक प्रकार से एग्जामिनिंग कालिज तो रहा है, अफिलिएशन भी करता रहा है संस्कृत के कालिज बनारस का, और उसकी कुछ इमारतों के लिए हमने जमीन भी रखी है, बजट में उसके लिए रुपया भी अलग कर रखा है। वहां के पुस्तकालय तथा और विकास के कार्यों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही उपकुलपति की नियुक्ति हुई—मैं समझता हूं काम यों चल ही रहा है—और शीघ्रता के साथ चल सकेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कोई इश्तहार निकाला गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उपकुलपति के लिए इश्तहार निकाला जाता हो कि लोग अप्लाई करें, ऐसा बहुत कम होता है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके ऐप्वाइंटमेंट में क्या रुकावट है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दे दिया गया है।

इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के परीक्षार्थियों द्वारा अनशन

**८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्डियन मेडिसिन बोर्ड की परीक्षायें इस वर्ष अभी तक क्यों नहीं हुईं ?

कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—परीक्षायें इस कारण से नहीं हुईं कि कालेजों के विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठना नहीं चाहते हैं।

**९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त बोर्ड के परीक्षार्थियों ने अपनी मांगों के लिये १९५६ से अब तक जो कई बार आन्दोलन किये तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—विद्यार्थियों की मांगें ये थी :

(अ) मांगें जो फरवरी १९५७ की हड़ताल के समय पर रक्खी गई थीं—

(१) उनकी डिग्री का नाम B.I.M.S. (Bachelor of Indian Medicine and Surgery) से बदल कर A.B.M.S कर दिया जाय।

(२) बोर्ड से सम्बद्ध आयुर्वेद तथा यूनानी कालेजों में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता निम्न-लिखित हो :

(अ) I. Sc. (Biology), साथ-साथ हाई स्कूल समकक्ष संस्कृत या अरबी।

(ब) उत्तम मध्यमा समकक्ष अरबी की परीक्षा, साथ में हाई स्कूल समकक्ष साइंस।

(३) यह सब कालज किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिये जायं।

(४) वर्तमान उच्च स्तर वाले कालेजों में अध्यापन सम्बन्धी उपकरणों का समुचित प्रबन्ध किया जाय ।

(५) कम स्तर के कालेजों को बन्द किया जाय ।

(६) डिग्री परीक्षा पास करने के बाद आयुर्वेद स्नातकों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ६ महीने तक क्रियात्मक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय ।

(७) आयुर्वेद स्नातकों को लखनऊ विश्वविद्यालय से पास करने के लिए कन्डेन्सड् कोर्स की व्यवस्था हो ।

(ब) मांगें जो १२ अगस्त, १९५७ से आरम्भ होने वाले परीक्षा बहिष्कार व भूख हड़ताल आन्दोलन के पूर्व रक्खी गईं——

(१) चूंकि इस साल फ्लू और अन्य कारणों से पढ़ाई में बहुत बाधा हुई है इसलिए विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिये हुए ही उत्तीर्ण मान लिया जाय और आगे का दर्जा दे दिया जाय ।

(२) उनका सेशन २० अगस्त से शुरू हो ।

**१०——श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार को मालूम है कि अखिल भारतीय के० आई० एम० एस० विद्यार्थी परिषद् के सदस्य श्री हरप्रसाद द्विवेदी, बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के दफ्तर के सामने और श्री विष्णुदत्त दुबे डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेदिक दफ्तर के सामने कब से भूख हड़ताल कर रहे हैं ? उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य——इन दोनों विद्यार्थियों ने १२ अगस्त, १९५७ से १६ अगस्त, १९५७ तक भूख हड़ताल की । तत्पश्चात् वे अस्पताल ले जाये गये और उनकी रक्षा के लिये उनको खाना दिया गया । उनकी इस बार मांग यही है कि सबको बिना परीक्षा के तरक्की दे दी जाय ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली स्ट्राइक जो १८–२–५७ को शुरू हुई थी और १९–३–५७ को समाप्त हुई उसमें सरकार ने उनकी मांग स्वीकार की थी कि इंटर पास विद्यार्थियों को ही लिया जायगा । लेकिन १६ जून को सरकार ने आर्डर भेज दिया कि हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को लिया जायगा । इसलिये स्ट्राइक फिर से शुरू हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——जी हां, पहले उनकी मांग मान ली गई थी, लेकिन ऐफीलियेटेड कालेजेज और इंडियन मैडिसिन बोर्ड ने लिखा कि इसको सन १९५७ से लागू न किया जाकर ५८ से लागू किया जाय । इस पर विद्यार्थियों ने स्ट्राइक की, तो सरकार से आदेश गया कि जैसा विद्यार्थी चाहते हैं १९५७ से ही मिनिमम ऐजूकेशन क्वालीफिकेशन इंटर लागू कर दी जाय ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो स्ट्राइक चल रही है उसमें स्टूडेंट्स की ऐप्लीकेशन आयी है कि उनकी मांगों को गलत रूप दिया जा रहा है ? उनकी मुख्य मांग नहीं है कि बिना परीक्षा के सबको पास कर दिया जाय, बल्कि पहले सरकार जो आदेश निकाल चुकी है उसी पर कायम रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन——इस वाक्ये के संबंध में यदि आप आज्ञा दें, मैं दरख्वास्त पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष——खुलासा पढ़ दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके प्रधान ने कहा है, उनकी केवल दो मांगें हैं। एक यह कि सेशन की रक्षार्थ जनरल प्रमोशन दिया जाय और दूसरी यह कि आगामी सेशन २० अगस्त से अवश्य आरम्भ किया जाय। यह दो मांगें उनके प्रधान के दस्तखत से हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्योंकि उनकी केवल दो ही मांगें हैं, सरकार उन पर कुछ विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने मान लिया है कि बिना परीक्षा पास किये किसी को दर्जा नहीं दिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो हाई स्कूल पास विद्यार्थी भर्ती कर लिये गये हैं, उनका क्या होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर आप चाहेंगे तो वह निकाल दिये जायेंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भूख हड़ताल कर रहे थे उनकी सब से बाद की खबर क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों अस्पताल से भाग आये हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज जो परिस्थिति पैदा हो गई है वह बोर्ड की नीति के कारण है? एक बार इंटरमीडियेट निश्चय की गई और फिर हाई स्कूल की गई और इस समय भी हाई स्कूल पास विद्यार्थी भर्ती किये जा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भर्ती नहीं किये जा रहे हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताया कि जो विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे थे उनको अस्पताल ले जाया गया और वहा उन्हें खाना दिया गया, तो क्या उन्होंने स्वेच्छा से खाना लिया या फोर्स्ड फीडिंग की गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक को तो पैस्सिव फीडिंग की गयी, फोर्स्ड नहीं, और एक ने अपनी इच्छा से खाया।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अस्पताल से वे विद्यार्थी भाग आये, तो क्या अब वे मंत्री महोदय के बंगले के सामने ही भूख हड़ताल कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वही भागे हुये लड़के भूख हड़ताल कर रहे हैं या कोई दूसरे कर रहे हैं, यह मैं नहीं बता सकता हूं।

म्युनिसिपल बोर्ड तथा टाउन एरियाओं के चुनावों में वोट डालने की परिवर्तित प्रणाली

**११—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह म्युनिसिपल बोर्ड व टाउन एरिया के चुनाव में वोट डालने के तरीके में कुछ परिवर्तन करने वाली है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। चुनाव चिन्ह प्रणाली के स्थान पर वोटर द्वारा श्लाका-पत्र पर उम्मीदवारों के नाम के आगे चिन्ह लगाये जाने वाली प्रणाली द्वारा निर्वाचन कराने का विचार है। यह प्रणाली marking system निर्वाचन के खर्चे को कम करेगी जो स्थानीय निकायों से वसूल होता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—वोटरों द्वारा चुनाव चिन्ह बनाने की प्रणाली में अशिक्षित लोग स्वतंत्रतापूर्वक वोट नहीं दे सकते हैं, इसलिये क्या माननीय मंत्री जो चुनाव चिन्ह वाली प्रणाली को ही कायम रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—बैलट पेपर्स पर चुनाव चिन्ह भी साथ-साथ होंगे और अशिक्षित व्यक्ति को अधिकार है कि उनके सामने निशान लगा दें। लेकिन उसके साथ में यह भी है कि अगर उसे कोई दिक्कत मालूम हो तो वह प्रेसाइडिंग अफसर से प्रार्थना कर सकता है कि वह निशान लगा दे। उस हालत में प्रेसाइडिंग अफसर निशान लगा देगा और उसे सीक्रेट रखेगा।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में अंतिम निर्णय के पहले जो देश में मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनसे अथवा जनमत को प्राप्त करने की कोशिश की गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—केंद्रीय सरकार ने नियमों में संशोधन किया था। उसके बाद एलेक्शन कमीशन ने ऐसे आदेश भेजे। उनके अनुसार ही यह हुआ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि हमारे देश में अशिक्षा अभी बहुत ज्यादा है जिसके कारण देहातों में वोटर्स काफी गड़बड़ी में पड़ सकते हैं, कोई तरमीम करने का सुझाव देने का विचार रखते हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इसमें कोई गड़बड़ी की बात दिखलाई नहीं देती है। आज भी अशिक्षित लोग चुनाव चिन्ह देख कर वोट देते हैं। इसमें भी चुनाव चिन्ह के सामने वे निशान बना देंगे। वे किसी भी किस्म के निशान बना दें वे मान लिये जायेंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या अशिक्षित लोगों को उम्मीदवारों के सामने उनके नाम लेने पड़ेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, नाम नहीं लेने पड़ेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मार्किंग सिस्टम हो गया है तो बैलट बाक्स अलग-अलग रखे जायेंगे हर एक कैंडिडेट के, या सब एक ही बैलट बक्स में वोट पड़ेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक ही बैलट बक्स रखा जायगा और एक ही बैलट पेपर भी होगा। उसमें सब के नाम होंगे और सबके चुनाव चिन्ह होंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार से जो चिन्ह लगाये जायेंगे तो क्या उम्मीदवार के एजेन्ट अथवा उम्मीदवार भी उस समय उपस्थित होंगे जिनके सामने ये चिन्ह लगायें जायेंगे।

श्री रामस्वरूप यादव—वह तो बैलट बाक्स अन्दर रखा होगा और वोटर निशान लगा कर पेपर को दोहरा करके बक्स में डाल देगा। वहां उम्मीदवार वगैरह उपस्थित नहीं होंगे।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के अध्यक्षों का चुनाव सदस्यों द्वारा होगा या आम जनता द्वारा ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो नियम नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के हैं उन्हीं के हिसाब से होगा।

प्रदेश में १८५७ की क्रान्ति के नेताओं की मूर्तियों तथा स्मारकों का स्थापन तथा उन पर व्यय

**१२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १८५७ की क्रांति के नेताओं की मूर्तियां राज्य में कहां-कहां स्थापित की जा रही हैं और उनके स्मारक किस प्रकार के बनाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और बिठूर में क्रमशः रानी झांसी, चन्द्र शेखर आजाद, राजा चेतसिंह, तांत्या टोपे तथा नाना साहब के स्मारक बना कर उनकी ही मूर्तियां स्थापित की गयी हैं। लखनऊ में अज्ञात शहीद स्मारक तथा मेरठ में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम "१८५७ की क्रांति" के स्मारक विजय-स्तम्भ के रूप में बनाये गये हैं।

**१३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि इनमें अलग-अलग कितना-कितना धन लगाया जा रहा है ?

श्री इस्तफाहुसैन—उक्त शहीद स्मारकों पर क्रमशः १,७५,६००रु०, ४२,३००रु०, १,१२,५०० रु०, ८७,२०० रु०, ४२,२०० रु०, ३,७४,४०० रु० और ३,२५,३०० रु० के व्यय होने का अनुमान है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम क्रांति के प्रसिद्ध नेता नाना साहब का स्मारक बनाने पर सबसे कम रुपये खर्च करने का निश्चय क्यों किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सबसे कम तो नहीं दिखलाई पड़ता ? यदि आप देखें तो इस पर ४२,२०० रुपये खर्च किये गये हैं। इसके अतिरिक्त और कोई सूचना आप देंगे और तफसील जानना चाहें तो वह मंगा देंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या जो मूर्ति नाना साहब की बिठूर में लगाई है वह उनकी नहीं है और उनकी प्रमाणित मूर्ति कब तक वहां लगाई जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रश्न पर थोड़ा विवाद चलता रहता है, लेकिन नाना साहब की जो मूर्ति वहां लगाई गई है उसको सही मान करके और स्वीकार करके ही लगाया गया है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात पर भी विवाद खड़ा हुआ है कि झांसी में जो रानी झांसी की मूर्ति स्थापित की गयी है वह गलत है और उनकी सही मूर्ति वह है जो दोनों हाथों में तलवार लेकर चलाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना नहीं है कि ऐसा विवाद खड़ा हुआ हो।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राना बेनीमाधव रायबरेली वालों की भी मूर्ति लगाई जायेगी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जन-स्मारक समिति ने जो निश्चय किये उसकी सूची दे दी गयी है और स्मारक लोग बनाना चाहें तो उसमें सरकार का सहयोग उन्हें प्राप्त होगा ही।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले के स्तर पर जो शहीद स्मारक बन रहे हैं, उनमें राज्य-कोष से कुछ सहायता मिलेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिले के स्तर पर यदि लोग बनाना चाहें तो उसके लिये समिति वगैरह बना लें और अपने ही पैरों पर खड़े होने और स्थानीय सहायता से बनाने की चेष्टा करें। सरकार की ओर से जो "पत्रम् पुष्पम्" होगा उससे उनकी सहायता की जायेगी।

श्री बनविहारी मेहरोत्रा--क्या सरकार बिठूर में नाना साहब के स्मारक को अधिक आकर्षक, सुन्दर और उपयुक्त बनाने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो एक सुझाव है। स्मारक तो बन गया है और बड़े सम्मान के साथ और बड़े सुन्दर ढंग से बनाया गया है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सन् १८५७ में क्रांति का बिगुल बजाने वाले पंडित मंगल पांडे का स्मारक बनाया जाय और साथ ही कुंवर सिंह का भी स्मारक बलिया की उस भूमि में बनवाया जाय जहां उन्होंने युद्ध किया था?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जहां तक कुंवर सिंह जी की बात है, हमको जहां तक पता है बिहार सरकार ने उनका स्मारक बनाने का निश्चय किया है और उनका जन्म भी बिहार में हुआ था। उनका मुख्य क्षेत्र बिहार था, इसलिये हमने उसको अलग दोहराने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन मंगल पांडेय जी की बाबत हमारा ध्यान गया है और ऐसा मैंने सुना है कि बलिया में कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनका स्मारक बनाया जाय। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जरूर चाहेंगे कि उस काम में सहायता दें।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के सरदार नगर में १८५७ के अमर शहीद स्वर्गीय बंधुसिंह की मूर्ति स्थापित करने की बात वह सोच रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रांतीय स्तर पर जो समिति इस काम के लिये बैठी थी माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसने जिस जिस स्मारक के लिये सिफारिश की थी वह बन गये। हमारे उत्तर प्रदेश के सौभाग्य से इसकी भूमि में, कण-कण में स्वतंत्रता की याद का स्मारक बना हुआ है, भरा हुआ है। यदि किसी जिले के लोग अपने यहां के वीरों की, हुतात्माओं का स्मारक बनाना चाहें तो उसके लिये वह वहां समिति बना लें और स्थानीय सहायता के बल पर वे उस स्मारक का निर्माण कर सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

लालगंज, जिला आजमगढ़ के तहसीलदार के कार्यालय से मिसलों का गायब होना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लालगंज तहसील, जिला आजमगढ़ के तहसीलदार के कार्यालय से सन् १९५५-५६ और १९५७ में मुकदमों की कितनी मिसलें सबूत सहित गायब हुई हैं?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)—लालगंज के तहसील के तहसीलदार के कार्यालय से सन् ५५, ५६ और ५७ में मुकदमें की कोई भी मिसिल सबूत सहित नहीं गायब हुई है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गायब हुई मिसलों के संबंध में कितनी बार जिलाधीश, परगनाधीश तथा तहसीलदार के यहां दरख्वास्तें पड़ी हैं तथा उसका परिणाम अलग-अलग क्या हुआ है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, परगनाधीश तथा तहसीलदार के यहां नहीं पड़ा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतालायेंगे कि १९५५.५६ और १९५७ में क्रमशः श्री राम हरिजन बनाम करमली धोबी, मेम्बरान २२ गांव समाज बड़ा गांव बनाम रामलखन वगैरह, स्टेट बनाम फुद्दा खटिक वगैरह और रिपोर्ट लेखपाल बनाम शिवनाथ राम गायब हैं? क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि यह मिसलें गायब हैं या नहीं?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—गवर्नमेंट की मौजूदा इत्तला के मुताबिक कोई मिसिल गायब नहीं है, सबूत सहित या बिला सबूत, लेकिन अगर माननीय मित्र इत्तला दे रहे हैं और तहरीर लिख कर दे देंगे तो उस पर तहकीकात करा लूंगा।

जमालपुर, जिला आजमगढ़ के अग्नि-पीड़ितों की सहायता

*३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम जमालपुर, थाना घोसी, जिला आजागढ़ में २२ और २३ अप्रैल के मध्य की रात में कबीलों की एक बस्ती में आग लग गई और २ बच्चे जल कर मर गये तथा ९ स्त्री-पुरुष बुरी तरह जल गये?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जमालपुर ग्राम, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ में २२ व २३ अप्रैल की रात्रि में आग लगने की दुर्घटना के फलस्वरूप मां तथा बच्चों को मिलाकर कुल ६ आदमी जले जिनमें से २ लड़कियों की मृत्यु हो गई।

*४—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि इन कबीले बंजारों को उसकी ओर से क्या सहायता दी गई है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—उक्त घटना से पीड़ित परिवार को २५० रु० आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी सूचना के अनुसार आग लगने का क्या कारण था?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जहां तक सरकार की जांच से मालूम हुआ है उसका कारण आकस्मिक था।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बनजारों के घर में आग लगी उनकी परिवार संख्या क्या थी?

श्री परमात्मानन्द सिंह—परिवार संख्या के मुताल्लिक मैं निश्चित नहीं कह सकता, मगर ९ आदमी मालूम होते हैं।

ग्राम समदी, जिला आजमगढ़ में फसल खराब होने के कारण लगान माफी के सम्बन्ध में कथित प्रार्थना-पत्र

*५—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के समदी ग्राम में लगान वसूली और लगान देने में असमर्थता प्रकट करने के कारण फरवरी, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, कुछ व्यक्ति अवश्य गिरफ्तार किये गये, परन्तु लगान देने की असमर्थता के कारण नहीं, बल्कि सरकशी तथा गुमराह किये जाने के कारण।

*६—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार की ओर से जांच कराने की कृपा की गई कि वास्तव में उस क्षेत्र में फसल खराब होने के कारण जनता लगान देने में असमर्थ है?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में उचित जांच जिला अधिकारियों द्वारा की गई।

*७--श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के समदी ग्राम के निवासियों ने फरवरी, १९५७ के कुछ समय पूर्व फसल खराब होने के कारण अपनी खराब परिस्थिति को बताते हुए प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों को दिया था और लगान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र जिला अधिकारियों को नहीं प्राप्त हुआ था।

प्रतापगढ़ जिले में ओला पीड़ितों को सरकारी सहायता

*८--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में तहसीलवार कितने गांवों में ५ मार्च, १९५७ को ओले से रबी की फसल को कितनी हानि पहुंची ?

श्री चरणसिंह--अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

नाम तहसील	क्षति-ग्रस्त गांवों की संख्या	हानि की मात्रा
१--सदर	८३	रुपये में आठ आना
२--कुंडा	२३	या उससे अधिक।
३--पट्टी	३०	,,

*९--श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पूरे जिले के लिए कितना रुपया तकावी और कितना मुफ्त बांटने के लिए भेजा गया।

श्री चरणसिंह--सरकार द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के लिये ५०,००० रु० तकावी तथा १०,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये स्वीकृत किया गया।

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, लखनऊ में ठहरने के स्थान का अभाव

*१०--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस, लखनऊ में टैक्स जमा करने वालों के लिए तथा कार्य से आई हुई जनता के लिए कोई स्थान धूप तथा वर्षा से बचने के लिए नहीं है ?

परिवहन राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस लखनऊ में कार्य से आने वाली जनता के लिये दो बरामदे हैं और खजांची के काउन्टर के सामने एक टीन का शैड है, जिसके नीचे खड़े होकर लोग टैक्स जमा कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या यह ठीक है कि जो एक बरामदे का जिक्र किया गया है उसमें एक रेस्टोरां है और वहां पर जनता के ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है ?

डाक्टर सीताराम--वहां पर जनता के ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं है। जनता हर तीसरे महीने १५ तारीख को अधिक से अधिक संख्या में उस जगह टैक्स जमा करने के लिये आती है, इसलिये वहां पर ठहरने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि टैक्स जमा करने के लिए एक पीरियड १५ दिन का होता है और यह भीड़ लगातार १५ दिन तक लगी रहती है ? जिस बरामदे का जिक्र किया गया है उसमें एक अर्दली खड़ा रहता है जो वहां पर किसी आदमी को ठहरने नहीं देता। तो क्या सरकार अलग से एक टीन शेड बनायेगी जहां पर थोड़ी देर के लिये लोग रुक सकें ?

डाक्टर सीताराम—यह मामला विचाराधीन है कि वहां पर लोगों के लिये एक बहुत बड़ा टिन शेड बनाया जाय ।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो टैक्स पहले जिलों में ट्रेजरी अफसर के खजाने में जमा हुआ करता था उसी प्रकार से फिर जमा हुआ करे, जिससे यहां पर लोगों को न आना पड़े ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा नियम नहीं है ।

जिलों की भ्रष्टाचार निरोधक समितियां

*११—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जहां इस समय एण्टी-करप्शन कमेटियां काम नहीं कर रही हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भ्रष्टाचार निरोधक समितियां प्रदेश के प्रत्येक जिले में काम कर रही हैं ।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में भ्रष्टाचार समिति ने अपने आपको इसलिये भंग कर दिया है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में कोई अपनी उपयोगिता नहीं समझी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी कोई विशेष सूचना नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—क्या इस कमेटी को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपने को डिजाल्व कर ले ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सुसाइड का कोई अधिकार आमतौर पर नहीं होता ।

तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में हरिजन कुर्क अमीनों का अभाव

*१२—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में कितने हरिजन कुर्क अमीन हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ में कोई कुर्क अमीन नहीं है ।

*१३—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुल कुर्क अमीनों की संख्या को देखते हुए हरिजन कुर्क अमीनों की संख्या उक्त तहसील में कितने प्रतिशत है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ में कितने हरिजनों ने इस पद के लिये प्रार्थना पत्र दिये ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—माननीय सदस्य इसके लिये नोटिस देने की कृपा करें ।

ग्राम बढ़वारी सांग, जिला खीरी में अग्निकांड से पीड़ितों की सहायता

*१४—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि गत १६ अप्रैल, सन १९५७ को ग्राम बढ़वारी सांग, परगना मोहम्मदी, जिला खीरी में आग लगाने की घटना हुई थी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—खीरी जिले के ग्राम बढ़वारी सांग, परगना मोहम्मदी में १६ अप्रैल, सन् १९५७ को आग लगी थी ।

*१५—श्री मन्नालाल—यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---उक्त अग्निकांड से पीड़ितों को सरकार द्वारा मकान बनाने लिए लकड़ी दिये जाने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने और किसी प्रकार की सहायता की इच्छा प्रकट नहीं की।

श्री मन्नालाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना की रपट पुलिस में की गयी थी और यदि की गई थी तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मन्नालाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में पुलिस कप्तान को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया और उस पर पुलिस द्वारा कोई जांच कराई गई ?

श्री चरण सिंह---जांच हुई और रिपोर्ट गलत साबित हुई। जिनके नाम उसमें थे कि उन लोगों ने आग नहीं लगाई। साबित यह हुआ कि एक्सीडेंट से यह आग लगी।

राजा यादवेन्द्रदत्तदुबे (जिला जौनपुर)---जांच के मुताबिक इस आग का क्या कारण था ?

श्री चरण सिंह---रिपोर्ट में जो दर्ज था वह नहीं था।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या इसके लिये जांच कराने का प्रयास किया गया कि किस कारण से आग लगी है ?

श्री चरण सिंह---आग हवा से लग सकती है, अपनी बेवकूफी से लग सकती है, लेकिन जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया था, उन्होंने नहीं लगाई।

ग्राम पाली, जिला झांसी के अग्नि से नष्ट पान के बरेजों से संबंधित किसानों को सहायता

*१६---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह विदित है कि जिला झांसी, थाना जाखलोन के अन्तर्गत पाली ग्राम में गत मार्च और अप्रैल, १९५७ में ४ बार पान के बरेजों में आग लगाई गई जिससे पान की खेती प्रायः नष्ट हो गई ?

श्री चरणसिंह---जी हां, जिला झांसी थाना जाखलोन, ग्राम पाली में गत अप्रैल, १९५७ के माह में दो बार पान के बरेजों में आग लगी जिससे पान की खेती नष्ट हो गई।

*१७---श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह आग किन-किन तारीखों में लगी ?

श्री चरणसिंह---यह आग २१ तथा २५ अप्रैल, १९५७ को लगी।

*१८---श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)---क्या सरकार उन पान के बरेजों में आग लग जाने के कारण किसानों को आर्थिक सहायता देने अथवा कर्जा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह---उक्त आग से पीड़ित किसानों ने सरकार से केवल बांस तथा बल्लियों को मुफ्त दिये जाने की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। वे तकावी नहीं लेना चाहते।

बड़ी तहसीलों को तोड़कर छोटी बनाने की आवश्यकता

*१९---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी तहसीलों को तोड़कर छोटी बनाने जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---सरकार के सामने अभी किसी खास बड़ी तहसील को तोड़ कर छोटी बनाने या छोटी तहसील को बिल्कुल खत्म करने का प्रश्न नहीं आया, मगर शासन में आसानियां पैदा करने के सिलसिले में यह आम प्रश्न पैदा हुआ है और उचित समय पर इस पर विचार किया जायगा ।

अल्मोड़ा तहसील को तोड़कर दो नयी तहसीलें बनाने की आवश्यकता

*२०---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या सरकार जिला अल्मोड़ा की अल्मोड़ा तहसील को तोड़कर दो नई तहसीलें---तहसील अल्मोड़ा व तहसील दानपुर---बनाने जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाका बागेश्वर कमेटी की तरफ से भूतपूर्व मुख्य मंत्री, वर्तमान मुख्य मंत्री और महामान्य राज्यपाल की सेवा में इस आशय के पत्र और अभिनन्दन-पत्र पेश किये गये थे कि इलाका दानपुर एक अलग तहसील बना दी जाय ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---माननीय सदस्य सूचना देने की कृपा करें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---यह इलाका सीमाव होतीते हुये, अल्मोड़ा से दूर होते हुये और यातायात के साधन न होते हुये, जहां कि हाल ही में कुछ लोग मरे और ७ दिन में इसकी खबर पहुंची तो क्या सरकार यहां एक नई तहसील खोलने पर विचार करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं । यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है । अगर ऐसा प्रश्न पैदा हो तो सरकार विचार करेगी ।

*२१-२३---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

सचिवालय के कर्मचारियों को ओवरटाइम एलाउन्स का न दिया जाना

*२४---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सचिवालय के कर्मचारियों को जिनसे कार्यालय के लिए निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लिया जाता है उनको कोई पार्ट टाइम एलाउन्स या ओवर टाइम एलाउन्स दिया जाता है अथवा नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सचिवालय के कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो इसमें दिया हुआ है ।

श्री प्रतापसिंह---सचिवालय के कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक काम क्यों लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रत्येक सरकारी कर्मचारी २४ घंटे का नौकर है और सरकार को पूरा अख्तियार है कि जितनी देर चाहे उनसे काम ले ।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये ड्यूटी के घंटों का कोई विषय है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—समय-समय पर शासन की सुविधा के लिये सरकार जैसा उचित समझती है उतनी देर के लिये आफिस आवर्स नियत करती है, लेकिन इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि उसके पहले या बाद में सरकारी कर्मचारी काम के लिये न बुलाया जा सके ।

श्री उग्रसेन—आफिस आवर्स से बाद में काम लेने के क्या कोई निश्चित आदेश हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री झारखंडेराय—असेम्बली डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रायः अधिक देर तक काम करते देखे जाते हैं, क्या उन्हें कोई विशेष सुविधा देने का सरकार का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—असेम्बली विभाग के बारे में आप सरकार से नहीं पूछ सकते हैं। उसके बारे में मुझसे आप मेरे कमरे में पूछें तो ज्यादा अच्छा हो।

सरकारी कार्यालयों में शनिवारों को आधी छुट्टी करने का प्रश्न

*२५—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों को गत वर्ष से दूसरे व चौथे शनिवार को "हाफ डे" मनाने की आज्ञा है किन्तु उस नियम का पालन कुछ विभागों में होता है और कुछ विभागों में नहीं ? यदि ऐसा सही है तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५५ में यह आदेश जारी हुये थे कि प्रत्येक मास के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को सरकारी दफ्तर १-३० बजे नियमतः (formally) बन्द कर दिये जायं। यह आदेश न्यायालय, औद्योगिक कर्मचारी (Industrial workers) तथा दैनिक मजदूरी पर यदा-कदा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं ।

सरकार की जानकारी में उपर्युक्त आदेशों का संबंधित विभागों द्वारा पालन हो रहा है।

*२६—श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सरकार सभी शनिवारों को "हाफ डे" करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि उन्हीं दो शनिवारों को हाफ डे दिया जाता है जिनको काम नहीं होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसका मतलब ठीक नहीं समझा। पहला और तीसरा शनिवार छुट्टी के दिन होते हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या हाफ डे इसलिये नहीं मिलते हैं कि काम अधिक है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हाफ डे की आज्ञा में यह स्पष्ट था कि सरकार की ओर से तो छुट्टी है, लेकिन यह आशा की जाती है कि बकाया खत्म करने के लिये सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से काम करेंगे और ऐसा होता भी है; यहीं नहीं, और जगह भी ऐसा होता है।

असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरों का लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव

*२७—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च सन् १९५६ में प्रदेशीय सेवा आयोग द्वारा भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारीगण में से ६ व्यक्ति असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसरी के लिये चुने गये थे ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर्स की तीन जगहें भरने के लिये Public Service Commission से R and R तथा Food and Civil Supplies विभागों के अफसरों में से नाम भेजने के लिये कहा गया था। Commission ने ७ व्यक्तियों के नाम इन तीन जगहों की पूर्ति के लिये भेजे, जिनमें से केवल ३ व्यक्तियों को नियुक्त करना था।

*२८---श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि इनमें से केवल ३ व्यक्तियों को ही असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर बनाया गया और ट्रांसपोर्ट विभाग में उक्त पद के लिये अब भी ४ स्थान रिक्त हैं?

डाक्टर सीताराम---जी हां। जो व्यक्ति Public Service Commission की भेजी हुई सूची पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों पर थे उनकी नियुक्ति की गई। अन्य लोगों को लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ए० आर० टी० ओ० के पदों में ४ स्थान रिक्त नहीं हैं।

*२९---श्री राजकुमार शर्मा---क्या यह सही है कि इन ४ रिक्त स्थानों के लिये प्रदेशीय सेवा आयोग को नया चुनाव करके नाम भेजने को कहा जा रहा है?

डाक्टर सीताराम---सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री राजकुमार शर्मा---शेष ४ किस पद पर हैं, क्या सरकार बतावेगी?

डाक्टर सीताराम---जहां तक मैं अनुमान करता हूं वे कन्सालिडेशन विभाग में रख दिये गये होंगे। यातायात विभाग में ३ जगहें खाली थीं और ७ नाम कमीशन ने भेजे, इसलिए ३ ही रखे गये।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या ट्रान्सपोर्ट में स्थान रिक्त होने पर उन चार व्यक्तियों को जो चुने गये थे प्राथमिकता दी जायगी?

डाक्टर सीताराम---चूंकि कोई स्थान खाली नहीं है, इसलिये उनको भरने का प्रश्न नहीं उठता।

छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड का खुलना

*३०---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में जो फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ एन० ई० एस० ब्लाक खुलने वाला था वह अब तक नहीं खुला है? यदि हां, तो क्यों?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---फर्रुखाबाद जिले का छिबरामऊ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड उस जिले की नियोजन समिति द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार सन् १९५७-५८ में खुलने वाला था।

उक्त राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड १ जुलाई, १९५७ को खुल चुका है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ब्लाक खुला है उसका मुख्य आफिस किस जगह रहेगा?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो ब्लाक एडवाइजरी कमेटी तय करेगी।

प्रान्तीय रक्षक दल के बरखास्त जिला आर्गनाइजरों की पुनर्नियुक्तियां

*३१---श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५० से ५२ तक उत्तर प्रदेश प्रांतीय रक्षक दल के कितने जिला आर्गेनाइजर बरखास्त किये गये थे?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--चार।

*३२--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांतीय रक्षक दल के उक्त सेवा मुक्त जिला संगठनकर्त्ताओं में से कौन-कौन व्यक्ति पुनः सरकारी नौकरियों में लिये जा चुके हैं और उनके पदों का वर्तमान मासिक भत्ता और वेतन क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--केवल श्री अयोध्या प्रसाद। उनका वर्तमान मासिक वेतन १२६ रु० तथा भत्ता ३० रु० है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नियुक्तियां किस आधार पर हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उचित जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ कि व्यक्तिगत रूप से श्री अयोध्या प्रसाद के विरुद्ध बेईमानी का अपराध प्रमाणित रूप से सिद्ध नहीं हो सका, परन्तु वह बिल्कुल बरी भी नहीं थे, इसलिये उनका पद घटा कर उनकी जोन वर्कर के पद पर नियुक्ति कर दी गई।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के जिला आर्गेनाइजर इसमें सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो संदेहात्मक व्यक्ति होते हैं उनको भी पुनः नियुक्त करने की सरकार की नीति ह ?

श्री जगमोहनसिंहनेगी--इसमें संदेह का कोई प्रश्न नहीं है। उसमें से कुछ अनाज बचा था, उन्होंने उसको जमा कर दिया था। उसमें नीयत की कोई खराबी नहीं थी।

*३४-३५--श्री कल्याण चन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३८--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[५ दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२९ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४१--श्री गेंदासिंह--[५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले की कटरा-खुदागंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*४२--श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को विदित है कि शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज की सड़क पक्की करने की योजना कई वर्ष पहले नियोजन विभाग ने बनाई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज सड़क को पक्की बनाने का प्रस्ताव मात्र सन् १९५५ ई० में हुआ था, किन्तु यह सड़क अंतिम रूप से योजना में सम्मिलित नहीं की जा सकी।

*४३--श्री बालकराम (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि वह सड़क अब भी कच्ची ह ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*४४--श्री बालकराम (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को पक्की कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में कहा जा चुका है कि यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकी है, अतः वर्तमान योजना-काल में इस सड़क को पक्की करने का प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा-लमगड़ा-मोरनौली तथा डौंज-दौड़म मार्गों के टेस्ट वर्क्स को बन्द करना

*४५--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या अल्मोड़ा-लमगड़ा-मोरनौली तथा डौंज-दोड़म मोटर मार्गों पर मार्च, १६५६ तक टेस्ट वर्क चल रहे थे ? यदि हां, तो क्यों बन्द कर दिये गये ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या यह सही है कि सन् १६५७ के मार्च तक यहां टेस्ट वर्क चला था ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--सन् १६५७ में कुछ टेस्ट वर्क यहां हुये थे, लेकिन मार्च में उसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी और वहां के लोगों को अन्य सुविधा हो जाने से वह बन्द कर दिये गये।

ओला-ग्रस्त आजमगढ़ जिले में मालगुजारी तथा तकावी की वसूली

*४६--श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार के पास आजमगढ़ जिले की जनता की ओर से इस आशय के अनेक प्रार्थना-पत्र आये हैं कि ५ मार्च, १६५७ के ओले से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, खाने की विकट समस्या खड़ी हो गई है, फिर भी पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी और तकावी की वसूली बड़े जोरों से की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--यह सही है कि आजमगढ़ जिले की जनता की ओर से कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं कि ५ मार्च, १६५७ के ओले से फसल को नुकसान पहुंचा है, परन्तु मालगुजारी तथा तकावी की वसूली केवल उन्हीं लोगों से की जा रही है जिनका नुकसान इतना नहीं है कि उन्हें कायदे के अनुसार मालगुजारी में छूट दी जा सके।

झांसी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण

*४७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसका झांसी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का विचार है ? यदि हां, तो उसके बनने का काम अभी तक क्यों आरम्भ नहीं हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश काउंसिल आफ स्पोर्टस् ने झांसी में डेढ़ लाख रुपये की लागत के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। उक्त राशि में से लगभग ५०,००० रु० स्थानीय संस्थाओं तथा जनता से मिलना है। यह चन्दा एकत्रित हो जाने पर शेष एक लाख रुपया रीजनल काउन्सिल आफ स्पोर्ट्स, झांसी, को कथित निर्माण के लिये उपलब्ध होगा।

निर्माण का प्रारम्भ तभी होगा जब स्टेडियम के लिये भूमि तथा स्थानीय धन मिल जायगा।

जिलाधीशों को शिकार खेलने के लिये कथित आर्थिक सहायता का सुझाव

*४८--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार ने रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर का यह सुझाव मान लिया है कि जिलाधीशों को शिकार खेलने के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिये ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४५ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर का ऐसा कोई सुझाव नहीं था ।

*४९--श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में इससे कुल कितना खर्चा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ही नहीं उठता ।

चकबन्दी विधान की धारा १२ में संशोधन करने का सुझाव

*५०--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या चकबन्दी की धारा १२ में स्टेटमेंट प्रकाशित होने से तीस दिनों के भीतर उज्रदारी करने का जो विधान है उसके स्थान पर सरकार नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर उज्रदारी की मियाद कायम करने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

गिरुआ--ग्रस्त ओंधा क्षेत्र, जिला जालौन, में लगान, आबपाशी तथा बीज की वसूली के स्थगन की प्रार्थना

*५१--राजा वीरेंद्र शाह--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन की तहसील जालौन में ओंधा क्षेत्र के ग्रामों में गिरुआ लग जाने से फसल नष्ट हो गई है ?

श्री चरणसिंह--जिला जालौन की तहसील सदर में ओंधा क्षेत्र के ग्रामों में गेहूं की फसल जमीन में नमी की अधिकता के कारण कमजोर हुई, लेकिन गेरुई से कोई हानि नहीं हुई ।

*५२--राजा वीरेंद्र शाह--क्या इस संबंध में २७ अप्रैल, १९५७ को किसानों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश से मिला तथा आवेदन-पत्र दिया कि गिरुआ-ग्रस्त क्षेत्र में लगान, आबपाशी व बीज की वसूली न की जाय ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

हरदोई जिले के कटियारी तथा कछन्दऊ परगनों को बाढ़-पीड़ित घोषित करने की प्रार्थना

*५३--श्री चन्द्रहास मिश्र--क्या सरकार जिला हरदोई के परगने कटियारी और कछन्दऊ को जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ पीड़ित इलाका घोषित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जिला हरदोई के परगने कटियारी और कछन्दऊ को बाढ़-पीड़ित घोषित करने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र में प्रायः बाढ़ आने से वह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त बाढ़-पीड़ित क्षेत्र घोषित न होने से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को कोई असुविधा तो होती नहीं । जो भी संभव होते हैं सब प्रकार के सहायता कार्य सरकार करती है, चाहे वह क्षेत्र बाढ़-पीड़ित घोषित किया गया हो या नहीं ।

जिलाधीश मुरादाबाद द्वारा विकास कार्यों के लिये कोयले की मांग

*५४--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिलाधीश मुरादाबाद ने विकास कार्यों की प्रगति को जारी रखने के लिये कोयले की मांग की है, जिससे कुछ नये भट्ठे लगा कर विकास कार्यों में उन्नति की जा सके ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मांग पर क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जिलाधीश मुरादाबाद ने विकास कार्यों की वृद्धि के लिए कोयले तथा कुछ नये भट्ठे खोलने की मांग की ।

सरकार ने यथा सम्भव इस मांग को स्वीकार कर लिया है ।

हरदोई जिले के बावन, सांडी तथा बिलग्राम डेवलपमेंट ब्लाक्स द्वारा विकास कार्यों पर व्यय

*५५—श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई के बावन, सांडी तथा बिलग्राम के डेवलपमेंट ब्लाक्स में से प्रत्येक में प्रारम्भ से ३१-५-५७ तक कुल कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रारम्भ से ३१-५-५७ तक राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्र बावन, सांडी तथा बिलग्राम में क्रमशः १,३४,५३२ रु०, ८३,६५५ रु०, १९ नये पैसे और १,४५,५२६ रु० ८९ नये पैसे व्यय किये गये ।

*५६—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त व्यय से प्रत्येक ब्लाक में अलग-अलग तथा किन-किन गांवों में कितने कुयें तथा मकान बनवाये गये और कितने स्कूल, पंचायतघर, पुल, अस्पताल, सड़कें अथवा खरंजे बनाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध की आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५४-२५७ पर)

इलाका हाकिम पिथौरागढ़ द्वारा न्याय तथा माल के मुकदमे करना

*५७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ में एक ही इलाका हाकिम को जुडिशियल व रेवेन्यू के केस करने पड़ते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा केवल पिथौरागढ़ के ही इलाके में नहीं होता, बल्कि अन्य जिलों में भी हाकिम परगना को जुडिशियल एवं रेवेन्यू के मुकदमे करने पड़ते हैं ।

सूपीनायक स्थान को मोटर स्टेशन बनाने की प्रार्थना

*५८—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि भुवाली और गढ़मुक्तेश्वर के बीच सूपीनायक स्थान को मोटर स्टेशन बनाने हेतु वहां के ग्रामवासियों ने मेजरनामे व दरख्वास्तें भी दीं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां । उसी के आधार पर सूपी पर राजकीय बसें रुकने लगीं और सूपी को "बाई रिक्वेस्ट स्टाप" घोषित कर दिया गया है । इस स्थान को "फेयर स्टाप" बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (कम्पलेंट्स), आगरा द्वारा आबकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*५९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि आगरा के एक्साइज स्टाफ के भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) ने अगस्त, १९५६ या उसके आस-पास जांच करके कोई रिपोर्ट दी ? अगर हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, यह रिपोर्ट आगरा स्थित आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में थी ।

*६०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) ने आगरा के एक्साइज स्टाफ के सम्बन्ध में दूसरी शिकायतों की जांच करके अपनी रिपोर्ट जनवरी में इसी साल या उसके आस-पास दी ? वह रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, जनवरी, १९५७ या उसके आस-पास डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) ने कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी ।

*६१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त स्टाफ के किन-किन अफसरों और कर्मचारियों के बारे में किन-किन शिकायतों की जांच की गई और जांच का नतीजा क्या निकला ?

डाक्टर सीताराम—आगरा स्थित सीनियर एक्साइज इन्स्पेक्टर, एक्साइज इन्स्पेक्टर तथा जूनियर एक्साइज इन्स्पेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभियोग लगाये गये थे। ये अभियोग सभी के विरुद्ध एक से थे। अभियोगों की जांच व परीक्षण करने पर उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं हो सका। केवल एक्साइज इंस्पेक्टर के कार्य संचालन में असावधानी पाई गई, जिसके लिये उनको विभाग ने चेतावनी दे दी।

हरदोई जिले के राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र के कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या

*६२—श्री बुलाकी राम—क्या सरकार बतायेगी कि जिला हरदोई राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों में कितने ग्राम-सेवक, क्लर्क्स तथा चपरासी काम करते हैं और इनमें हरिजन कितने-कितने हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला हरदोई के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में ५० ग्रामसेवक, १६ मिनिस्टीरियल स्टाफ तथा २१ चपरासी काम करते हैं। इनमें २ ग्राम सेवक तथा ९ चपरासी हरिजन हैं।

बाढ़, पैदावार तथा गरीबी की दृष्टि से फैजाबाद की स्थिति

*६३—श्री देवी प्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बाढ़, पैदावार तथा गरीबी की दृष्टि से फैजाबाद पूर्णतः आजमगढ़ की तरह है ?

श्री चरण सिंह—सरकार यह समझती है कि फैजाबाद की हालत आजमगढ़ से बेहतर है।

असामयिक बरसात के कारण फैजाबाद जिले में फसल को हानि

*६४—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष असमय बरसात के कारण फैजाबाद में फसल को अत्यन्त नुकसान पहुंचा है ?

श्री चरणसिंह—खरीफ १३६४ फसली में धान की फसल में गन्धी लग जाने से नुकसान हुआ है और रबी की फसल ज्यादा नमी होने की वजह से कमजोर रही है।

मोटर ट्रकों के परमिट लेने के लिये ट्रकों को आर० टी० ओ० के समक्ष पेश करना

*६५—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या यह बात ठीक है कि मोटर ट्रकों के परमिट केवल उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जो ट्रकों को आर० टी० ओ० के सामने पेश कर के यह इत्मीनान करा देते हैं कि वास्तव में उनके पास खुद का ट्रक है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

झांसी में सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय खोलने में विलम्ब

*६६—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष के बजट में उसने झांसी में जिस सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय के खोलने के लिये प्रावीजन किया था वह खुल गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—सब-रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय झांसी के लिये गत वर्ष के बजट में प्रोविजन अवश्य किया गया था पर यह कार्यालय अभी तक नहीं खोला जा सका, क्योंकि वहां पर नियुक्ति के लिये ए० आर० टी० ओ० (टेक्निकल) की आवश्यकता है और सरकार इस पद के लिये पूर्ण भर्ती नहीं कर पाई है।

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित मिर्जापुर जिले के किसानों को सरकारी सहायता

*६७— श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि मिर्जापुर जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि, अनावृष्टि और उपलवृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में सरकार ने उन किसानों को कौन-कौन सी और कितनी मात्रा में सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की है।

श्री चरणसिंह—मिर्जापुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को जो सुविधायें प्रदान की गई हैं उनकी सूची संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५८ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये केंद्रीय सरकार से धनप्राप्ति

*६८—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिये कितना रुपया किन-किन मदों में प्राप्त हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई इकट्ठी धनराशि प्राप्त नहीं होती है। केन्द्रीय सरकार की सहायता प्रतिवर्ष राज्य सरकार को केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिये मिलती है। १९५६-५७ में भारत सरकार ने लगभग २३·०० करोड़ रुपये की सहायता देने का संकेत किया था। इसी प्रकार १९५७-५८ में २५·६० करोड़ रुपये देने को कहा है। १९५६-५७ में वास्तव में विभिन्न मदों में कितनी सहायता प्राप्त हो चुकी है इसका अनुमान महालेखापाल से आवश्यक आंकड़े प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगा। केन्द्रीय सरकार से जितनी सहायता की आशा आरम्भ में होती है प्रायः उतनी प्राप्त नहीं होती।

भूतपूर्व जमींदारों को मुआवजे के रुपये का भुगतान

*६९—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व जमींदारों को मुआवजे का कितना रुपया बाण्ड्स और नकदी के रूप में दिया जा चुका है और कितना अभी देना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—भूतपूर्व जमींदारों को ३० जून, १९५७ तक मुआवजे का ३८,१५,६१,०५० रुपया बांड्स में और १४,००,१५,६५८ रुपया नकदी के रूप में अर्थात् कुल ५२,१५,७६,७०८ रुपया दिया जा चुका है और लभगग १६,२०,४९,००० रुपया दिया जाना बाकी था।

झांसी के लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर द्वारा कार्य

*७०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि झांसी में लगभग एक साल से कोई लैंड एक्वीजीशन अफसर नहीं है ?

श्री चरणसिंह—झांसी जिले में लैण्ड एक्वीजीशन का नियमित कार्य लैंड एक्वीजीशन आफीसर बराबर कर रहे हैं।

तहसील पडरौना (जिला देवरिया) में बरसाती पानी के जमाव से फसल को क्षति

*७१--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष बरसाती पानी के जमाव, (वाटर लागिंग) से तहसील पडरौना, जिला देवरिया में, कितनी फसल की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह--पिछले वर्ष बरसाती पानी के जमाव (वाटर लागिंग) से तहसील पडरौना, जिला देवरिया, में लगभग ५२,४८६ एकड़ फसल क्षति-ग्रस्त हुई।

गोंडा जिले में भ्रष्टाचार विरोधी समिति द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही

*७२--श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--गोंडा जिले में भ्रष्टाचार निवारण कमेटी (Anti--corruption committee) में शुरू से अब तक कितनी शिकायतें पेश हुईं और कितनों पर कार्यवाही होकर नतीजा सूचनार्थ कमेटी के सामने पेश हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जून, १९५२ से अब तक जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, गोंडा के सामने भ्रष्टाचार की २७ शिकायतें आयीं। इनमें से २१ मामलों पर आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है तथा समिति को अवगत कराया जा चुका है। शेष ६ मामलों में कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है ।

जमालपुर बाजार, जिला जौनपुर, में आंधी और वर्षा से हानि

*७३--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील के जमालपुर बाजार के करीब के ग्रामों में २४ जून, १९५७ को आंधी और पानी आने के कारण अधिक नुकसान हो गया था तथा कुछ व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता पहुंचायी गई ?

श्री चरणसिंह--जौनपुर में २४ जून, १९५७ को एक असाधारण व जोरदार आंधी, पानी के साथ आई, किन्तु इस आंधी का प्रकोप व्यापक न होकर केवल जमालपुर बाजार व इसके निकटस्थ उपग्रामों तक ही सीमित रहा। एक बालक की मृत्यु पेड़ की डाल टूट कर गिरने के कारण हो गई। अन्य किसी मनुष्य तथा पशु की मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई। आंधी के फलस्वरूप लगभग २०० वृक्षों की डालें टूट जाने का अनुमान है तथा एक वृद्धा का घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आंधी ने कुछ कमजोर छतों की खपरैल को भी उड़ा दिया। वृद्धा को मकान बनवाने के हेतु तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र देने की सूचना दी गई, परन्तु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अन्य किसी व्यक्ति की दशा दयनीय नहीं थी जिन्हें नियमानुसार किसी प्रकार की सहायता का दिया जाना आवश्यक होता और न किसी व्यक्ति का सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुआ है।

कुवेरनाथ संस्कृत विद्यालय के लिये देवरिया जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान

*७४--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुवेरनाथ, जिला देवरिया, के संस्कृत विद्यालय के निर्माण के लिये जिला नियोजन कमेटी, देवरिया ने कितना रुपया देना स्वीकार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला नियोजन समिति, देवरिया ने कुवेरनाथ संस्कृत विद्यालय के लिये २,५०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया है।

हरदोई के जिला अधिकारियों की कथित दावत

*७५---श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मई, १९५७ को जिला हरदोई के सभी अधिकारियों को किसी स्थान पर दावत दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

जिला मुजफ्फरनगर के वर्षा-पीड़ितों को सरकारी सहायता

*७६---श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २-७-५६ को जिला मुजफ्फरनगर में भीषण वर्षा से खेती तथा मकानात आदि को कितने धन की क्षति पहुंची ? सरकार ने खेती के लगान में कितने धन की छूट दी है और मकानात आदि के लिये कितने धन की सहायता की है ?

श्री चरणसिंह---२-७-५६ को जिला मुजफ्फरनगर में अतिवृष्टि से खेती को लगभग १,००,००० रु० का व मकानात को २७,०८,३१८ रु० की क्षति पहुंची। सरकार ने मालगुजारी में ६,०२० रु० १० आना की छूट दी व मकानों की मरम्मत आदि के लिये २५,००० रु० की मुफ्त सहायता दी गई तथा पीड़ित क्षेत्र में ७,५०,००० रु० की तकावी की भी स्वीकृति दी जिसमें मकानों के लिये दी जाने वाली तकावी तथा ऋण भी शामिल है।

बरहज-रुद्रपुर-गौरीबाजार तथा रुद्रपुर-देवरिया सड़कों पर बसें चलाने की आवश्यकता

*७७---श्री उग्रसेन---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरहज-रुद्रपुर-गौरीबाजार तथा रुद्रपुर-देवरिया सड़क पर रोडवेज की बसें चलाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---बरहज-रुद्रपुर-गौरीबाजार मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाने का प्रश्न विचाराधीन है और रुद्रपुर-देवरिया सड़क अभी मोटर गाड़ी चलाने योग्य नहीं है।

देवरिया के भटनी क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड खोलने की योजना

*७८---श्री उग्रसेन---क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि देवरिया के भटनी क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड खोलने की कोई योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

फतेहपुर जिले में खुलने वाले राष्ट्रीय विकास सेवा खंड

*७९---श्री बासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में सन् १९५७ में खुलने वाले राष्ट्रीय विकास सेवा खंड कब तक खुलेंगे और खुलने वाले विकास सेवा खंडों में तहसील खागा के कस्बा हथगांव का नाम है अथवा नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फतेहपुर जिले में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोलने का विचार है जिनमें से राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड भिटोरा दिनांक १ जुलाई, १९५७ को खुल गया है। दूसरा सेवा खंड हथगांव में जनवरी, १९५८ में खोलने का विचार है।

महाराजगंज से अमिला बाजार तक पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता

*८०---श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज से लेकर अमिलाबाजार तक बनने वाली पक्की सड़क के लिये प्लानिंग विभाग द्वारा कितना अनुदान दिया जा चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—महाराजगंज-अमिलाबाजार नामक किसी सड़क के लिये नियोजन समिति से कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है, परन्तु महाराजगंज से अमिलाबाजार तक बीच-बीच में पड़ने वाली कुछ सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

	रु०
(१) महराजगंज से बिलरिया ५ मील, स्वीकृत अनुदान ..	१२,०००
(२) बिलरियागंज से जियनपुर ६ मील, स्वीकृत अनुदान ..	१०,४००
(३) आजमगढ़ से अमिला ७॥ मील, स्वीकृत अनुदान ..	१८,०००

*८१—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस सड़क के पूरी बन जाने की आशा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पूर्व प्रश्न में बताई गई सड़कें आशा है इस वर्ष पूरी हो जावेंगी।

सेंट्रल जोनल कौंसिल की पहली बैठक के फैसले

*८२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतायेगी कि Central Zonal Council की पहली मीटिंग में क्या फैसले लिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेन्ट्रल जोनल काउंसिल के नियमों में एक नियम यह भी है कि काउंसिल की कार्यवाही गुप्त रक्खी जाय। फिर भी काउंसिल के चेयरमैन ने प्रश्न में पूछी गई जानकारी को सदन में बताने के लिये अपनी अनुमति इस शर्त पर दे दी है कि एक मद पर काउंसिल ने जो निर्णय लिया है उसको प्रकाशित करना सार्वजनिक हित में न होगा। अतः उस मद से सम्बन्धित निर्णय को छोड़कर काउंसिल की पहली बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा मेज पर रखे गए विवरण-पत्र में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५९ पर)

मन्त्रियों के वैयक्तिक सहायकों तथा सहायक सचिवों के निवास स्थानों पर टेलीफोन लगाने की स्वीकृति

*८३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने मंन्त्रियों के पर्सनल असिस्टेंटों एवं सचिवालय के सहायक सचिवों के निवास स्थानों पर टेलीफोन लगाये जाने की योजना स्वीकृत कर ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, परन्तु सहायक सचिवों के निवासस्थान पर टेलीफोन लगाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सहायक सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग (लेखा) और सहायक सचिव, गोपनीय विभाग के अतिरिक्त और किसी सहायक सचिव के निवास स्थान पर टेलीफोन न दिया जाय।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ व्यय धन

*८४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में प्रदेश को विभिन्न बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ कुल कितना रुपया व्यय किया गया है ?

श्री चरणसिंह—वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ जो धन स्वीकृत हुआ, उसकी सूचना संलग्न सूची में दिखाई गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६० पर)

उन्नाव जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में अधिक सहायता की आवश्यकता

*८५—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील पुरवा, उन्नाव, सफीपुर के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ अलग-अलग कितना रुपया व्यय किया गया है ?

श्री चरणसिंह—निम्नलिखित सहायता गत बाढ़ के सम्बन्ध में जिला उन्नाव की पुरवा, उन्नाव, सफीपुर तहसीलों में अलग-अलग मदों में दी गयी :—

			रु०
स्कूल फीस	..	..	३५,०००
अहेतुक सहायता	..	..	३०,०००
बच्चों के वस्त्रों के लिए	..	..	१,५००
पुराने फौजी कपड़ों के लिए	..	..	२५०
नये कम्बल मुफ्त वितरण हेतु	..	..	३०० कम्बल
तकावी ऐक्ट १२ के अधीन	..	..	२,२६,७३५
मालगुजारी में छूट	..	..	२,०७,२२९ ११ आ०

*८६—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन पीड़ित क्षेत्रों की फसल खराब और खाद्यान स्थिति शोचनीय होने के कारण वह कुछ और अधिक सहायता प्रदान करने और लगान माफ करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न ८५ के उत्तर में दी गयी सहायता के अतिरिक्त गत बाढ़ के कारण अन्य किसी प्रकार की और सहायता का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तराई भावर में भूमि का वितरण

*८७—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—कुमाऊं डिवीजन के तराई-भावर के इलाके में ३० एकड़ तक, ३० से ५० एकड़ तक, ५० से १०० एकड़ तक, १०० से ५०० एकड़ तक, ५०० से १,००० एकड़ तक, १,००० से, २००० एकड़ तक, २,००० से ३,००० एकड़ तक, ३,००० से ४,००० एकड़ तक, ४,००० से ५,००० एकड़ तक व ५,००० एकड़ से अधिक क्षेत्रफल भूमि जिन-जिन लोगों को दी गयी है उनकी अलग-अलग संख्या क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—अभीष्ट सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २६१ पर)

*८८—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—एक हजार एकड़ व उससे अधिक क्षेत्रफल की भूमि जिन सज्जनों को दी गयी है उन के नाम क्या हैं और हर एक को कितनी भूमि दी गई है और कब ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना इस प्रकार है :—

सज्जनों के नाम	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	भूमि दी जाने की तिथि
१—श्री खुशीराम ..	४,९०५	५-८-१९२०
२—श्री श्याम स्वरूप भटनागर ..	१,०३४	१-४-१९३२
३—श्री प्रयागनारायण ..	५,१९३	१-१०-१९३२
४—श्री रामेश्वरसिंह ..	११८८·८२	जुलाई, १९४७

लोहार गढ़ी, जिला शाहजहांपुर की रामगंगा से कटी तथा नदी से छूटी भूमि के सम्बन्ध में पूछताछ

*८९—श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा लोहर गढ़ी, परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर, की भूमि दरिया रामगंगा में १३५६ फसली में कट गयी थी और सरकार उसका लगान अब तक ले रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। मौजा लोहार गढ़ी, परगना खेड़ा (बझेड़ा) जिला शाहजहांपुर की भूमि रामगंगा नदी में १३५८ फसली में कटी थी, जमींदारी के खत्म होने के बाद १३६० फसली से सरकार ने काश्तकारों से कटी हुई जमीन की कोई मालगुजारी वसूल नहीं की।

*९०—श्री रूर्मासिंह—क्या यह सही है कि ४ साल हुए वह जमीन नदी ने छोड़ दी है और किसानों को बेदखल करने के लिए सरकार ने कोई नोटिस दी है ?

श्री चरणसिंह—१३६२ फसली में रामगंगा नदी में एक टापू के शक्ल की जमीन निकली। सरकार ने कोई बेदखली के नोटिस नहीं दिये। स्थानीय अधिकारियों ने दुरुस्ती मुकदमों के सिलसिले में उन काश्तकारों को नोटिस दिया है, जिनकी जमीन १३५८ फसली में कट गयी थी और जिनके नाम अभी तक गलती से कागजात में चले आते थे।

*९१—श्री रूर्मासिंह—यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (रोडवेज) के कर्मचारियों की उन्नति के नियम

*९२—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (रोडवेज) में कर्मचारियों का "प्रमोशन" किस आधार पर होता है ?

डाक्टर सीताराम—परिवहन संस्था (रोडवेज) में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई विशिष्ट अलग से नियम नहीं हैं। उन की पदोन्नति सरकार के इस विषय पर निर्धारित सामान्य नियमों के ही अनुसार होती है।

अल्प-वेतन भोगी रोडवेज कर्मचारियों की निवास स्थान के जिले से दूर स्थानान्तरण की समस्या

*९३—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि रोडवेज के कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों को अपने नेटिव जिलों से दूर ट्रांसफर न करने की समस्या पर वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस समय रोडवेज के अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण की समस्या पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर, में विकास कार्यों पर अनुमानित व्यय

*९४—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में विकास के लिए कितना धन व्यय करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर, में विकास के लिए राज्य-सरकार द्वारा लगभग १९ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है।

*९५—श्री हरदयाल सिंह—उक्त क्षेत्र में ट्यूबवेल, बांध, सड़कें, नहरें, पुलों, स्कूल तथा अन्य जो भी कार्य हों उन सभी निर्माण कार्यों की सरकार पृथक्-पृथक् रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जलालाबाद तहसील में १९५६–५७ में निम्नलिखित निर्माण कार्य किये गये :—

(क) जलालाबाद से धई घाट तक की सड़क पक्की की जा रही है।

(ख) चार जूनियर हाई स्कूल खोले गये—
बिचौला, बमहनी, मालू और जरीनपुर में।

(ग) अल्लाहगंज और गोरा में २ फ्लड शेल्टर बनाये गये।

जिला झांसी की ललितपुर तथा महरौनी तहसीलों में गरीबी दूर करने की योजनाएं

*९६—श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झांसी तहसील ललितपुर व महरौनी में किसानों और मजदूरों की गरीबी दूर करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गयी थीं ? उनमें से कितनी योजनायें पूरी हो गयीं और कितनी अधूरी पड़ी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला झांसी की तहसील ललितपुर व महरौनी में किसानों और मजदूरों की गरीबी दूर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लागू की गयी योजनाओं का एक विवरण-पत्र सदस्य महोदय की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६२–२६३ पर)

जमींदारी उन्मूलन नियमावली के नियम ११५–सी के अन्तर्गत बाराबंकी जिले में मुकदमें

*९७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन नियमावली के नियम ११५-सी के अन्तर्गत जिला बाराबंकी में तहसीलवार कितने मुकदमे चल रहे हैं और कितने दिनों से ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६५ पर)

रोडवेज के निम्नवर्ग के कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि

*९८—श्री उग्रसेन—क्या यातायात मन्त्री ने रोडवेज विभाग के निम्नवर्ग के कर्मचारियों के वेतनक्रम में वृद्धि की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। फिर भी हाई स्कूल पास कन्डक्टरों का वेतन बढ़ा दिया गया है।

हरिजन कालोनी बन्हेता (बलिया) की छानन न होना

*९९—श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि हरिजन कालोनी बन्हेता (बलिया) नियोजन समिति द्वारा बनवायी गयी और अभी तक उसकी छानन नहीं हुई ? यदि हां, तो कब तक वह पूरी होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बन्हेता हरिजन कालोनी जिला नियोजन समिति द्वारा नहीं बनायी गयी है। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

भूदान में प्राप्त ग्रामों में सहकारी खेती करने पर विचार

*१००--श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में भूदान के सिलसिले में कौन ग्राम किस जिले के पूर्ण ग्राम दान के रूप में दिये जा चुके हैं ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०१--श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह--क्या सरकार उपर्युक्त गांवों में तजुर्बे के तौर पर सहकारी खेती पूरे गांव में करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दे दिया जायगा।

जिला मुजफ्फरनगर में परगना गोवर्धनपुर तथा पुरछपार में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाओं से लाभ

*१०२--श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धनपुर परगना, जिला मुजफ्फरनगर में हाल ही में जो बन्दोबस्त कराया गया है उसमें कितना समय लगा और कितनी भूमि का बंदोबस्त हुआ ?

श्री चरणसिंह--जिला मुजफ्फरनगर में परगना गोवर्धनपुर तथा पुरछपार में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियायें (Survey and record operations) की गई थीं। बन्दोबस्त (Settlement operations) नहीं किया गया। उक्त परगनों में ३१,०३२ एकड़ भूमि में पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाएं हुईं जिसमें ७ महीने का समय लगा।

*१०३--श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माल मन्त्री बतायेंगे कि बन्दोबस्त द्वारा कागजात की कितनी त्रुटियां पायी गयीं और वह त्रुटियां कितने किसानों से सम्बन्ध रखती थीं ?

श्री चरणसिंह--कुल ५,६२६ त्रुटियां पाई गईं, जो लगभग ६,१७५ किसानों से सम्बन्ध रखती थीं।

*१०४--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बन्दोबस्त के पश्चात् सरकार की वार्षिक आय (मालगुजारी व लगान) में क्या वृद्धि हुई ?

श्री चरणसिंह--पैमाइश तथा अभिलेख क्रियाओं की समाप्ति पर लगभग ३,७३४ एकड़ ऐसी भूमि मिली, जिस पर कोई मालगुजारी या लगान नियत नहीं था, इसके लिये अब कार्यवाही की जा रही है, जिसके समाप्त होने से पहिले सही रकम नहीं बताई जा सकती।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--[५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में करों की वसूली का स्थगन

२--राजा यादवेंद्रदत्त दूबे--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ५ मई को जौनपुर नियोजन समिति द्वारा जौनपुर जिले को अभावग्रस्त घोषित कर लगान की माफी, तकावी एवं बीज वसूली की बन्दी तथा सस्ते गल्ले की दूकानों के खोले जाने की मांग पर उसने क्या किया है ?

श्री चरणसिंह--जिला जौनपुर में जिन करों की वसूली स्थगित कर दी गई है या रोक दी गई है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २६५ पर)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट द्वारा अपने प्रश्न को स्थगित कराने के लिए प्रार्थना

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर रहा था।

मेरा एक प्रश्न ८७ नंबर पर है। वह बड़े महत्व का प्रश्न है।

तराई भावर में जो फार्म्स सरकार ने दिये थे उनके बारे में है। मैं आपसे और आपकी आज्ञा से माननीय माल मंत्री जी से यह अर्ज करूंगा कि अगर उनको कोई एतराज न हो तो इसको आज मुल्तवी कर दिया जाय। जहां तक मेरा खयाल है, माननीय माल मंत्री जी की तरफ से यह पहले भी स्थगित हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कल ही कहा था कि अगर आपको कोई प्रश्न मुल्तवी कराना है तो पहले से ही उसका नोटिस दे दीजिये। कल तो मैंने माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर और महत्व का प्रश्न समझ कर उनके प्रश्नों के बारे में एक दफा एक्सेप्शन कर दिया था। लेकिन साधारणः नियम यही है कि यदि कोई माननीय सदस्य अपने प्रश्न को मुल्तवी करा ना चाहते हैं तो कार्य शुरू होने के पहले मुझे सूचना दे दें। यदि सूचना मुझे न मिली और अगर व् मौजूद हों तो उनके प्रश्न पोस्टपोन नहीं होते हैं और यही समझा जाता है कि उनका उत्तर मिल गया, चाहे उत्तर पढ़े गये हों या न पढ़े गये हों।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनको एतराज न हो तो....

श्री अध्यक्ष---इसीलिये कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने यह प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था कि यह अपवाद के रूप में ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं उन प्रश्नों को मुल्तवी कर दूं और वह मैंने कर दिया। तो अगर इस प्रकार शुरुआत हो गयी तथा इस तरह की चीज बार-बार हो तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

हरदोई में प्रातः ५ से १२ बजे तक बिजली व पानी बन्द रहने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री मोहनलाल वर्मा जी ने भेजा है। इसका सरकार से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, म्युनिसिपैलिटी से सम्बन्ध है। म्युनिसिपैलिटी और बिजली कम्पनी के बीच में कोई मुआइदा होगा और हरदोई बिजली कम्पनी के लिये बिजली की कमी हुई होगी, इसलिये उसने वहां ५ बजे से १२ बजे तक पानी और बिजली बन्द कर रखी है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप उस पर विचार करने के लिये शिकायतन गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, स्थानीय संस्थाओं से सम्बन्ध है।

गोरखपुर व देवरिया जिलों में राप्ती-सरयू की बाढ़ तथा कटाव से उत्पन्न भुखमरी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है, जो इस प्रकार है---

"राप्ती-सरयू की गत भीषण बाढ़ एवं कटाव के कारण भागलपुर, रुद्रपुर, बरहज, (देवरिया) तथा कौड़ीराम, बढ़हलगंज (गोरखपुर) के अन्तर्गत १५० गांवों में भुखमरी की अवस्था व्याप्त है। सरकारी सहायता के अभाव में वहां की २०,००० जनता का जीवन आज संकटापन्न है। ६५ प्रतिशत घरों में आज उपवास हो रहे हैं। गांव द्वीप बने हैं, हैजे की बीमारी फैली है। अभी एक गांव भदिला (देवरिया) में ५ मरे हैं। दवा का प्रबन्ध नहीं है।

अतः सदन इस पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

माननीय माल मंत्री जी से इसका सम्बन्ध है । तो क्या माल मंत्री जी इसके बारे में कोई सूचना दे सकते हैं ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)--मेरे पास तो इतनी ही सूचना है कि कल जो तार देवरिया से आया है उसके मुताबिक घाघरा का लेविल स्टेशनरी है, बाकी हस्बमामूल जहां जरूरत है वहां रिलीफ पहुंचायी जा रही है, इससे ज्यादा मेरे पास इत्तिला नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, इस बार जो बाढ़ आयी है वह बीच-बीच में आती रही है । जैसा कि माननीय माल मंत्री जी ने निवेदन किया उस सम्बन्ध में मैं बतला देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--जो उनकी सूचना है वह उन्होंने बतला दी, अगर आपको कोई सूचना देनी हो तो दे सकते हैं ।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, इस साल दो बार बाढ़ आयी है, पहली बाढ़ तो १ अगस्त को आयी तथा दूसरी बाद में आयी, जो १९-२० अगस्त तक रही, जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया है कि वहां से सूचना मिली है, वह १९, २० अगस्त के सम्बन्ध की होगी । दूसरी बाढ़ १४ से १६ के बीच में आयी । देवरिया के जो आफिसर तथा जिला अधिकारी हैं वे दौरे पर नहीं जाते, क्योंकि वे रास्ते पानी की वजह से बन्द हैं ।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में आप क्या सुझाव देते हैं ?

श्री उग्रसेन--मेरा तो सुझाव यह है कि माननीय मंत्री जी स्वयं वहां चल कर दौरा करें तो उनको मालूम हो जायगा कि दो सौ मील के अन्दर आम जनता की क्या हालत है । अगर मैं कुछ कहूंगा तो यही कहा जायगा कि मैं भुखमरी की बात कर रहा हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री बलवान सिंह की सजायाबी व रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं--

विधान सभा के दो माननीय सदस्यों, श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री बलवान सिंह की गिरफ्तारियों की सूचनाएं कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुई थीं और वे सदन को दे दी गयीं थीं । जिलाधीश कानपुर से बाद में यह सूचना प्राप्त हुई कि श्री बलवान सिंह को भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा १७७ के अधीन २ महीने की सख्त कैद की सजा ९ अगस्त, १९५७ को दी गयी और उन्हें जिला जेल कानपुर में रखा गया तथा श्री मोतीलाल अवस्थी को भारतीय दंड विधि संग्रह की धारा १८८ के अधीन १४ अगस्त, १९५७ को १ माह के सादे कारावास की सजा दी गयी और उन्हें कानपुर की जिला जेल में रखा गया ।

१५ अगस्त को जिलाधीश कानपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों माननीय सदस्य स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में रिहा कर दिये गये ।

खैर! वह तो मौजूद ही हैं यहां पर । लेकिन यह सूचना मुझे देनी बाकी रह गयी थी । मैंने दे दी ।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---कल वित्त मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि १८ तारीख तक यह अधिवेशन होगा और मेरे पास जो लिखित सूचना आयी है वह १९ तक की आयी है। वह यों आयी है कि असरकारी दिन के लिए १८ और १९ दो रोज रखे हैं और यह सूचना नेता सदन की ओर से ही आयी है। चूंकि जब सेशन जारी है तो यह तय करना मेरा काम है कि किस तारीख तक सदन बैठेगा। तो कल वित्त मंत्री जी ने जो यहां पर इच्छा प्रकट की कि १८ तक सदन बैठे तो उस तारीख तक या १९ तक की आपकी मन्शा है। क्योंकि दो रोज असरकारी दिन देने का सवाल सामने है। जो कार्यक्रम सरकार की ओर से भेजा है उसमें दो दिन असरकारी कार्य के लिए १८ व १९ तारीख दी गई हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---१९ ही ठीक है।

श्री अध्यक्ष---तो सदन की बैठकें १९ तक होंगी। इसका जो प्रोग्राम है वह मेरे पास आ गया है। लेकिन मैंने अच्छी तरह से गौर से इस बात को नहीं देखा कि उन्होंने जो समय विधेयकों के लिए सूचित किया है वह समय ठीक भी है या नहीं।

हां, एक बात निश्चित है कि १९ तारीख तक सदन बैठेगा और ६ तारीख को बाढ़ के सम्बन्ध में वाद-विवाद होगा तथा १८ और १९ असरकारी दिन होंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि १८ और १९ असेम्बली के आखिरी दिन हैं। तो १८ और १९ गैरसरकारी दिन न रखे जायं, बल्कि सरकारी दिन हों और गैरसरकारी दिन १८, १९ से पहले हों। सरकारी पक्ष के महानुभाव ही अधिक हैं। अगर गैरसरकारी दिन रहेगा.....

श्री अध्यक्ष---एक तो असरकारी दिन १३ सितम्बर को है, जैसा कायदे के अनुसार होता है यानी महीने के दूसरे शुक्रवार को होना चाहिए, वह तो है ही। यह तो जो बाकी दो असरकारी दिन रह गये थे उनके लिए आखिर में सरकार ने दे दिये हैं। इस प्रकार तीन रोज मिल रहे हैं। आपको फिक्र क्या है? मैं समझता हूं कि विरोधी दल को पूछ के ही यह बात तय हुई होगी कि तीन रोज दिये जायं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---श्रीमन्, जैसा कि कल मैंने आपके द्वारा कुछ निवेदन किया था कि जहां तक अल्मोड़े जिले का सवाल है मैं उस सम्बन्ध में माननीय मंगलाप्रसाद जी से भी मिला था और उन्होंने फिर इस बात पर विचार करने को कहा था। चूंकि अल्मोड़ा में २६ सितम्बर से चुनाव है इसलिए अगर हम लोगों को आध घंटे का समय अल्मोड़े के लिए मिल जाता, जो ४८ आदमी मरे हैं.....

श्री अध्यक्ष---मैं तो कल आपको एक रास्ता दिखा चुका कि अल्मोड़े के बारे में आप शार्ट नोटिस क्वैश्चन दे दें। मैं उसे मंत्री जी के पास भेज दूंगा। अगर आध घंटे बहस करनी है तो ६ सितम्बर के पहिले आप कर सकेंगे। आप शार्ट नोटिस क्वैश्चन भेजें। आध घंटा विवाद के लिये आपको मिल जायगा।

भुखमरी से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय पर जानकारी की मांग

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैंने जो कल कामरोको प्रस्ताव रखा था तो आपने कहा था कि मंत्री जी को अभी सूचना नहीं है। वह सूचना प्राप्त करके सदन को सूचना दे देंगे कि उस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई थी।

श्री अध्यक्ष--(अन्न मंत्री से) आपको पूरी सूचना मिल गई है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--पूरी सूचना तो अभी नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष--तो फिर मैं समझता हूं आज आप इसको छोड़ दीजिये, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि पूरी सूचना एक दफा में हीं दे दी जाय। अभी आपके पास अधूरी सूचना ही आयी है।

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, अधूरी नहीं, लेकिन जो वह कहते हैं वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, आप कल दीजियेगा पूरी सूचना।

संस्कृत शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें, संस्कृत शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये २ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष आदेश दें संस्कृत शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिये २ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--इस प्रस्ताव के अनुसार जो मुझे अधिकार दिया गया है, मैं उसके अन्तर्गत यह कार्य-क्रम उसके लिये रखता हूं।

नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिये २७ अगस्त, १९५७ सायंकाल ५ बजे तक का समय। नांमाकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २८ अगस्त, १९५७ को सायंकाल तीन बजे सचिव विधान सभा के कमरे में और नामों की वापसी के लिये ३० अगस्त, १९५७ तीन बजे दिन तक का समय। यदि निर्वाचन आवश्यक हो तो ६ सितम्बर को ११ बजे से ४ बजे सांयकाल तक विधान वाचनालय में होगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव आयेंगें।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७ को कल तीन बजे तक लिया जाय और ३ से ५ बजे तक अनुदान संख्या ३०, सूचना लिया जाय और १ घंटा सदन का समय बढ़ा कर यानी ५ से ६ बजे तक अनुदान संख्या १६-जेल लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--समय बढ़ाने वाला प्रस्ताव इसमें आप नहीं ला सकते। आप यह कहिये कि शिक्षा मंत्री ३ से लेकर ५ तक अनुदान संख्या ३० लेंगे और अगर सदन का समय बढ़ा तो वह उसमें जुड़ जायगा। वह तो किसी समय मोशन से ही समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री सुरथ बहादुर शाह--तो इस प्रकार रख दें आज का दिन...

श्री अध्यक्ष—मैं आप का आशय समझ गया। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(कुछ ठहर कर)

तो यह तय हुआ कि आज का पूरा दिन और कल ३ बजे तक अनुदान संख्या १७—पुलिस-पर वादविवाद होगा और कल तीन बजे के बाद जितना समय बाकी होगा वह सब समय अनुदान संख्या ३० के लिये होगा। और अनुदान संख्या १६ का क्या होगा ? क्या यह दोनों साथ साथ ही लिये जायंगे।

श्री सुरथबहादुर शाह—जी नहीं, अलग-अलग लिये जायंगे। सूचना के लिये २ घंटे का समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अगर अनुदान संख्या ३० के लिये आप २ घंटे लेंगे तो अनुदान संख्या १६—जेल के लिये कोई टाइम नहीं रहा। इसलिये आप ऐसा करिये कि अनुदान संख्या ३०—सूचना के लिये पौने दो घंटा रख दीजिये और फिर टाइम बढ़ा कर अनुदान १६ ले लिया जायगा।

तो यह रहा कि कल पौने पांच बजे तक अनुदान संख्या ३० रहेगी और इसके बाद अनुदान संख्या १६ प्रारम्भ हो जायगी और सदन ने समय बढ़ाया तो उस समय तक वह चलेगी। परसों शिक्षा ली जायगी और दिन भर रहेगी जब तक कि सदन बैठा रहेगा।

राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज का लंच जो १ घंटे का होता है वह लंच के लिये न रखा जाय और बहस में उसे लिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—जहां तक लंच के समय का इस्तेमाल करने का प्रश्न है लोकसभा में यह रिवाज है कि लंच के लिये सदन उठता नहीं और जो माननीय सदस्य लंच करने के आदी होते हैं वे सदन थोड़ी देर के लिये छोड़ कर चले जाते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह आदरणीय सदन भी इसी प्रथा को अपनावे। आज के लिये मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझे अपत्ति नहीं होगी यदि इस आदरणीय सदन में यह प्रथा कायम कर ली जाय कि लंच के लिये यह सदन न उठा करे।

श्री अध्यक्ष—अभी जब तक नियम बना हुआ है तो लंच के लिये उठना ही पड़ेगा। अगर सदन इस बीच में किसी रोज लंच में बैठना चाहे तो उस रोज प्रस्ताव ला कर बैठ सकता है, जैसे कि राजा साहब अभी लाये हैं। तो मैं तो आज ही के बारे में पूछ सकता हूं, प्रथा के बारे में हमेशा के लिये नहीं पूछ सकता। जब नियम सदन के विचारार्थ आयेंगे तब आप संशोधन कर लीजियेगा तो कोई बात नहीं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मैं तो आज इसका विरोध करता हूं इसके माने यह हो जायंगे कि मैं भूखों मर जाऊं शाम के ६ बजे तक। सुबह ८ बजे से आया हूं दफ्तर में। हमारे राजा साहब तो कुछ भोजन कर के आये होंगे, उन्हें कोई दिक्कत शायद नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—इस मामले में गृह मंत्री जी राजी नहीं हैं, लेकिन माननीय नेता सदन की राय भी जानना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अगर साधारण तौर से यह नियम बन जाय जिसका कि माननीय नेता विरोधी दल त्रिलोकी सिंह जी ने जिक्र किया, उसके लिये मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज के लिये सिद्धान्ततः मुझे पसन्द नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहता।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री के लंच का प्रबन्ध आज मैं कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब यह कोई बहस की बात नहीं है। वीरेन्द्र शाह जी का प्रस्ताव था, वह उसे वापस ले लें, नहीं तो मैं समझता हूं कि यह मान लिया गया कि सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया।

राजा वीरेंद्र शाह ---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अनुदान संख्या १७---लेखा शीर्षक: २९---पुलिस

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं ...

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष---इस समय प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता। आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७---पुलिस ---लेखा शीर्षक : २९---पुलिस के अन्तर्गत ९,२४,७८,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---बलदेव सिंह जी, आप उनके भाषण पर प्वाइंट आफ आर्डर उप स्थित करना चाहते थे ?

श्री बलदेवसिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष ---तब आप उपस्थित कर सकते हैं।

श्री बलदेवसिंह---श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा,-'गवर्नर की सिफारिश से' और हमारे विधान में है कि 'राज्यपाल' शब्द आना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में "राज्यपाल" ही कहा। शिक्षा मंत्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं और हमारा सदन बरसों पहले तय कर चुका है कि हमारे राज्य की भाषा हिन्दी होगी। तो ऐसी अवस्था में उनका यह कहना उचित है या नहीं, मैं आप की व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय शिक्षा मंत्री, आप को कुछ कहना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हिन्दी भाषा की प्रगति के लिये बहुत से दूसरी भाषाओं के शब्द जो प्रचलित हो गये हैं और जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, यह आवश्यक है कि वह हिन्दी में ले लिये जाएं और हिन्दी के व्याकरण के अनुसार उनको लिया जाय। हिन्दी में "गवर्नर" भी प्रचलित है, "राज्यपाल" भी प्रचलित है। "गवर्नर" शब्द एक तरह से हिन्दी में अपना लिया गया है। यह मैंने अपनी राय दे दी।

श्री अध्यक्ष---आप ने यह अपनी राय दी, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि यदि दोनों शब्द उपयोग में लाये जाते हैं तो कुछ आपत्ति की बात तो नहीं हो सकती, जहां तक विधान का सम्बन्ध है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि आज तक हम लोग यहां पर हिन्दी में ही राज्यपाल शब्द

[श्री अध्यक्ष]

का उपयोग कर रहे हैं। हां, अगर आपत्ति राज्यपाल जी को खुद हो इस बात की कि कहीं भी उनके लिये शब्द "राज्यपाल" इस्तेमाल न हो, तो मुझे उसके विषय में सूचना मिलनी चाहिये तब मैं फिर उसके ऊपर कोई निश्चित मत दे सकूंगा। अगर नहीं मिलती है और मैं समझता हूं, उन्हें आपत्ति नहीं है क्योंकि और मंत्रियों ने "राज्यपाल" शब्द का उपयोग किया है, तो इस सदन में हिन्दी इस सदन की भाषा होने के कारण "राज्यपाल" शब्द ही उपयोग में लाना अधिक उचित होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, यद्यपि कदाचित्, "गवर्नर" का भी प्रयोग यहां पर हो गया है।

तो आप की आज्ञा से मैं राज्यपाल महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक २९--पुलिस के अन्तर्गत ९,२४,७८,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, यह ऐसे विभाग का बजट है जिसे कोई आज के विकास की और रचना के योग्य कोई रचनात्मक विभाग की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी सब से अधिक आवश्यकता प्रदेश की जनता को और शासन को रहती है। इस विभाग के लिये बजट में जो रकम रखी गयी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग के प्रशासन पर, उसके अधिकारियों के, कर्मचारियों के वेतन पर तथा उस विभाग के संचालन पर खर्च होता है।

आज इस समय मैं बहुत अधिक समय, इस सदन का, इस विभाग के बजट के आंकड़ों और उनके जो शीर्षक हैं, उनकी व्याख्या में लगाना नहीं चाहता। आज और कल दोपहर तक सदन के माननीय सदस्यों की ओर से जो सुझाव दिये जायंगे, उन्हें ध्यान से सुनूंगा और फिर जो कुछ आवश्यक होगा, उस विषय में, वह नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा।

इस समय कुछ थोड़ी सी बातों की ओर सदन का ध्यान मैं आकर्षित कर देना चाहता हूं।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

यदि बजट के साहित्य के ऊपर दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि इस विभाग के अनुदान में गत वर्ष के अनुदान से करीब एक करोड़ की वृद्धि दिखाई देगी। गत वर्ष ८ करोड़ १९ लाख इस तरह की संख्या थी और इस वर्ष ९ करोड़ २४ लाख के करीब है, यानी १ करोड़ ४ लाख रुपये से कुछ अधिक वृद्धि इस बार के बजट में आप को दिखाई देगी। मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह बजट के साहित्य पर दृष्टिपात करे तो स्पष्ट हो जायगा कि यह वृद्धि किस कारण से है। वास्तव में इतनी बड़ी रकम हमारे पुलिस विभाग की संख्या बढ़ाने में या और किसी चीज में विशेष रूप से खर्च नहीं हुई है।

दो-तीन बातों में इस वर्ष वृद्धि हुई है। एक तो आप को वित्त मंत्री जी के भाषण से स्पष्ट हो गई होगी कि हमारे सरकारी कर्मचारी जिनका वेतन १०० रुपये से कम रहा है यानी ९५ रुपये तक, उनके डी० ए० में ५ रुपये की वृद्धि की गई है। उसका असर हमारे विभाग के कुल कर्मचारियों पर पड़ा है जिनका वेतन ९५ रुपये या इससे कम रहा है। इसमें जो वृद्धि होगी उसके लिये बजट में २६ लाख २० हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

दूसरे एक लम्बी रकम पी० ए० सी० की तीन बटालियनों के खड़े करने की है। हमने उनको भारतीय सरकार के आग्रह और अनुरोध पर संगठित किया क्योंकि उनको आवश्यकता पड़ती रहती है, वह हमसे मांगा करते हैं। इसलिये उनके अनुरोध पर हमने तीन बटालियन खड़ी कीं जिसका खर्चा उन्होंने देना मंजूर किया। वह करीब ६० लाख ८ हजार के है।

इस प्रकार से जो वृद्धि दिखाई देती है उसमें से ८६ लाख या ८७ लाख के करीब तो इन आइटमों पर है। फिर थोड़ी बहुत कुछ और भी हैं। जैसा कि आप बजट में देखेंगे कि कुछ थानों और चौकियों वगैरा जो १९५६ में नहीं थीं, उनको हर जिले में से जो सेंक्शंड ऐलोकेशन होता है उसमें से लेकर हमने चालू कर दिया था। अब उन जगहों को हमने भरा है।

इसके अलावा एक वृद्धि इसमें यह है कि कुछ कापीस्ट्स सिस्टम की संख्या बढ़ गयी है। नियम यह है कि जब प्रोसीक्यूशन केस चलाते हैं तो चार्जेज की कापी कर के उनको दे दी जाती है। इसलिये उनकी संख्या बढ़ गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे यहां कोई वृद्धि किसी ऐसे आइटम पर नहीं हुई है जिसमें पुलिस की संख्या बहुत बढ़ी हो बल्कि एक तो डी० ए० के मामले में है और दूसरे गवर्नमेंट आफ इंडिया के अनुरोध पर तीन बटालियनों के खड़े करने में है। बाकी आप के बजट में थोड़ी वृद्धि जो साधारणतया प्रति वर्ष एलावेंसेज या वेतन में होना आवश्यक होती है और कोई वृद्धि इस बजट में नहीं की गई है।

मैं बजट की एक दो विशेषताओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत दिनों से कई प्रश्न हमारे सामने आते रहे हैं जिन पर कभी-कभी आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित किया गया है। हमारे विभाग के जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको सुविधा देने के सम्बन्ध में कदाचित् हमारे सदस्यों को ज्ञात है कि इस बार बजट में हमने एक सुविधा यह रखी है कि जो सब-इन्सपेक्टर साहबान हों उनको वर्दी का भत्ता दिया जाय। अब तक हमारे कप्तान साहबान या डिप्टी कप्तान साहबान या नीचे से हमारे कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल, इनको तो वर्दी का भत्ता मिलता था और वह इस तरह से कि एस० पी० और डिप्टी एस० पी० को तो उसका भत्ता मिलता है और कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को मुफ्त में वर्दी मिलती थी लेकिन जो बीच के सब-इन्सपेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं उनको कोई भत्ता वर्दी के लिये नहीं मिलता है। मालूम नहीं यह व्यवस्था क्यों चली आ रही थी? एक बार सन् ३९ में एक वार्षिक व्यवस्था की गयी थी ३० रुपये की या कितने की, लेकिन सन् ४६–४७ में वह भी बन्द हो गयी। यह एक बड़ी भारी शिकायत रही है कि हमारे नीचे दर्जे के कर्मचारियों को भी मिल जाय और ऊंचे दर्जे के अधिकारियों को भी मिल जाय लेकिन सब-इंस्पेक्टर और सर्किल-इंस्पेक्टर को वर्दी का भत्ता न मिले। यह एक ऐसी बात थी जो समझ में नहीं आती थी। इस बजट में आप देखेंगे कि हमने इसका प्राविधान किया है।

दूसरे हमारे कांस्टेबिल, हेड कांस्टेबिल और इस तरह के नीचे की श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने की बात है। पुलिस अस्पतालों में जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तो हो जाती है लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य हो तो फिर उसके लिये पुलिस अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है और दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी उस तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। उन्हें खर्च देना पड़ता है। तो एक बड़ी भारी सहूलियत उन्हें इस बार यह दी गई है कि उनके परिवारों की चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था सरकार करेगी और उसके खर्चे को सरकार के स्रोत से पूरा किया जायगा। इसके लिये भी बजट में एक रकम रखी गयी है। यद्यपि उससे कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा पर आप की स्वीकृति के लिये और इस दृष्टि से कि तत्काल हम इस चीज को आरम्भ कर दें, बजट में उसकी व्यवस्था रखी गयी है।

तीसरी बात यह है कि आप के टाउन एरियाज और नोटीफ़ाइड एरियाज में सर्कमस्टान्सेज एन्ड प्रापर्टी टैक्स लगता है। अब तक इस सम्बन्ध में टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज से यह मांग होती थी कि पुलिस के कर्मचारियों से यह वसूल नहीं होता है और हमें नुक्सान होता है। असल में स्वयं वे इतनी कम तनख्वाह पाने वाले लोग थे कि उन पर इस प्रकार के टैक्स का एक बोझ सा पड़ा था। इसलिये यह व्यवस्था की गयी है कि टाउन एरियाज और नोटिफ़ाइड एरियाज में हमारे पुलिस के ये कर्मचारी इस टैक्स से बरी रहें। लेकिन

[श्री कमलापति त्रिाठी]

इससे लोकल बाडीज को उस आमदनी का नुक्सान होगा। इसलिये उनका टैक्स सरकार अपने पास से जमा कर देगी। यह एक और व्यवस्था की गयी है जिस से उनको कुछ सहूलियत मिल सकेगी।

आप बजट पर दृष्टिपात करें तो यह बहुत स्पष्ट तो उसमें नहीं होगा इसलिये यह सूचना देना चाहता हूं कि हमने पुलिस की हाउसिंग स्कीम भी चलायी है। पुलिस की इमारतों की बड़ी कमी है। थाने नहीं हैं चौकियां नहीं है पुलिस के कांस्टेबिल साहबान और हेड कांस्टेबिल साहबान के रहने की जल्दी कोई गुंजायश नहीं है, बड़े-बड़े अधिकारी बहुत से जिलों में हैं, एस० पी० और डी० एस० पी० के लिये भी रहने का स्थान नहीं है। आपका, हमारा और सभी का यह अनुभव है कि बहुत दिनों से हमारे थाने और चौकियों को बहुत सी इमारतें टूटती जा रही हैं। पी० ए० सी० की बैटालियन के लिये बैरेक्स नहीं हैं। इस युग में जब हमारे पास जो भी पैसा है उसे रचना और निर्माण के काम में लगाना है तो धन इसके लिये मुमकिन नहीं हो सकता था, लेकिन इसके लिये एक गुंजायश निकल आयी है। भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई कि पुलिस की हाउसिंग के लिये वे लोन देंगे, वह मैचिंग लोन होगा यानी जितना रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया दे उतना ही रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे तब लोन मिलेगा। इस स्कीम के मुताबिक उन्होंने गतवर्ष ४० लाख रुपये का लोन दिया। हमने उस स्कीम को चलाया। इस वर्ष पुलिस की इमारतों के बनाने की हमारी जो स्कीम बनी, वह तो जरूरतों को देखते हुये बहुत रही, लेकिन जितना धन हमें मिल सकता था उससे हमने कुछ इमारतों के बनाने का काम शुरू किया और इस तरह से उस स्कीम की थोड़ी शुरुआत की। मैचिंग लोन का काम ऐसा है कि हमारे लिये उस रुपये का प्राप्त करना सम्भव नहीं है जब तक हम उतना रुपया मुहइया न करें। लेकिन अब भारत सरकार ने हमारी अनुनय-विनय से यह स्वीकार कर लिया है कि अच्छा, वे लोन दे देंगे और मैचिंग वाली शर्त को हटा लेंगे और अब पुलिस हाउसिंग का काम बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलाया जा रहा है।

इस बजट में एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारा एक फोरेन्सिक साइंस इंस्टीट्यूट बनने वाला है। आजकल का जमाना बड़ा टेढ़ा है। कुछ ऐसा है कि अपराधों में भी वैज्ञानिक तरीके से काम लिया जाता है। सारी दुनिया में अपराधों में कुछ वृद्धि हुई है। उनकी रिपोर्ट आप पढ़ें तो ऐसा लगता है कि बड़ी कुशलता, बड़ी कल्पना और बड़ी बुद्धि का प्रयोग करके नये-नये प्रकार के आविष्कार अपराधों के लिये भी किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग से अपराध करने के तरीके ढूंढ़ कर निकाले जा रहे हैं। यह सारी दुनिया में है। हमारे यहां भी जो अपराधों की कहानियां अब मिलती हैं उनमें इसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं कि कितनी कल्पना और कितनी बुद्धि की प्रखरता और तीव्रता से अपराधों को करने में काम लिया जा रहा है। ऐसे ही वैज्ञानिक तरीके से अपराधों के निरोध और उनके पता लगाने के भी प्रयोग दुनिया में हो रहे हैं। हमारे पास इतने साधन तो नहीं हैं। संसार के अन्य देशों में तो क्राइम प्रिवेंशन में, क्राइम इन्वेस्टीगेशन में और क्रिमिनल्स को पकड़ लेने में भी कितने वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग किये जा रहे हैं और कितना उनसे लाभ हो सकता है। यह एक मनोरंजक कहानी है। हमारे पास इतने साधन तो नहीं हैं पर आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं हैं कि उनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। अब तक हमारे पास एक केमिकल एक्जामिनर आगरा में है, फिंगर प्रिंट ब्यूरो भी है, साइंटिफिक एड सेक्शन भी है हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर यह सब अपने-अपने ढंग से अलग-अलग कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और उनसे हमको सहायता मिलती रहती है। अब एक स्कीम फोरेंन्सिक साइंस इंस्टीट्यट की है, जिसमें इन तमाम चीजों को सम्मिलित करके एक वैज्ञानिक ढंग से अपराधों की जांच-पड़ताल में पता लगाने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में हम सहायता प्राप्त कर सकें, उसके लिये इसमें

एक योजना रखी गई है। अवश्य ही हम ऐसी चेष्टा करेंगे कि यह इंस्टीट्यूट स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करे। यह रहे तो होम डिपार्टमेंट के अधीन, लेकिन एक स्वतंत्रता के साथ और वैज्ञानिक, विद्वान लोग जो गहराई के साथ उन विषयों का अध्ययन किये हुये हैं, हमारी सहायता करें।

एक डाग सेक्शन भी इसमें खोला गया है। दुनिया के देशों में कुत्तों से अपराधों और अपराधियों का पता लगाने में और उनको रोकने में बड़ी सहायता मिली है। हमारे देश के एक दो प्रदेश में, मद्रास आदि में इसका कुछ प्रयोग भी हुआ है और वह सफलता-पूर्वक चला है। इस दिशा में भी हमने कुछ छोटा सा सूत्रपात किया है।

कुछ थोड़ी सी इस बजट के बारे में जो विशेषतायें हैं, या यूं कहूं कि कुछ नयी बातें हैं वह मैंने आप लोगों के सम्मुख निवेदन कीं। बाकी आप बजट को देखेंगे तो हमारा जो विभाग है, उसका जो प्रशासन है, उसके संबंध में जिस प्रकार से खर्च हो रहा है और होना आवश्यक है उसका आपको विवरण इसमें प्राप्त हो जायगा।

हमें यह पता है कि हमारे यहां बहुत मांग है इस बात की कि पुलिस की चौकियां और पुलिस के थाने और स्थापित किये जायं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हमारे सदन के एक-दो माननीय मित्र न आते हों और अपने जिले के किसी न किसी क्षेत्र की बात न बताते हों कि उनके यहां पुलिस की व्यवस्था अपर्याप्त है और वह चाहते हैं कि वहां पुलिस चौकियां स्थापित हों या थाने कायम किये जायं, जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से और शांति और व्यवस्था की दृष्टि से। उन्हें इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। आप बजट में देखेंगे कि पिछले सालों में, विशेषकर गत वर्ष, कई जगहों में इसकी व्यवस्था की गई। इस वर्ष भी दो एक जगह इसकी व्यवस्था की जा रही है, जैसे यहां कृष्णनगर में या ललित-पुर, झांसी के उस इलाके में जो कि विन्ध्य प्रदेश और मध्य भारत की सीमा पर पड़ता है, और ऐसे ही कई स्थानों में जहां बहुत दिनों से बराबर मांग रही है, हमने कुछ स्थानों पर चौकियों को स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी संख्या कम है। हर जगह से इसकी मांग है कि उनकी संख्या को बढ़ाया जाय, किन्तु इसमें धन बहुत बाधक होता है। अभी कल ही इस संबंध में एक प्रश्न इस सदन के सम्मुख हो रहा था। यदि इस विभाग के लिये पैसे की मांग की जाय तो एक विचित्र प्रकार की टीका आरम्भ हो जाती है यद्यपि यह समझा जाता है कि इस विभाग की अत्यन्त ही आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश की शांति और व्यवस्था के आधार पर ही कोई रचना का या विकास का कार्य हो सकता है।

अपने प्रदेश की पुलिस की हम भले ही टीका कर लें, पर इस प्रदेश के लिये वह गर्व का विषय है। हमारे देश की तमाम प्रादेशिक सरकारें और भारत सरकार भी हम से सहायता मांगती रहती है। आज भी इस प्रदेश की पुलिस हमारे इस विशाल देश के सुदूर कोनों में पड़ी हुई है जहां उन्होने प्राणाहुति डाली है। कश्मीर में रही है, बम्बई में रही है और आसाम में भी गयी है जहां पर उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ाई है। दूसरे प्रदेश के लोगों ने उनके अनुशासन, उनकी दृढ़ता, उनकी कर्त्तव्यपरायणता और जान के लिये खतरा उठाकर भी अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करने की लालसा की प्रशंसा की है। इस विभाग में त्रुटियां हो सकती हैं और ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत काम करते हों। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको हमें और आपको सब को मिलकर इस देश के गौरव का ज्ञान कराने की आवश्यकता है। हमारे देश के इतिहास में जब एक विदेशी सरकार थी, उसने भी एक परम्परा कायम रखने की चेष्टा की। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है बराबर सरकार की चेष्टा इस बात की रही है कि पुलिस जनजीवन में अधिक से अधिक प्रविष्ट हो। सारा विभाग, ऊंचे अधिकारी और जिले के स्तर पर हमारे कर्मचारी, इस बात की चेष्टा करते रहे हैं और इसमें बड़ा सुधार हुआ है। आज भी हमको शिकायतें हो सकती हैं। हम उन शिकायतों को दर करने की चेष्टा करते हैं। इसके लिये अवश्य

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

ही यह मानना होगा कि बौद्धिक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। केवल पुलिस विभाग ही नहीं प्रत्युत इस प्रदेश का प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति जो कोई भी हो, वह यह अनुभव करे कि हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक नये प्रकार से सामाजिक और अनुशासनिक व्यवस्था अपने देश में स्थापित की। वह इस बात का अनुभव करे, कल्पना करे और देखे कि आज भारत वह देश है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता, सम्पूर्ण शक्ति और सम्पूर्ण अधिकार जनता को समर्पित है। इस देश की प्रभु और स्वामिनी इस देश की जनता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह लेजिस्लेचर में बैठा हो, चाहे वह मंत्रिमंडल में हो, चाहे एक्जिक्यूटिव में हो और चाहे वह किसी भी विभाग में हो, अपने इस स्वामिनी जनता की सेवा करने के लिये आज नियुक्त है और अपने स्थान पर बैठा हुआ है। जो सेवक है वह अपनी स्वामिनी जनता की सेवा करे और यह विश्वास, विचार और अनुभव करे कि इस सारे देश की सत्ता और प्रभुसत्ता इस देश की जनता के हाथ में है।

आज कई सौ वर्ष की गुलामी के बाद जब हम छूटे तो हम अपने सामाजिक जीवनण में और व्यक्तिगत जीवन में भी और जीवन की प्रत्येक दिशा में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करें, जिससे धीरे-धीरे अपने गुलामी काल की कोई छाया, प्रतिछाया यदि अभी तक रही हो तो वह मिटे और वह शीघ्र से शीघ्र जनसत्ता और लोकशक्ति अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो। इसका अनुभव इस देश और प्रदेश की जनता और इस प्रदेश में काम करने वाले जनता के सेवकों को, चाहे वह सरकारी हों या गैर सरकारी हों, प्रत्येक को करा दिया जाय और प्रति दिन कराते जाते हैं। यह ऐसी राय है जिसमें दो राय नहीं हो सकतीं। परन्तु मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने, प्रदेश की पुलिस ऐसी है जिसकी प्रशंसा हमारे प्रदेश के बाहर ज्यादातर रही है और हमारे लिये भी जब भी संकट का समय आया है चाहे वह सन् ४७ में हो या उसके बाद या पहले उनसे सहायता मिलती रही है। जहां कमियां बहुत कुछ हों उनको दूर करना है जिससे जिन लोगों से हम काम ले रहे हैं उनका नैतिक बल बना रहे और उनमें यह भाव भी भरते चलें कि आज वह जिस काम के लिये नियुक्त हैं वह कार्य स्पष्टतः जनता की सेवा है।

इस विषय में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपकी बातों को सुनने के बाद जो कुछ हो सकेगा निवेदन करूंगा। मुझे यही आशा है कि इसमें आपका भी सहयोग होगा, छोटे-बड़े कर्मचारियों की सहायता और सहयोग भी हमें प्राप्त होगा और उसके कारण मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का हमारे प्रदेश का गौरव है, उसके अनुकूल ही अपने शासन के समस्त विभागों को जिस प्रकार बनाने की चेष्टा में हम लगे हुये हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इस समय मैं आंकड़े तो नहीं देना चाहता, लेकिन इस पिछले साल भर में हमारे प्रदेश में पुलिस और डकैतों के घनघोर संघर्ष हुये हैं और पिछले साल, डेढ़ साल में पुलिस ने कई बड़े-बड़े गैंग्स को समाप्त किया है और उसमें कइयों ने प्राण भी दिये हैं। माननीय त्रिलोकीसिंह जी को कदाचित मेरी इस बात में संदेह हो, लेकिन उसके लिये मेरे पास आंकड़े हैं और अगर वे उनको देखेंगे तो उनका संदेह दूर हो जायगा। यह बात नहीं है कि डकैत बिल्कुल खत्म हो गये हों लेकिन उन्होंने इस विषय में जो संघर्ष किया है जो काम किया है, यदि हम उसको भी स्वीकार न करें तो जो काम करने वाले हैं उनका दिल टूट जायगा।

इसके अतिरिक्त एक और भी नयी व्यवस्था की गयी है जिसका जिक्र माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया, कि हम होमगार्ड्स की स्थापना कर रहे हैं। उसमें पी० आर० डी० के लोगों से ३ शहरों में हम प्रयोग करने जा रहे हैं। यद्यपि यह विभाग पुलिस का स्थान तो ग्रहण नहीं कर रहा है लेकिन हम उन लोगों का कुछ उपयोग करने जा रहे हैं कि पुलिस की एक शाखा के रूप में समाजसेवा के कार्य में वे लगें ताकि हम पुलिस का कुछ बोझ भी हल्का कर सकें जिससे वह अपराधों की छानबीन में ज्यादा समय दे सकें और ऐसी कोई व्यवस्था चलाने की चेष्टा बराबर होती रहे जिससे ऐफीशियेंसी

बढ़ती रहे, कार्यकुशलता बढ़ती रहे, इंटीग्रिटी और कर्त्तव्य–परायणता बढ़ती रहे। यह विभाग दिनों दिन विकसित होता रहे और वस्तुतः हमारे प्रदेश की पुलिस, प्रदेश के लोगों के सहयोग और सहायता से अपना भी गौरव बढ़ा सके और इस प्रदेश का भी गौरव बढ़ा सके।

मैं और अधिक समय न लेकर केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सुझाव दें, टीका-टिप्पणी करें और आलोचना भी करें लेकिन यह समझ कर करें कि हमको और आपको अपने प्रदेश को सुधारना है और उसे एक स्वस्थ दिशा की ओर ले जाना है। जहां कहीं कमियों को दूर करने के लिये सुझाव होंगे, हम कृतज्ञतापूर्वक उनकी ओर ध्यान देंगे और अपनी शक्ति भर उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे। जहां कहीं भूलों की ओर संकेत होगा, हम उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। प्रार्थना केवल इतनी ही है कि यह पुलिस आपकी है, इस प्रदेश की शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको सुधारना हमारा और आपका काम है, उसकी नैतिक शक्ति और साहस बनाये रखना भी हमारा और आपका कार्य है अन्यथा हमारा कार्य एक दिन भी चलना संभव न हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे और कटौती के रूप में जो वे सुझाव देंगे उन्हें हम अवश्य देखेंगे। मैं यह भी आशा करूंगा कि कटौती के प्रस्तावों पर सुझाव देने के बाद उनको वापिस ले लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—पालीवाल जी ने एक इच्छा जाहिर की है कि उनको कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये आध घंटे का समय दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। अब इस आध घंटे में कुछ समझौता होना चाहिये। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि वह पहले कितना समय लेंगे और बाद में कितना समय लेंगे। पहले आप २० मिनट और बाद में १० मिनट लेंगे या क्या? आप बता दीजिये, अगर आप ज्यादा समय चाहेंगे तो भी कदाचित् किसी को एतराज न होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मैं तो पूरा आध घंटा ही लेना चाहता हूं।

श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय पालीवाल जी को पूरा आध घंटा लंच के पहले दे दिया जाय और उसके बाद लंच हो।

श्री सुरथबहादुर शाह—मैं निवेदन करूंगा कि अब केवल १० मिनट बाकी रह गये हैं। इस समय असेम्बली एडजर्न कर दी जाय और माननीय पालीवाल जी लंच के बाद आरम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष—आप सामने वाली घड़ी देखें, अभी बीस मिनट बाकी हैं?

श्री उग्रसेन—चूंकि कल ३ बजे तक का समय पुलिस के अनुदान के लिये रक्खा गया है तथा कटौती के प्रस्तावक महोदय का समय भी बढ़ा दिया गया है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कटौती के समर्थन में बोलने वालों के समय में भी वृद्धि कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—पालीवाल जी, आपने कुछ बतलाया नहीं कि आध घंटे में से कितना समय आप शुरू में लेंगे और कितना समय बाद में लेंगे?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं यह चाहता हूं कि आध घंटा मुझे पूरा इस समय मिल जाय, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिये तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अपनी इच्छा आप जाहिर करें, अगर कुछ और समय चाहें तो मैं समझता हूं कि सदन को एतराज नहीं होगा। बाकी सदस्यों के लिये दस-दस मिनट और पार्टी-नेता लोग बोलेंगे तो उनके लिये मुझे विशेष अधिकार आप दे दें, मैं उनको ज्यादा समय दे दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव पेश करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में सरकारी पक्ष सदन के सामने रखा है, मैं भी यथासंभव जन-पक्ष को सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने पुलिस की प्रशंसा की, इस बात की प्रशंसा की कि दूसरे प्रदेशों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा का काम किया है और वहां उनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने जनता की सहायता के लिये उनका बहुत ही हृदयाकर्षक चित्र खींचा है। मुझे इस संबंध में केवल इतना ही कहना है कि क्या ही अच्छा होता कि सुन्दर गद्य काव्य के बजाय उनका यथार्थता से कुछ संबंध होता।

मैं यह मानता हूं कि पुलिस का विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जनता के जानमाल की, जनता की इज्जत और आजादी की रक्षा की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर है, इसीलिए इसका महत्व है और इसीलिए इसको सबसे अधिक अधिकार मिला हुआ है तथा इसी से इसका खर्चा बढ़ाने में न तो गृह-मंत्री को कोई दिक्कत होती है और न सदन को भी एतराज करते हुये ज्यादा कठिनाई का अनुभव होता है; लेकिन इस बात में मुझे गहरा संदेह है कि पुलिस विभाग का खर्चा जिस हिसाब से बढ़ा है उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारी और उपयोगिता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय गृह-मंत्री जी सदन को और जनता को यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस विभाग की जिम्मेदारी और उपयोगिता उसी हिसाब से बढ़ी है जिस हिसाब से उसका खर्चा बढ़ा है? माननीय गृह-मंत्री जी ने यह बतलाया कि हमारे प्रदेश की पुलिस की प्रशंसा कई प्रदेशों में हो रही है। मैं आपकी आज्ञा से सदन के सामने रखना चाहता हूं जो हमारे देश और प्रदेश में हो रहा है।

क्षमता की दृष्टि से देखा जाय तो क्षमता के पहले अंग को लिया जाय। अपराध रोकने की दृष्टि से चोरी को लिया जाय तो कोतवाल के यहां चोरी होती है, एस० एस० पी० के यहां चोरी होती है, डी० आई० जी० के यहां चोरी होती है, आई० जी० के यहां चोरी होती है, मिनिस्टर्स के यहां चोरी होती है, हाफिज साहब के यहां चोरी होती है, सम्पूर्णानन्द जी के यहां चोरी होती है। सिर्फ इतना बाकी रह गया है कि कोई मसखरा चोर मिनिस्टरों की टोपी उतार कर नहीं ले गया है और शायद उसी डर से हमारे माननीय गृह-मंत्री ने टोपी को पहले ही से उतार दिया है, उसे पहनना ही बन्द कर दिया है। अब यह सहज ही सवाल पैदा होता है कि जो पुलिस और जो सरकार अपनी चोरी को नहीं रोक सकती, अपनी रक्षा नहीं कर सकती वह जनता के जान व माल की रक्षा कैसे करे? यह तो मैंने अपराधों को रोकने की दृष्टि से कहा अब अपराध न होने की दृष्टि से और अपराध हो जाने पर जो चीज होगी, उस संबंध में मैं केवल दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक तो स्वर्गीय तेजबहादुर सप्रू के सुपुत्र श्री ए० एन० सप्रू, जिनको माननीय गृह-मंत्री भी जानते होंगे, वे इस समय बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेंबर हैं। वे यह भी जानते होंगे कि वे शिक्षा के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वे आई०सी०एस० हैं, उनके उस मकान में चोरी हुई जो सचिवालय के बिलकुल सामने है, जिसमें मार्च, अप्रैल में पहले पुलिस विभाग के, इसी सरकार के एक डिप्टी मिनिस्टर महोदय रहते थे और जिसके संबंध में अप्रैल, मई में मंदिर का मामला उठा था। उस मकान से पचास हजार की चोरी हुई। न चोरों का पता चला, न माल का। संयोग से उनका एक कोट दूसरे बदमाश के सिलसिले में पुलिस के केसेज में आ गया। वह बदमाश भी आ गया। कोट पर ए० एन० सप्रू लिखा हुआ था। श्रीमती सप्रू ने उस कोट की पहचान की। कोट मालखाने में भेज दिया गया और मुलजिम को जेल में भेज दिया गया। लेकिन जिस दिन अदालत में पेशी हुई, कोट पेश हुआ तो मालखाने से वह कोट गायब था और उस की जगह पर दूसरा कोट मौजूद कर दिया गया। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में

कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। उस प्रशंसा से और इस घटना से जरा मुकाबला किया जाय।

दूसरा उदाहरण आप के ही सूचना विभाग के कर्मचारी का है। उसका नाम सुरेन्द्र शर्मा है। उनके ज्येष्ठ पुत्र जगदीश शर्मा की मृत्यु बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई। मृत्यु हुई २२ सितम्बर, १९५६ को और उसकी सूचना पुलिस ने ११ नवम्बर को दी। रात दिन पुलिस से मिलते रहने पर सिर्फ डेढ़ महीने के बाद सूचना दी। इतनी क्षमता है। दिसम्बर में उन्होंने, सुरेन्द्र शर्मा जी ने एक आवेदन-पत्र मुख्य मिनिस्टर महोदय को दिया। उसको आज आठ महीने हो गये हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो यह तो क्षमता का उदाहरण है।

दूसरी बात मैं बड़े दुःख के साथ इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह जो आज के समाज में पुलिस की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के कारण पुलिस के अधिकार बेहद हो गये हैं। एक तरफ पुलिस के हाथ में बेहद अधिकार हैं दूसरी तरफ पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त होने पर भी देश की जनता अज्ञानी और असहाय है। इस बात से कोई भी समझदार आदमी इनकार नहीं कर सकता है। अधिकारों के असन्तुलन का परिणाम यह है कि जो पुलिस जनता की रक्षा के लिये है, उसी पुलिस के बहुत से कर्मचारियों के द्वारा रात दिन जनता के ऊपर जोर होता रहता है, जुल्म होते रहते हैं।

मैं मामूली ज्यादतियों की बात नहीं कहता। मैं जांच करते समय, गिरफ्तारी करते समय हिरासत के समय जो गालीगलौज या मारपीट होती है उसकी शिकायत नहीं करता। मैं एक्सटार्शन की भी शिकायत नहीं करता। मैं इस बात की भी शिकायत नहीं करता कि लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है। लेकिन मैं शिकायत करता हूं पुलिस के कर्मचारियों की बदमाशों से मेल की। मैं शिकायत करता हूं पुलिस विभाग में क्रिमिनल एलीमेंट्स की। मैं शिकायत करता हूं चकले वालों से, जुआ के अड्डे वालों से, वीमेन ट्रैफिकर्स से, चोरों से, डकैतों के गिरोहों से और हत्यारों और कत्ल करने वालों से पुलिस के कर्मचारियों के मेल की। मैं शिकायत करता हूं बलात्कारों की, पुलिस द्वारा की हुई हत्याओं की और उन बलात्कारों और हत्याओं की जो पुलिस के थानों तक में होती हैं। यह रेकार्ड सब अदालतों से साबित है। तो यह जोर जुल्म चल रहे हैं।

तीसरी बात इस विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने किसी दिन सदन में यह कहा था कि मैं इस शब्द से घबराता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मुझे भी इस बात में कोई खुशी नहीं होती कि मैं अपने देशवासियों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायत करूं, क्योंकि इसमें मेरे देश की बदनामी है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है, सम्पूर्ण समाज शरीर की रग-रग में यह जहर घुसा हुआ है। जो शब्द प्रह्लाद ने अपने पिता से ब्रह्म के सम्बन्ध में कहे थे कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। अगर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूं तो यह कहूंगा कि भ्रष्टाचार मुझमें है, तुम में है, इन खम्भों में है, चारों तरफ व्याप्त है। इसलिये सरकार का यह कहना कि भ्रष्टाचार की चर्चा मत करो यह कोई अच्छा उपाय नहीं है। यह मानी हुई सी बात है कि अभी तक जो यह भ्रष्टाचार नहीं रुका है उसका एक बहुत सीधा कारण है, वह यह है कि भ्रष्टाचार और जोर जुल्म करने वाले अधिकारियों को फौरन् सख्त एग्जेम्प्लरी सजा नहीं मिलती और उनको एग्जेम्पलरी सजा न मिलने की वजह से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है उसी तरह के जोर जुल्म करने का, भ्रष्टाचार करने का। यह उसका एक कारण है। सरकार की तरफ से दो तीन बातें आम तौर पर कही जाती है, जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की चर्चा न करो। है, लेकिन चर्चा न करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार की चर्चा न करें तो भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। छूत से फैलने वाली कोढ़ की बीमारी को अगर छिपाया गया तो अच्छी नहीं होगी। वह और फैलेगी और नतीजा यह होगा कि जो हमारे पास बैठेंगे

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

उनको दुर्गन्ध आयेगी और उनको भी वह बीमारी लगेगी। इसलिये इससे काम नहीं चलता, यह पलायन की मनोवृत्ति है।

सरकार की तरफ से दूसरी बात यह भी कही जाती है कि जनमत को जाग्रत करो, उसको प्रेरित करो कि वह भ्रष्टाचार का मुकाबला करे। जनता से कहा जाता है कि वह अदालतों में रिश्वत लेने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाये। जिस वक्त जनता को सलाह दी जाती है उस वक्त यह भुला दिया जाता है कि भ्रष्टाचार के सिलसिले में रिश्वत देने वाला सजा पाता है? किस हिम्मत से कोई भ्रष्टाचार की शिकायत करे और यह कबूल करे कि मैंने रिश्वत दी और फिर अदालतों में जुर्म को साबित करना आसान बात नहीं है। इतना मुश्किल है और खर्चीला भी कि यह पुलिस विभाग और सरकार भी बहुत सी डकैतियों और कत्लों के मामले में नहीं साबित कर सकती हैं। जब सरकार नहीं साबित कर सकती है, पुलिस नहीं साबित कर सकती है तो साधारण जनता से यह कहना कि वह शिकायत करे और मुकदमा चलाये और फिर अदालत में साबित भी करे, बिलकुल गलत है।

यह बात कही जाती है कि जनता को उपदेश दिया जाय, कहा जाय कि रिश्वत न दो। लेकिन रिश्वत न देने से जनता के ऊपर कैसी मुसीबत आती है इसको भी विचार करने की जरूरत है। मैं तो आप से अभी के अनुभव की बात कहता हूं और जैसा मंत्री जी ने कहा कि पुलिस विभाग का मामला नहीं है, सब विभागों का मामला है, अभी जो आप के एलेक्शन पेटिशन्स चल रही हैं उनके जजमेंट की कापीज लेने पर १० रुपये दे कर के फौरन मिली और वैसे अगर मांगी गयी तो कह दिया गया कि टाइपिस्ट नहीं है, क्लर्क नहीं है, हम अभी नहीं दे सकते। तो इसकी हम उपेक्षा कर विजय नहीं पा सकते।

विरोधी दलों से कहा जाता है आप सहयोग दीजिये। हमारा कहना यह है कि हम सहयोग देने के लिये सहर्ष तैयार हैं, लेकिन कोई हमारा सहयोग ले भी तो आपने जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक समितियां बना रखी हैं। उनके बारे में मैंने इस सदन में सवाल कर के सरकार से यह कहलवा लिया बड़ी मुश्किल से कि समिति का कोई सदस्य, यहां का कोई सदस्य अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत लाता है तो उसकी विभागीय जांच होगी। उस समय उसे वहां मौजूद रहने का भी हक नहीं है। यह सहयोग चाहते हैं? इस सहयोग के द्वारा आप यह समझते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो जायगा? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जहां ज्यादा अधिकार हों, विशेष अधिकार हों, उनके ऊपर विशेष नियन्त्रण की भी आवश्यकता है जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके।

एक बात यह भी कही जाती है कि जब मैं यह कहता हूं भ्रष्टाचार मुझमें है, जनता में व्याप्त है, तो केवल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ही क्यों बुरा भला कहा जाता है, उसका भी कारण है। एक तो यह कि भ्रष्टाचार करने के लिये जितना अधिकार और अवसर सरकारी कर्मचारियों को होता है, और लोगों को उतना नहीं होता और वह अधिकार समाज का दिया होता है। दूसरा कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी भर्ती किये जाते हैं, वेतन पाते हैं, किस बात के लिये? जनता के रक्षक बनने के लिये, पोषक बनने के लिये। लेकिन जब रक्षक भक्षक हो जाय और पोषक शोषक हो जाय तब जनता में इस शिकायत का होना स्वाभाविक है। जनता यह शिकायत करेगी कि जिसको हमने अपनी रक्षा और पोषण करने के लिये रखा वह हमारा भक्षण कर रहे हैं, वे हमारा शोषण कर रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि साहब सरकार से ही क्यों शिकायत की जाती है कि वह भ्रष्टाचार को क्यों नहीं दूर करती? उसका भी एक कारण है और वह यह कि सरकार के ही हाथ में अपने अधिकारियों को सजा देने की शक्ति है, सरकार के अलावा किसी में नहीं है। अगर सरकार से न कहें तो किससे कहें?

दूसरी बात यह है कि जनता की तरफ से भी सरकार बेस्ट आर्गनाइज्ड बाडी है। भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को हल करने के लिये सिवा उसके किससे कहा जायगा। इसीलिये सरकार से कहा जाता है। सही बात यह है कि अगर सरकार ऐसी समस्यायें हल नहीं कर सकती तो फिर सवाल पैदा होता है कि वह है किस मर्ज की दवा ? तो सरकार इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व से बरी नहीं हो सकती यह कह कर कि वह सर्वव्यापी है, जनता में है। सब का सहयोग चाहिये, सब का सहयोग तो मिलेगा लेकिन जैसा मैंने कहा, आपको सहयोग लेना पड़ेगा।

एक बात सरकार की ओर से और कही जाती है कि लोकतांत्रिक पद्धति के कारण हम सख्ती से काम नहीं ले सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार यह दलील देती है तो क्या यह भूल जाती है कि सरकार की यह दलील जनतंत्र के खिलाफ और डिक्टेटरशिप के पक्ष में सब से जबरदस्त दलील है ? जनतन्त्रीय सरकार ऐसी दलील दे जो डिक्टेटरशिप के पक्ष में हो और जनतंत्र के खिलाफ हो, इससे बढ़ कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है ! फिर ऐसी हालत में जनता कह सकती है कि उस सोने से क्या लाभ जिससे कान फटे ? अगर जनतंत्र धीमा हो और बेकार हो तो जनतंत्र को ले कर क्या चाटें ? सवाल यह पैदा होता है कि क्या जनतंत्र सचमुच इतना धीमा और बेकार है ? द्वितीय महायुद्ध के समय इंगलैंड के प्राइम मिनिस्टर, श्री चर्चिल ने कहा था "वी शैल डिमान्स्ट्रेट टु दी वर्ल्ड दैट डेमोक्रेसी इज नो लेस इफेक्टिव एंड एफिशियेंट दैन डिक्टेटरशिप" यानी हम दुनियां को दिखा देंगे कि जनतंत्र डिक्टेटरशिप से कम कारगर और कम बलशील नहीं है और उन्होंने यह दिखा दिया। इसी तरह से पूज्य बापू ने आज से २० वर्ष पहले सन् ३७ में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने थे तो कहा था "मिनिस्टर्स शुड लर्न दी आर्ट आफ बर्निंग दी रेड टेप"। यानी हमारे मिनिस्टरों को लाल फीतेशाही को जला देने की कला सीखनी चाहिये। आज २० वर्ष हो गये, लेकिन रेड टेप जहां का तहां है।

मैं मानता हूं, जैसा कि कहा गया हमारे गृह मंत्री की तरफ से कि हम कुछ सुझाव भी दें, केवल आलोचना न करें, इसलिये मैं उपाय भी बतलाता हूं। सब से पहला उपाय यह है कि सरकार अपनी स्वयं संतुष्टि और सेल्फ काम्पलेसेंसी की मनोवृत्ति छोड़े। माननीय गृह मंत्री मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि हमारे मिनिस्टरों को स्वयं संतुष्टि का सन्निपात सा हो गया है। जब से बजट अनुदान शुरू हुई है तब से विभागीय रिपोर्ट्स आती हैं मैं उनको पढ़ता हूं। सिर्फ खाद्य मंत्री व हरिजन सहायक विभाग के मंत्री को छोड़ कर सब मन्त्रियों ने अपने विभागों की कार्यवाही पर परम संतोष प्रकट किया है। हमारे गृह मंत्री ने अपने विभाग की १९५६ की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें सब से पहला वाक्य यह है "आलोच्य वर्ष में राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति प्रायः संतोषजनक रही"। लेकिन उसके बाद दूसरा वाक्य है कि "मार्च के महीने में होली के दिनों में मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, देवरिया तथा इलाहाबाद में कुछ साम्प्रदायिक झगड़े हुये"। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से क्या यही संतोषजनक स्थिति है ? आगे चल कर दूसरे पृष्ठ पर देखिये.....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें और लंच के बाद फिर प्रारम्भ करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं थोड़ी देर ही में समाप्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय १-२५ तक है। दस मिनट आप और बोल सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---१-२५ के पहले ही समाप्त कर दूंगा। और उस में यह बताया गया है कि अपराधों में वृद्धि हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपराधों में वृद्धि का होना संतोषजनक है ? कल ही सदन में प्रश्न किये गये थे कई जिलों के बारे में। सरकारी आंकड़ों से साबित हुआ था कि अपराधों की संख्या बढ़ रही है। मैं

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जानना चाहता हूं कि क्या यह संतोषजनक है ? सजा देने की बात जो की जाती है, इसके आंकड़े भी आठवें पृष्ठ पर दिये गये हैं और उन आंकड़ों में खूबी यह है कि चाहे अनुशासक कार्यवाही हो, चाहे सजाएं हों, सजाओं का ब्योरा यह है कि ४ इंसपेक्टरों को सजा मिली, ३९० सब इंसपेक्टरों को सजा मिली, २०० हेडकांस्टेबिल और ७०० कानिस्टबिलों को सजा मिली। लेकिन इंस्पेक्टर से आगे गाड़ी रुक गयी। इंसपेक्टर से आगे सजा का क्रम नहीं, दलदल में फंस गये, लकवा मार गया, सांप सूंघ गया। अनुशासन की कार्यवाही जो की गयी है उसमें भी गजटेड अधिकारी का नाम, जिसके खिलाफ कार्यवाही का निर्णय हुआ हो, एक भी नहीं है। पूरा कालम जीरों से भरा हुआ है। तो क्या यह समझा जाता है कि केवल नीचे के छोटे छोटे कर्मचारी तो महादुराचारी हैं और ऊपर के युधिष्ठिर के और शुकदेव के भी शिक्षक और गुरु हैं, उनमें कोई भ्रष्टाचार और कोई ज्यादती और जुल्म है ही नहीं ?

इन सब बातों के आधार पर मैं माननीय गृह मंत्री से एक बात कहूंगा। वह जो सहयोग और रचनात्मक सुझाव की बात करते हैं, कुछ दिन पहले मुझे याद है योजना और एकीकरण के अनुदान में विवाद का जवाब देते हुये माननीय मुख्य मंत्री ने पोलिटिकल ट्रूस की बात कही थी। जहां तक मुझे याद है उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर विरोधी दलों से सहयोग की बात कही। तो मैं माननीय गृहमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी इन अपीलों की सच्चाई का सबूत पुलिस विभाग से प्रारंभ कीजिये। चूंकि पोलिटिकल ट्रूस वह चाहते हैं, वह सच्चाई का सबूत दें। अगर वह यह चाहते हैं कि सब का सहयोग मिले तो मैं उनको एक आफर देना चाहता हूं। मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि एक सर्वदलीय समिति, आल पार्टीज कमेटी, ऐसी बनावें जो दो काम करे। एक तो यह कि जन आन्दोलन के समय यानी मास-मूवमेंट के समय जनता के ऊपर पुलिस को गोली चलाने का जो अधिकार है, उसकी उचित सीमायें क्या होनी चाहिये, इसका निर्णय करने और पुलिस के लिये एक आचार संहिता बनाने के लिये वह कमेटी बनायी जाय। पुलिस विभाग में मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आप की कोशिशें अभी तक बेकार हुई हैं और कोशिशों के बाद वह हालत है जिसका संक्षेप में मैंने वर्णन किया है, तो वह सर्वदलीय समिति इस बात के ऊपर विचार करे कि कौन सा ऐसा कारगर उपाय है और वह सर्वसम्मत उपाय हों, जिससे पुलिस की खराबियों को दूर किया जा सके। अगर गृह मंत्री जो चाहते हैं कि इन बुराइयों को हम सब मिल कर दूर करें तो वह सब का सहयोग लें, सहयोग की कमी नहीं है।

एक शब्द अन्त में मैं कह देना चाहता हूं और वह यह है कि सहयोग के माने आत्म-समर्पण के नहीं होते, हमेशा समान अधिकार वालों का सम्मान के साथ दिया गया सहयोग होता है। मुझे जब माननीय मंत्री के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे नेता कहा करते थे और हम कहा करते थे कि "कोआपरेशन डज नाट मीन सरेंडर, इट मस्ट बी इन ईक्वल टर्म्स।" तो विरोधी दलों का सहयोग अगर लेना चाहते हैं तो उस सहयोग की कमी नहीं है बशर्ते कि वह सम्मान के साथ बराबरी के दर्जे पर मांगा जाय।

(इस समय १ बजकर २२ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार सदन के सामने रखने का मौका दिया। जहां तक इस अनुदान का सवाल है, मैं इस अनुदान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुदान समझता हूं क्योंकि इस अनुदान के ऊपर, जितने भी इस युग के काम हैं, जितनी भी विकास की योजनायें हैं और जनता के डेवलपमेंट के काम हैं, उनका बहुत बड़ा संबंध है।

वह सारे काम गड़बड़ी में पड़ सकते हैं अगर कहीं पुलिस चूक करे, जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाय। ऐसी हालत में हमारे माननीय मंत्री जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस प्रदेश को लेकर चलने की है। मैं समझता हूं कि ऐसे मौके पर जबकि समाज में, सबके ऊपर चाहे वह चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, क्रिमनल हो या अच्छा आदमी हो, जो जनतंत्र हुआ है, डेमोक्रेसी हुई है, उसकी भावना सबके हृदय में हुई है। अच्छा आदमी उसको अच्छी तरह से सोचता है लेकिन जो चोर है, बदमाश है, डकैत है, गुंडा है, वह भी जनतंत्र के माने अपनी जगह पर लगाता है कि उसको क्राइम करने का आजादी से मौका मिले। वह डेमोक्रेसी के माने इस तरह से लगाता है। ऐसे जमाने में अगर हम पुलिस के कार्यों की समीक्षा करें तो हमें पता चलेगा कि उनमें पुलिस किस तरह से सफल हुई है।

अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो पिछले दिनों में पुलिस के द्वारा कार्य हुये हैं, वह काफी सराहनीय हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि पुलिस ने बड़े-बड़े डकैतों का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ किया है। इसी १९५६ में पुलिस ने २,६०० डकैतों का सामना बड़ी बहादुरी के साथ किया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि की सीमाओं पर हमारे प्रदेश की पुलिस ने इतनी बहादुरी के काम दिखाये हैं कि जिनकी सराहना किये बगैर कोई रह नहीं सकता। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि आप में और ट्रेजरी बेंचेज के लोगों में गवर्नमेंट के कर्मचारियों के प्रति आत्मतुष्टि की भावना भरी है और वह इस विभाग की सराहना ही करते हैं। अगर वह इस बात को कहते कि पुलिस विभाग में क्या कमियां हैं और किस तरह से काम करना चाहिये और वह अपने सुझाव देते तब तो एक बात होती। लेकिन एक ही दृष्टिकोण जो वह सदैव रखते हैं, उसी के कारण ऐसा कहते हैं। शायद वह समन्वय की दृष्टि रख रहे होंगे, लेकिन नाराजगी के आवेश में ऐसी चीज रखी और एक तरफा फैसला करने की उन्होंने चेष्टा की है। क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि इसी सदन में कई बार माननीय सदस्य, रूसे के खतरे से, जिसने गोंडा में एक बहुत बड़ा आतंक जमा रखा था, घिघियाये हैं, रोये हैं और अपनी जान की रक्षा माननीय गृह मंत्री से मांगी है और उसी रूसे को इसी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से खत्म किया और जनता की जान की रक्षा की? उन्हीं सदस्यों में पालीवाल जी का भी स्थान है। उन्होंने कई मिसालें दी, और सूचना विभाग के किसी अफसर के लड़के की, डी०आई०जी० साहब के यहां की चोरी की, हाफिज जी के यहां की चोरी की बड़ी कटु आलोचना की। इन चोरियों का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये था कि अपने देश के एक बड़े समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण जी का भी सामान चोरी हुआ था। इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। और जिस पुलिस की वे इतनी भर्त्सना करते हैं उसी ने जयप्रकाश जी के बटुये और बक्से का पता लगा कर उनको समर्पित किया और क्रिमिनल्स को सजा दिलाई। तो कहने का मतलब यह है कि, चोर, डकैत, गुंडा ये यह देखकर चोरी नहीं करते या जुर्म नहीं करते कि यह डी०आई० जी० है या मिनिस्टर है या क्या है, उनको तो जहां मौका मिला वहीं वे जुर्म करने की कोशिश करते हैं। अब यह पुलिस का काम है कि वह उन्हें पकड़ने में कहां तक सफल होती है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एक की व्याख्या में जाऊं और पालीवाल जी को यह समझाऊं कि पुलिस किस तरह से अपने कामों में सफल रही है। वे एक समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने एक प्वाइंट उठाया कि अपने प्रदेश की तरफ नहीं दे उनको समझना चाहिये कि सन् ४८ में इस प्रदेश के अन्दर १,५३५ डकैतियां हुई थीं जबकि सन् ५६ में केवल ९३२ डकैतियां हुई। अंग्रेज, जिनके जमाने में डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं था और काफी सख्ती के साथ हुकूमत होती थी, उस वक्त १९१९ में १,९५४ डकैतियां हुई थीं और सन् १९५६ में कुल ९३२ हुई। तो कितना क्राइम आपके यहां कम हो रहा है। इसके अलावा सन् ४८ में १,७४२ कत्ल हुये थे और १९५६ में १,५९९। इसके साथ ही सन् ४८ में ३,५१४ बलवे हुये थे और सन ५६ में ३,०८७। सेंध लगा कर चोरी सन्

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

४८ में ३३,५२३ हुई थीं और सन् १९५६ में १९,४२०। किसी भी जुर्म की संख्या आप लें तो आप देखेंगे कि उसमें कमी हो रही है।

पालीवाल जी ने कहा कि इस किताब में यह माना गया है कि जुर्म बढ़े हैं। उन्होंने सिर्फ सन् ५६ की फीगर्स पढ़ीं। लेकिन अगर पुराने जमाने से उसकी समीक्षा करते तो उन्हें मालूम होता कि जुर्म घटा है। इसके अलावा जो सन् ५६ में नोट दिया है उसको अगर वे पढ़ते तो उसमें साफ दिया हुआ है कि यह बढ़ोत्तरी इस कारण हुई है कि पुलिस विभाग में इस बात की कोशश की गयी है कि जो इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने बार-बार कहा है और मैंने खुद पिछले दिनों में यह सवाल उठाया है कि जुर्म छिपाये जाते हैं, उन्हें छिपाना नहीं चाहिये, यह उस आवाज का असर हुआ है और यह कोशिश की जा रही है कि छोटे से छोटे मामले को भी छिपाने की कोशिश न की जाय बल्कि उसे रोशनी में लाने की कोशिश की जाय। तो मेरी समझ में नहीं आता कि २,४ अधिक की संख्या पढ़ कर पालीवाल जी इतना तिलमिला क्यों उठे?

उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया। अगर वह देखते तो उन्हें मालूम होता कि इस ओर काफी प्रगति हुई है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को दूर किया जाय। इस विभाग में एक अलग विभाग की व्यवस्था की गयी है। जिले जिले में इस प्रकार का आर्गेनाइजेशन एक डी०आई०जी० के कन्ट्रोल में किया गया है जिसका सिर्फ यही काम है कि वह भ्रष्टाचार को रूट आउट करे। कुल ७,५२५ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। इनमें ६,०९१ शिकायतें पुलिस वालों के खिलाफ पाई गईं। इनमें से बहुतों को सजा दी गई और बहुत से अभी ट्रायल्स में हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद भ्रष्टाचार की बात कैसे की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले कि पुलिस के बजट पर कुछ कहूं अभी एक माननीय सदस्य का भाषण सुनकर मुझे याद आया कि एक दिन लखनऊ के एक बुजुर्ग नेता ने मुझे बताया था कि लखनऊ में एक प्रकार के लोग रहते हैं जिनको कश्मीरी कहते हैं? वे घरघर में जाते हैं तो कहते हैं कि "खुशवक्ती हो", "खुशवक्ती हो"। तो उसी तरह से मुझे याद आया कि जब हमारे मंत्रिगण अनुदान रखते हैं तो हमारे बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं "बधाई हो, बधाई हो"।

गृह विभाग के संबंध में और भी बहुत सी जरूरी बातें हैं जिन पर हमें बड़ी गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये। एक पुलिस के लिये किन बातों की आवश्यकता है? एक कांस्टेबिल कैसा होना चाहिये? मैं संक्षेप में कहूं तो उसे सुडौल होना चाहिये, पुष्ट होना चाहिये, सुन्दर होना चाहिये और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिये, उसको व्यवहार कुशल भी होना चाहिये। हेड कांस्टेबिल थाने में रिपोर्ट लिखता है उसको कानून की जानकारी होनी चाहिये कि किस दफा में वह मामला रजिस्टर कर रहा है। इतने सारे गुण उसमें होने चाहिये। जब यह सारे गुण उसमें होने चाहिये तो सबसे प्रथम ध्यान देने की बात यह है कि हम उसको कितना पैसा देते हैं। जितना रुपया हम उसको तनख्वाह की शक्ल में देते हैं क्या वह काफी है इस प्रकार के गुणवान् लोगों के प्राप्त करने के लिये? क्या भरपेट भोजन के लिये उनको तनख्वाह दी जाती है? आज एक घोड़े का जो एलावेन्स मिलता है उससे भी कम तनख्वाह एक पुलिस कांस्टेबिल को मिलती है। घोड़े के एलावेन्स के संबंध में बड़ी विचित्र बात है। एक थानेदार के घोड़े का एलावेन्स कम होता है एस० पी० के घोड़े का एलावेन्स ज्यादा होता है। थानेदार को घोड़ा कुछ कम कीमत में मिलता है और एस०पी० का घोड़ा ज्यादा कीमत में मिलता है। दोनों के लिये बाजार अलग अलग है, कीमत अलग-अलग। तो एस० पी० के घोड़े का जो एलावेन्स मिलता है उससे भी कम एक कांस्टेबिल को तनख्वाह मिलती है। ६ आने का भत्ता उसको

दिया जाय और फिर इस सदन में उससे यह उम्मीद की जाय कि वह अपने घर का खाना खाये और रात भर आपकी ड्यूटी पर टहलता रहे। ६ आना पैसा उसको मिले तो न मालूम वह किस बाजार में जाकर अपना पेट भरेगा?

इसके साथ ही साथ हमें यह भी विचार करना है कि जब एक आदमी पुलिस के यहां जाता है तो यह समझ कर जाता है कि अब उसको त्राण मिलेगा, लेकिन पुलिस का व्यवहार और उसके चारों तरफ जिस प्रकार का वायुमंडल है, सब मिलकर वह एक त्रासक बन गया है, टेरर हो गया है। पुलिस के नजदीक जाकर कोई यह नहीं महसूस करता कि अब वह सुरक्षित है बल्कि भय का अनुभव करता है। आप अनुमान करें कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई या किसी के पुत्र की हत्या हो गई तो जब वह थाने में जाता है तो बड़ी विचित्र बात यह है कि वहां उसके बैठने तक के लिये जगह नहीं है। होना चाहिये था कि पुलिस विभाग की ओर से इस बात की व्यवस्था होती कि जब इस प्रकार के पीड़ित लोग आयें तो उनके बैठने की व्यवस्था होती, उसने पानी पिया है या नहीं, यह देखा जाता, उसके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये था जिससे वह अपनी कठिनाइयों को आसानी से कह सके। लेकिन जब वह पुलिस के पास जाता है तो उसे केवल गाली और डंडे का भय होता है।

जहां तक अपराध को रोकने का प्रश्न है, इसमें पुलिस का कदम कुछ आगे बढ़ा है जरूर कि वह डंडे का प्रयोग करती है। जिन वैज्ञानिक उपकरणों का जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया, स्काटलैंड के कुत्तों आदि का या साइन्टिफिक ट्रेनिंग का, वह सब प्रयोगशाला में भले ही काम आते हों लेकिन पुलिस के व्यवहार में तो केवल एक डंडे का ही शास्त्र है जिससे वह सारा काम चलाती है। लोगों को पीटती है और उनसे जुर्म का इकबाल कराती है। इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे पुलिस विभाग का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिये कि उनका कुछ ऐसा मनोभाव बने कि वह व्यवहार-कुशल हों। मैं तो कहता हूं कि पुलिस अफसरों को क्रिमिनोलोजी और मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिये कि किस तरह का व्यवहार उनको लोगों के साथ करना चाहिये। वह अपने गवाहों के पास पहुंच कर, अपनी जानकारी के आधार पर असलियत तक पहुंच सकते हैं। अपने ज्ञान के बल पर उनको असली चीज का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये। तो जब तक व्यवहार का तरीका, उनका मनोभाव नहीं बदलेगा तब तक मैं नहीं समझता कि भले ही कोई सुधार का तरीका अपनाया जाय तो कोई कल्याण की बात दिखाई पड़ सकती है। अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसको ५० डंडे मार दिये जायं यह एक तरीका है, लेकिन और भी तरीके हैं कि जिन से अपराध की जानकारी हो सकती है और उसके नजदीक पहुंचने की बात हो सकती है, लेकिन वह कोई तरीका अपनाया नहीं जाता। पुलिस में सुधारवादी मनोवृत्ति नहीं है बल्कि डंडे से ही मार देने की प्रवृत्ति है, कत्ल करने की प्रवृत्ति है। ऐसी लज्जाजनक बातें यहां हुई हैं। कानपुर के वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की बात हमारे सामने है। अधिष्ठाता महोदय, मैं किसी अधिकारी की शिकायत नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस की शिकायत इस सदन में होती है सरकार की ओर से उसकी तरक्की हो जाती है। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी को दंडित करने के लिये उन अफसर साहब की तरक्की हुई। कमला सिंह जी के बारे में आत्महत्या की बात आई। तो इस तरह की बात कहना कारगर न होगा इसलिये कुछ और बातें मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे जिले बलिया में पुलिस विभाग समिति बनी जिसके सदस्यों को २०,२० की तादाद में एक रिंग से दूसरे रिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल यहां यह आया कि क्या पुलिस विभाग में इस प्रकार का संगठन बन सकता है या नहीं? मैंने इस संबंध में एक प्रश्न भी पूछा, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हां, बन सकता है। परसों से मैंने देश, विदेश की पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया

[श्री गौरीशंकर राय]

है और यह समझा है कि प्रत्येक देश में इस प्रकार की व्यवस्था है, केवल यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में जो व्यवस्था है उसके संबंध में आपकी इजाजत से मैं दो लाइन पढ़कर सुना देना चाहता हूं। उसमें कुछ रुकावटें हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका संगठन है। यह "लाइनें ब्रिटेन ऐन आफिशल हैंडबुक" नामक पुस्तक के पन्ने ९० पर हैं:—

"No member of the police service may belong to a trade union, since it is a basic principle of the service that its members must not only be free from political bias, but must also be seen to be free of it. The Police Act, 1919, however, laid it down that the police should have a statutory representative organisation of their own. This is known in England and Wales as the Police Federation and in Scotland as the Scottish Police Federation and all constables, sergeants and inspectors belong to it. Any part of the organisation can make representations to the individual police authority, to the individual chief Officer of police, or in England and Wales, to the Secretary of State for the Home Department and, in Scotland, to the Secretary of State for Scotland. Delegates from the Joint Central Committees of the two Federations sit on the Police Council."

अमरीका में भी इस प्रकार की व्यवस्था है।

आज जो उनकी परेशानयां हैं उनके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऊपर जाकर अपनी शिकायत सुना भी नहीं सकता। अगर एस० पी० महोदय की भ्रकुटि उन के ऊपर टढ़ी हो गई तो उस बेचारे के लिये संकट है। शिकायतों के लिये भी मैं "पुलिस प्लानिंग" नामक पुस्तक के पेज २२४ का कुछ भाग आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"A grievance committee may be of the same size and selected in the same manner as the disciplinary board. The committee should meet on the call of the chairman to consider matters brought to its attention by any member of the department."

डिपार्टमेंटल शिकायतों के बारे में सालों लग जाते हैं और उनका निपटारा नहीं हो पाता है। हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में जिन अफसरों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किये जाते हैं उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं होती। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में जो विशेष अपराध की स्थिति पैदा हो गई है उसमें आवश्यक बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों का आपस में समन्वय होना चाहिये और उन दोनों के सहयोग से इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये जिससे अपराधों की छानबीन हो। बिना कोआर्डिनेशन के यह कार्य नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि क्राइम घटते चले जा रहे हैं जैसी कि आपकी रिपोर्ट कहती है। इसका कारण आपने उचित तरीके से रिपोर्ट दर्ज करना बताया तो क्या पहले आप उचित तरीके से नहीं दर्ज करते थे? लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी रिपोर्ट जिस सन् ५१ से घटने की बात कहती है, मैं देखता हूं कि तब से और बढ़ते चले जा रहे हैं।

जहां तक पी०ए०सी० की बात है सोशलिस्ट सत्याग्रह में तो उसका प्रयोग होता है लेकिन वह उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर पहले थी लेकिन अब उसको हटा लिया गया है। वहां पर वह नहीं रह गयी है। वहां पर वह प्रयोग के लिये रखी गयी थी। अब उसकी जरूरत वहां पर नहीं समझी गयी है।

पुलिस विभाग में फेवरिटिज्म है। इसकी चर्चा यहां पर सदन में बहुत की जाती है। अगर वहां से यह पक्षपात की शिकायत हट जाय तो वहां पर अनुशासन ठीक प्रकार से कायम करने में सहायता होगी।

श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)––माननीय अधिष्ठाता महोदय आज इस माननीय सदन में मेरा यह पहला मौका है कि जब मैं इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। सब से पहले पुलिस मंत्री महोदय ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समर्थन करने के पहले इस माननीय सदन में चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों प्रायः २,४ विवाद पक्ष और विपक्ष के सुनने का मौका मुझे मिला है। उसमें मैंने यह महसूस किया है कि इस विभाग की महत्ता सभी स्वीकार करते हैं। जहां तक प्रदेश की सुव्यवस्था और सुरक्षा का सवाल है सभी तहेदिल से चाहते हैं कि यह विभाग उन्नतिशील हो और इसका स्तर ऊंचा हो ताकि इस प्रदेश का कल्याण हो। यहां तक कि हमने अभी माननीय पालीवाल जी के भाषण को सुना उससे कुछ हमारे ऊपर असर भी पड़ा। उन्हों बहुत कुछ बातें बतायीं। जैसा कि मेरा खयाल है कि जब हम लोग छोटे-छोटे वर्कर रहे माननीय पालीवाल जो इस विभाग के एक प्रशासनकर्त्ताओं में से थे और उनको इस विषय में काफी अनुभव भी है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस विभाग पर जो उन्होंने कहा कि इसके लिये जितने अनुदान की आवश्यकता हो हम मंजूर करने के लिये तैयार हैं लेकिन उन्होंने विभाग के प्रति जो खामियां बतायीं और माननीय गृह मंत्री जी से अपील की कि इस पर वह विचार करें जहां तक उनसे हो सके, इसके लिये मैं तो यह नहीं कह सकता कि इस विभाग में खामी नहीं है। खामियां हैं और सभी विभागों में कुछ न कुछ खामियां हो सकती हैं और होती हैं। जिनके हाथ में प्रशासनसूत्र होता है उसको वह दूर करते हैं। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, फिर भी अगर हम टीकाटिप्पणी में न जायं तो एक देहात के कार्यकर्त्ता के नाते जो थोड़े बहुत सुझाव मैं देना चाहता हूं उन पर मुझे आशा है कि माननीय गृह मंत्री स्वीकार करेंगे।

पहली बात यह है कि इसमें मैं यह खास चीज देखता हूं कि जितने भी विवाद अनुदानों पर होते हैं इस माननीय सदन में, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के यह कह सकता हूं कि सभी में भ्रष्टाचार की शिकायत होती है। जहां तक हमारी सरकारी बेंचों का सवाल है सरकारी बेंचों से बारबार कहा जाता है कि हम तो इनके समर्थन में हैं ही और इधर वालों का खयाल है कि विरोधियों का काम केवल आलोचना और प्रत्यालोचना करना है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य यहां हैं वे सब जनता के प्रतिनिधि हैं, ईमानदार हैं और वे सच्ची अनुभूति रखते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने पुलिस विभाग की खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया है और भविष्य में उनका स्तर ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। सब-इन्सपैक्टर के नीचे वाले तथा ऊपर वाले अधिकारियों को वर्दी भत्ता जिस तरह मिलता है, उन्होंने सब इन्स्पेक्टरों के भी वर्दी भत्ते का इस बजट में प्रबन्ध किया है। मेरा खयाल है कि अगर इस प्रदेश की पुलिस में योग्यता या कार्यक्षमता न होती या इनका नैतिक स्तर ऊंचा न होता तो हमारी केंद्रीय सरकार बम्बई या दूसरे प्रदेशों के लिये हमारे प्रदेश की पुलिस की मांग नहीं करती।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, वहां हमें यह सोचना है कि ये सब-इन्स्पेक्टर्स होते कौन हैं? ये हमारे और आप के बच्चे, भाई होते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट या प्रजा सोशलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, सभी के परिचित कुछ न कुछ लोग पुलिस में होते हैं। कहीं-कहीं जाति बिरादरी का भी सवाल आ जाता है। जिस समय सब इन्स्पेक्टर के चुने जाने का सवाल होता है, उन के आवेदन-पत्रों में आप देखेंगे कि हर पार्टी के चुनिन्दा लोगों के हस्ताक्षर

[श्री लोकनाथ सिंह]

मौजूद हैं। बहुतों की बड़ी ऊंची ऊंची तारीफें हैं कि यह होनहार नवयुवक हैं, इन में बड़ी लगन है और जो भी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जायगी उसका ईमानदारी से पालन करेंगे, वगैरह वगैरह। इसके लिए बड़ी-बड़ी सिफारिशें मिनिस्टरों तक की होती हैं। लेकिन जब वही लोग सब- इन्स्पेक्टर हो जाते हैं तो भगवान जाने कहां से इतना बड़ा ऐब उनके अन्दर आ जाता है। शायद यह विभाग का दोष है या और कुछ। वही लड़के हैं जो युनिवर्सिटी से निकलते हैं, रात दिन जुलूस निकालते हैं और पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें करते हैं। हम लोगों का ३० वर्ष का बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है और यहां बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके विचारों से हम ओतप्रोत हैं और जिनका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर है। मैं जब उन के आज से २० वर्ष पहले के विचारों की आज के विचारों से तुलना करता हूं तो मुझे जमीन-आसमान का अन्तर मालूम होता है। पता नहीं वे ही बदल गये हैं या क्या खास बात हो गयी है। जब आप यह मानते हैं कि प्रदेश के सुशासन के लिए पुलिस की आवश्यकता है तो हम यह भी मानते हैं कि चाहे जितने शासन यहां बदलें जब तक जनता का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक आप पुलिस से, जो भी भ्रष्टाचार है, उसे दूर नहीं कर सकते। अगर इस प्रदेश का हम कल्याण चाहते हैं तो कम से कम हम एम० एल० ए० जिनके हाथों में प्रदेश का भाग्य बन्धा है, पुलिस विभाग के लोगों को बैक करना छोड़ दें तो बहुत कुछ खामी दूर हो सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी सरकारी बेंचों के एक सदस्य ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सन् १९५४ से अपराधों में काफी कमी हुई है। इस के जवाब में मैं केवल इतना बतलाना चाहता हूं कि १५ अगस्त, सन् १९४७ के पहले और बाद में कितने अपराध होते हैं। सन् १९४५-४६ में ४८१ राहजनी, १९,६९६ नकबजनी, ४९१ डकैतियां, कत्ल के साथ ३७ डकैतियां, हथियारबन्द २८१ डकैतियां, और कत्ल २१९ हुये थे। कांग्रेस राज्य में १९४९-५० में ८८८ राहजनी, ३५, ५८५ नकबजनी, १,४८० डकैतियां, कत्ल के साथ डकैतियां १३१, हथियारबन्द डकैतियां ९७१, और कत्ल १,६७५ हुये। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाय तो पहले के राज्य में और अब के राज्य में अपराधों में पूरे पूरे दुगुने की वृद्धि हुई है। आज मन्त्री जी ने मीठे मीठे स्वरों में हमसे ९ करोड़ के लगभग अनुदान मांगा है। जब उत्तर प्रदेश का बजट ७ करोड़ का होता था, तब अपराध कम होते थे और ९ करोड़ का होने से अधिक अपराध हो गये। हुजूरवाला, ईश्वर के नाम पर उन आंकड़ों के जाल में न पड़ें जिन पर खास-तौर से माननीय माल मन्त्री हम को ले जाया करते हैं। बहुत से ऐसे अपराध भी हैं कि जब गरीब मजलूम उन को लिखाने के लिए थाने पर पहुंचता है तो वहां नहीं लिखा जाता है। उन की संख्या किसी को मालूम नहीं है। वह उसे ही मालूम है जिस पर बीतती है या वहां के राजनैतिक कार्यकर्त्ता को मालूम होता है, दूसरे को नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपराधों में खासकर वृद्धि हुई है।

श्रीमन्, इस पुलिस के अनुदान में दो ऐसी मुख्य चीजें हैं जिन में विशेष खर्चा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन वह पुलिस की रीढ़ हैं। वह पुलिस के कांस्टेबिल और ग्राम पुलिस हैं। कांस्टेबिलों की संख्या ४१ हजार से ज्यादा है और ग्राम पुलिस की संख्या ५०,७२० है। जहां तक उन के वेतन का प्रश्न है, ग्राम पुलिस को ५ रुपया तनख्वाह मिलती है और ४१,२१९ पुलिस कांस्टेबिलों को ३० रुपया से ६० रुपया तक मिलता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं ऊपर वाले अफसरों की तनख्वाहों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखें कि प्रदेश के इस विभाग में बड़े अफसरों की तनख्वाहों का क्रम क्या है। आई० जी०, डी० आई० जी० और ए० आई० जी० तीनों को वर्ष में कुल २,९४,३९४ रुपया मिलता है और आई० जी० का २,५०० रुपये से ३,००० रुपये तक का ग्रेड है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि जनता से जो सम्पर्क रखने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं उनको ५ रुपया मिलता है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान एक और कर्मचारी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसको २ रु० १० आना और २ रुपया १२ आना मिलता है। वह थाने का

मेहतर है। बड़े आफिसर्स जो यहां आते हैं उस को कुछ नहीं देते। सदन में मैंने एक प्रश्न दिया था, पता नहीं वह आया कि नहीं आया लेकिन आप ही देखिये कि एक ओर तो २ रुपया १२ आना और दूसरी ओर ३ हजार रुपया। मैं इस विषय पर माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गौर करें और सोशलिस्ट पार्टी का जो एक और १० का सिद्धान्त है उस को इसमें लाने का प्रयत्न करें। अगर वे ऐसा करेंगे तो बेचारे उन गरीबों का उद्धार हो जायगा।

श्री गौरीशंकर राय जी ने कर्मचारियों के यूनियन की बात कही। मैं उन को बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का १९२२ क. एक ऐक्ट बना ही हुआ है। वह ऐक्ट पहले बम्बई, कराची, ब्रह्मा और मद्रास के प्राविंसेज में लागू था। उस में लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मचारी अपनी देखभाल करने के लिए, इन्फर्म्स को मदद करने के लिए, अपने में से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, संघ बना सकते हैं। मगर अभी तक इस विभाग में इस ओर कोई प्रगति नहीं हुई है। इस विषय में आवाज उठाने पर भी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस कुछ नहीं करते हैं।

एक बात और है जिसकी ओर मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि पुलिस विभाग में टी० बी० के मरीज बहुत हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे पता लगा कर देखें कि भुवाली सेनीटोरियम में उनको सीट नहीं मिलती है। पुलिस के सिपाही जो पुलिस लाइन में खाना पाते हैं, वही खाना उनको वहां पर दिया जाता है। देवरिया जिले के पुलिस कर्मचारी कुछ टी० बी० के शिकार हुए। बड़ी मुश्किलात और परेशानियों के बाद उनको टेंट खाना बनाने के लिए मिला। जब कि एस० आई० के घोड़े को ४५ रुपया और एस० पी० के घोड़े को ६० रुपया माहवार मिलता है वहां इस घोड़े रूपी इन्सान को केवल ३० रुपया मिलता है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से कहूगा कि पुलिस के सिपाहियों के लिए भुवाली में कुछ सीटें अवश्य बढ़वायें। मुझे अफसोस है कि इस सम्बन्ध में इस अनुदान में ज्यादा धन नहीं मांगा गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस में और ज्यादा धन की आवश्यकता है। पुलिस वालों की चिकित्सा के लिए अच्छा प्रबन्ध माननीय मन्त्री जी को करना चाहिए और टी० बी० के मरीजों का भी उनको प्रबन्ध करना चाहिए।

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर आज पुलिस के द्वारा बड़ा भारी जुल्म कराया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि परसों ही सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता और इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर लाल जी को जब देवरिया जेल से बस्ती जेल में ट्रांस्फर किया गया तो डी० एस० पी० के आदेश से उनके हथकड़ी डाल दी गयीं। आज पुलिस को ऐसे अधिकार हैं कि वे जिसको चाहते हैं हथकड़ी डाल देते हैं और राजनैतिक कैदियों को भी वह नहीं छोड़ते। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय रामेश्वर लाल जी को हथकड़ियां पहना पर गाड़ी में ढकेल दिया गया। उन्होंने एक स्पेशल मैसेंजर द्वारा अपनी दुखद गाथा भेजी है। सोशलिस्ट सत्याग्रहियों को जिस तरह बड़े-बड़े अफसरों ने पिटवाया है, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बनारस, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। श्रीमन्, मैं गृह मन्त्री से कहना चाहता हूं कि वे रोजी रोटी की आवाज लगाने वाले सत्याग्रहियों, भुखमरी की आवाज लगाने वाली राजनीतिक पार्टियों और देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने वाले व्यक्तियों पर अल्लाह के नाम पर रहम तो करें।

श्रीमन्, मैं एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं कि पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी बनी थी और उस ने कुछ सुझाव दिये थे लेकिन मुझे पता नहीं कि उस कमेटी के किन-किन सुझावों को काम में लाया गया। जहां तक मैं समझता हूं और समझ पाया हूं पुलिस के संगठन के बारे में जो पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का वह अंश लागू नहीं किया गया और इसी से ग्रामीण पुलिस ५ रुपया पाती है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो माननीय गृह मन्त्री जी ने पुलिस के ऊपर अनुदान का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने माननीय पालीवाल जी के भाषण को और माननीय गौरी शंकर राय तथा माननीय उग्रसेन जी के भाषण को सुना। मैं इतना जानता हूं कि माननीय पालीवाल जी उन बुजुर्गों में से हैं जिन्होंने सरकार के साथ रहकर काफी दिनों तक शासन चलाया है, लेकिन मैं उनके भाषण को सुन कर बड़े आश्चर्य में पड़ा, जब उन्होंने, यदि मैं कहूं कि स्पष्ट शब्दों में खुली गाली नहीं दी, लेकिन मैं कहूंगा कि वह गाली से कम बात नहीं थी। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहूंगा कि जब वे इस हाउस में आनरेबिल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कभी इसके ऊपर विचार किया था कि पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है? क्या कभी उन्होंने मानवता की कमी को समझते हुए इस पर विचार किया था कि सचमुच पुलिस क्या है और क्या नहीं है? अगर नहीं, तो इसे मैं अवसर की बात ही कहूंगा। संसार के अन्दर हर एक व्यक्ति को अपने को भी देख लेना चाहिए कि वह शीशे के अन्दर कितना चमक रहा है, कितना नहीं।

इन बातों के अलावा एक बात मैं और कहूंगा कि आचरण के बारे में भी उन्होंने कहा कि पुलिस का आचरण बहुत गिरा हुआ है, मन्त्रियों के ऊपर भी उन्होंने टीका टिप्पणी की। मैं उन से यही कहूंगा कि मन्त्री होते हुए भी अपने आचरण को उन्होंने कहां तक सम्भाला और कहां तक नहीं, इन सब बातों का ख्याल करके ही उनकी कोई बात अपने मुंह से निकालनी चाहिए। पालीवाल जी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं और इस सदन के भी माननीय सदस्य बड़े आदर की दृष्टि से उनको देखते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं समझता था कि वे इतनी छोटी-छोटी बातें इस सदन में उपस्थित करेंगे।

खैर, मुझे तो अब प्रमुख चीज पर आना है। यों तो सारे संसार के अन्दर हर एक-एक दूसरे को छोटा और बड़ा समझता है लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं और बस्ती जिले के ही दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। श्रीमन्, जिस वक्त मार्च के महीने में जोरों का चुनाव चल रहा था, और सारी पुलिस चुनाव के दौर में लगी हुई थी कि कहीं कोई गड़बड़ी न होने पावे, उस समय हमारे यहां दो जगह, धर्मसिंगवा बाजार उस्का में और मेंहदावल के पास एक गांव में सशस्त्र डकैतियां पड़ीं। लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ५-६ कांस्टेबिलों को लेकर वहां के पुलिस कप्तान चले और दोनों की छानबीन करके, पता लगा कर उन्होंने सारा माल पकड़ा और उन डकैतों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। क्या यह पुलिस विभाग के लिए गर्व की बात नहीं है? जब कि पुलिस विभाग ही नहीं, सारी गवर्नमेंट की मशीनरी चुनाव में फंसी थी, उस समय में पुलिस कप्तान भी किस तरह से फंसा हुआ था, उसको एक क्षण की भी फुरसत नहीं थी। लेकिन पांच छः कांस्टेबिलों को लेकर दो दो सशस्त्र डकैतियों का पता लगाना, उनको गिरफ्तार करना और माल बरामद करना यह क्या बहादुरी का काम नहीं था?

मैं नहीं कहता कि आप बुराई न देखें। लेकिन आप यह भी देखिये कि कितनी अच्छाई है। हर एक व्यक्ति मानेगा कि पुलिस के छोटे कर्मचारियों का वेतन कम है। लेकिन कितना बड़ा हमारा प्रान्त है, कितना हमारा खर्चा है उसके अनुसार कितना वेतन दिया जा रहा है देखने की बात है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने घोषणा की है कि सौ रुपये से नीचे के कर्मचारियों को ५ रुपये की तरक्की देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं भूल नहीं करता तो यह भी उन्होंने बताया है कि जिस तरह से बड़े अधिकारियों के लिए है उसी तरह से पुलिस के छोटे कर्मचारियों के लिए भी दवा दारू का प्रबन्ध होगा। यही नहीं बल्कि उनके बाल बच्चों के लिए भी दवा दारू का प्रबन्ध किया है। अभी मैंने उग्रसेन जी को सुना कि उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। लेकिन उनको जिस समय माननीय मन्त्री भाषण कर रहे थे उसको सुन कर बातें कहनी चाहिये थीं। पुलिस के छोटे कर्मचारी, कांस्टेबिलों के बच्चों के लिए दवा दारू का प्रबन्ध सरकार ने किया है। सब इन्सपेक्टरों की वर्दी का भी प्रबन्ध किया गया है। क्या यह सब कुछ भी नहीं है?

एक बात मैं उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं। मेरे जिले के अन्दर राजस्थान से एक टोली बदमाशों की पहुंची। वह ठेकेदारी और नाना प्रकार के कार्य करने के लिए कदम बढ़ा रहे थे। बीच में कई जगह पर चोरियां हुईं जो बिलकुल नवीन ढंग की चोरियां थीं। उनका पता बस्ती जिले की पुलिस ने लगाया, गिरफ्तार किया और जेल के अन्दर ठूंसा। क्या यह अनोखी बात नहीं थी?

अभी श्री उग्रसेन जी की बातों से मालूम हुआ कि रामेश्वरलाल जी को पुलिस ने जेल के अन्दर बन्द कर दिया। क्या मैं आपके द्वारा कह सकता हूं कि वही रामेश्वरलाल जी हैं जो जिस समय चुनाव लड़ कर आये, उस समय जो नंगा नाच उन्होंने किया क्या वह मानवता के लिए ठीक बात थी?

श्री अधिष्ठाता—(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) क्या आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं?

श्री उग्रसेन—जी हां।

श्री अधिष्ठाता—(श्री धनुषधारी पांडेय से) आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि रामेश्वरलाल जी को जेल कर दिया बल्कि मैंने यह कहा कि ढकेल दिया, हथकड़ियां पहनायीं और ले गये।

श्री अधिष्ठाता—आप जारी रखिये अपना भाषण।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं कह रहा था कि श्री रामेश्वरलाल जिनके बारे में आपने सुना कि उनको जेल के अन्दर बन्द किया, और क्या नहीं किया, उन्हीं रामेश्वरलाल जी के बारे में सदन को सूचना देता हूं कि वह वही रामेश्वरलाल हैं जो पिछले चुनाव में चुन कर आये तो कैसा नंगा नाच उन्होंने अपने जिले में किया। जो उनके प्रतिद्वन्दी थे, उनके मुकाबले में खड़े थे, उनकी नकल बनायी।

श्री अधिष्ठाता—(श्री जगन्नाथ लहरी के खड़े होने पर) आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज करते हैं?

श्री जगन्नाथ लहरी—जी हां।

श्री अधिष्ठाता—(श्री धनुषधारी पांडेय से) आप बैठ जाइये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन के अन्दर मौजूद नहीं है उसके बारे में विवाद करना कहां तक उचित है?

श्री अधिष्ठाता—सदन के अन्दर जब तकरीर की जाती है तो हवाला दिया जा सकता है। अलबत्ता ऐसे शख्स का नाम लेकर नहीं कहना चाहिये जिनको यहां कहने तक का मौका न हो।

श्री जगन्नाथ लहरी—नाम लेकर व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य जब किसी मेम्बर के मुताल्लिक कोई बात कहें, तो ज्यादा बेहतर यह होगा कि मेम्बर साहब बस्ती, मेम्बर साहब गोरखपुर कहा जाय। नाम न लिया जाय।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं कह रहा था कि मेरे जिले के एक भूतपूर्व एम० एल० ए० ने जो गत चुनाव के बाद रचना रची, उसको सुनकर मैं समझता हूं. . . .

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आप ने अभी कहा है कि माननीय मेम्बर, बस्ती या गोरखपुर करके कहा जाय तो हर जिले से ७, ८ मेम्बर आते हैं, तो उसमें सभी मेम्बर आ जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—आप यह कह सकते हैं कि फलां जिले के एक मेम्बर साहब। एक मर्तबा उनका नाम ले लिया गया फिर बार-बार एक नाम को दोहराना अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं चाहूंगा कि जो मेरा समय इसमें बर्बाद हुआ है उसको मुझे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपको २ मिनट और दे दूंगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—मैं कह रहा था कि इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं तो मुझे यह भी देखना चाहिए कि कहां तक पुलिस में गड़बड़ी है और कहां तक अच्छाई है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे अपने वाक्य को प्रान्त की रक्षा के लिए निकालना चाहिए। श्रीमन्, मैं एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे जिले के अन्दर अभी एक डाकू था जिसने गोंडा और बस्ती में आतंक फैला रखा था। उस को हरैया तहसील के चन्द कांस्टेबिलों ने घेरा और गोली का शिकार बनाया। तो क्या यह कम बहादुरी की बात थी? लेकिन साथ साथ .....

(श्री झारखंडे राय द्वारा सीधे बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता—आप लोग आपस में बात न करें। चेयर को ऐड्रेस करके कहें।

श्री धनुषधारी पांडेय—मुझे झारखंडेराय जी ने एक बात याद दिलाई उस को कह देना जरूरी है। जो कुछ भी गड़बड़ी अगर जिले के अन्दर या नैपाल की सरहद पर है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वह जरा ध्यान दें अपने साथियों को आगाह करें कि अपने हथकंडों के द्वारा जिले को तबाह न करायें। उस से केवल मेरी ही बुराई नहीं होगी सभी की होगी। पुलिस का कोई दोष नहीं हो सकता है, वह तो दोष हो सकता है पार्टियों का, विशेष व्यक्ति का। विशेष व्यक्तियों के द्वारा अगर यह कहा जाय कि देश में अशान्ति है और उसको पुलिस पर थोपा जाय तो मैं इसको मानने के लिये तैय्यार नहीं हूं। अंग्रेजों का भी उदाहरण दिया गया कि उनके जमाने में कम क्राइम थे। लेकिन उस जमाने में क्या कोई जबान खोल सकता था? सबको याद होगा कि उस समय छोटे-छोटे क्राइम तो लिखे नहीं जाते थे। आज क्या है जरा आवाज हमने दी, सत्याग्रह का भी रूप लिया और नाना प्रकार की घटनायें होने लगीं। छोटे से छोटे क्राइम भी लिखे जाते हैं। लेकिन अगर पिछली बातों को देखें तो मुझे दावे के साथ कहना पड़ेगा कि पुलिस जिस दृढ़ता और शान्ति के साथ काम कर रही है वह सराहनीय है।

श्री उग्रसेन—जिस सत्याग्रह का माननीय धनुषधारी पांडेय जी ने जिक्र किया उसको महात्मा गांधी जी ने प्रस्थापित किया था।

श्री अधिष्ठाता—आप बीच में कुछ न कहें। अपनी तकरीर में इसका जिक्र कर सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं खड़ा हुआ हूं माननीय पालीवाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये। अभी थोड़ी देर पहले जो तकरीरें मैं सुन रहा था उससे मुझे ऐसा लगा कि इस विषय के ऊपर ज्यादा गर्मी जनरेट हो गई है और कारण मैं समझता हूं श्रीमन्, कि पुलिस संस्था के नाते विचार न करते हुये व्यक्तिशः हम लोगों ने विचार करना प्रारम्भ कर दिया है। श्रीमन्, मैं व्यक्तिशः विचार करने के लिये तैय्यार नहीं हूं।

(इस समय ३ बजकर १९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं तो पुलिस पर एक संस्था के नाते विचार करूंगा। आज इस प्रांत की पुलिस के बारे में जो शिकायतें हैं, बहुत मात्रा में सही हैं। उसका कारण यह है कि पुलिस का ढांचा और पुलिस की संस्था आज उसी प्रकार है जिस प्रकार विदेशियों ने अपने राज्य को दृढ़ रखने के लिये उसका निर्माण किया था। हर देश में पुलिस का निर्माण उस देश की परिस्थिति, उस देश के शासनकर्त्ताओं के दृष्टिकोण को सामने रखकर हुआ करता है। हमारे देश में पुलिस का निर्माण एक विदेशी शासन के द्वारा हुआ था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह न समझ लिया जाय कि इस देश में पुलिस का निर्माण ही नहीं था। लेकिन आज की जो पुलिस है उसके निर्माण करने में विदेशी शासनकर्त्ता का दृष्टिकोण एक ही था कि उसके आधिपत्य के अन्दर किस प्रकार लोगों को दबाकर रखा जाय, जिससे कि तथाकथित शांति के नाम पर, जिसको कि हम श्मशान घाट की शान्ति कह सकते हैं—राज्य स्थिर रूप से चल सके। इन भावनाओं के साथ इस देश की पुलिस का जन्म हुआ। लेकिन आज परिस्थिति बदल गयी है। आज तो वास्तव में पुलिस की संस्था के पीछे दृष्टिकोण यह होना चाहिये था कि देश में शान्ति इसलिये रखी जाय जिससे देश का निर्माण व उत्थान शान्तिपूर्ण ढंग से हो सके। उस निर्माण के अन्दर किसी प्रकार का विघ्न व बाधा न उपस्थित हो।

पुलिस के निर्माण के लिये दूसरा अंग सुरक्षा का कहा जा सकता है। सुरक्षा के लिये यह कहा जा सकता है और बहुत से लोग यह विचार कर सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास तो सुरक्षा की दृष्टि से एक सेना है और उसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, फिर प्रांतीय सरकारों को सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? मेरा विनम्र निवेदन है कि सुरक्षा की आवश्यक्ता है। मैं आगे कुछ कहने के पहले माननीय पुलिस मंत्री को उनके बजट में एक बात के लिये बधाई अवश्य दूंगा। शायद मेरे बधाई देने पर वे चौंकें कि विरोधी दल से बधाई कैसी? लेकिन मैं बधाई इस बात पर दूंगा कि जो उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम पर—क्यों न थोड़ा-सा ही रुपया हो और क्यों न उस ओर कदम थोड़ा ही उठाया हो, उस ओर कदम उठाया है। इसलिये मैं समझता हूं कि वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं इतनी आशा अवश्य रक्खूंगा कि इन इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग वास्तव में देश की सुरक्षा के लिये किया जायगा, क्योंकि सी० आई० डी० जिसका कार्य क्रिमिनल्स का इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये, उसका प्रयोग केवल राजनैतिक संस्थाओं और राजनैतिक लोगों के पीछे पड़ने का हुआ करता है, हालांकि उसको पड़ना चाहिये था पीछे वास्तव में उन लोगों के जो जुर्म करते हैं और जो क्राइम करते हैं।

श्रीमन्, यह जो इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाया है हमारे गृह मंत्री ने, मैं आशा करूंगा कि हम उसका प्रयोग फ्रन्टियर्स पर करेंगे। आज पहाड़ी क्षेत्र जो फ्रन्टियर हो रहा है, जो हमारी सीमाएं हैं, उनके सम्बन्ध में समाचार हम विदेशों के रेडियो पर सुन सकते हैं और उस सम्बन्ध में समाचार हमको अपने देश के अखबारों में और रेडियो में बाद में मालूम होगा। तो, श्रीमन्, यह किस बात का द्योतक है? आज विदेशियों के जासूसों का जाल ज्यादा सुसंगठित रूप में फैला हुआ है। यह बात देखकर मुझे आश्चर्य हुआ।

कुछ समय पहले मैं अल्मोड़ा से पिंडारी ग्लेशियर्स की ओर जा रहा था। वहां एक सेब का बाग मशहूर है। पहाड़ों में पैदल चलने के बाद भूख लगती है और गृह मंत्री ने भूख को बहुत मान्यता देते हुये स्वीकार किया है कि लंच आवर में नहीं जायेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। वह भी ब्राह्मण और मैं भी ब्राह्मण। दोनों को भूख लगना स्वाभाविक है। उसी भूख की निवृत्ति के लिये मैं ऐपिल गार्डन की ओर गया तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां कोई आदमी नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, नजदीक कोई गांव नहीं है, वहां आज अमेरिका का एक मिशनरी वर्तमान है। क्या वह वहां पेड़ पत्तियों की रक्षा कर रहा है? अपने पन्थ की शिक्षा दे रहा है? क्या वह पेड़ पत्तों की दवा-दारू का प्रबन्ध कर रहा है? स्पष्ट कहना पड़ेगा कि वह जासूसी का प्रयास कर रहा है और दूसरा कोई कारण उसके वहां रहने का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं ऐसे मसले यहां न उठाये जायं जिनसे हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता हो ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं उदाहरण दे रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—एक उदाहरण दे दिया, वह काफी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—ठीक है, मैं यह कह रहा था कि हमारे देश में हमारी सीमाओं पर वह जासूसी का जो जाल बिछा हुआ है उस को रोकने के लिये अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग किया जायगा तो हमारे मंत्री महोदय ने जो प्रयास किया है वह अवश्य सफल होगा । जहां तक रही पुलिस की बात, मैं यह निवेदन करूंगा कि अब भी पुलिस के भीतर की भावना जो वास्तव में देश के उत्थान के लिये शान्ति स्थापित करने की होनी चाहिये थी वह नहीं दिखाई देती । आज उसका अभाव है और उस अभाव का परिणाम है कि आज उनको कहना पड़ा कि उनको बड़ा खेद है कि उन्नाव में एक ऐसी घटना घटी । वह क्यों घटी है ? उस घटना घटने का भी एक ही मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कि उनके अन्दर यह भावना है कि आज भी हम शासक हैं, आज हमारे उतने ही अधिकार हैं जितने कि शासकों के अधिकार हैं । आज यह भावना नहीं है कि हमें समाज के अन्दर सेवा के भाव से संरक्षण करने के लिये, सुरक्षा के लिये, खड़ा किया गया है । श्रीमन् मैं इंगलैंड का उदाहरण दूं कि वहां की साधारण जनता के अन्दर पुलिस के बारे में ए ज ए फ्रेंड, मित्रवत्, विचार हैं । मैं उदाहरण दूंगा कि मेरे एक मित्र इंगलैंड से लौटे हैं । उन्होंने मुझे अपना एक अनुभव बताया है कि वह एक किसी दुकान पर सामान खरीदने गये थे और जिस प्रकार से सामान लेते समय दुकानों में जेब काटने वाले यहां पर होते हैं, वैसे ही वहां पर होते हैं । तो उस दुकान पर किसी ने चोरी हुआ सामान उनकी जेब में डाल दिया । उन्होंने जब अपनी जेब में हाथ डाला सिगरेट निकालने के लिये तो चोरी का सामान मिला । उन्होंने वह सामान लेकर बिना किसी संकोच के जो कांस्टेबिल ट्रैफिक ड्यूटी पर था उसको जाकर दे दिया और कहा कि मेरी जेब में किसी ने छोड़ दिया, जो उचित कार्यवाही हो वह करो । तो श्रीमन्, उस आदमी के अन्दर यह विश्वास था कि यह कांस्टेबिल मुझे भी इस चीज में फंसाने की कोशिश नहीं करेगा । इसी दृष्टि से उसने उस सामान को उसके हवाले कर दिया । परन्तु आज यहां जिनको थाने या कोतवालियों में जाने का अनुभव है उनका क्या कटु अनुभव है ? कितना ही सच्चा मामला क्यों न हो, प्रामाणिक मामला क्यों न हो परन्तु कानून का दाव-पेंच लगाकर डराने और धमकाने की चेष्टा की जाती है । आज इस विभाग के अन्दर यह व्यभिचार मौजूद हैं जिस से आखें बन्द नहीं की जा सकतीं । एक उदाहरण दे दूं, श्रीमन, कि जितनी ट्रकें वाराणसी से जौनपुर में पास होती हैं उन में प्रत्येक ट्रक पर एक एक दो-दो रुपया बन्धा हुआ है । इस प्रकार का व्यभिचार हो रहा है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप "व्यभिचार" या "भ्रष्टाचार" किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अगर इस भ्रष्टाचार को "व्यभिचार" कहें तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप " भ्रष्टाचार" ही कहें तो ज्यादा अच्छा है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—भ्रष्टाचार ही कहूंगा । इस को रोकने का केवल एक ही उपाय है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसके लिये पुलिस फोर्स की मारेल एजूकेशन होनी चाहिये थी, वह आज नहीं है । श्रीमन्, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सैकड़ों रुपये रोज का हो, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसको एक कांस्टेबिल करता है । यह बहुत दूर तक फैला हुआ है । अगर इसकी जांच करने का प्रयास किया जाय तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्थान पर इस की जड़े आपको मिलेंगी ।

संख्या १७---लेखा शीर्षक: २९---पुलिस

श्रीमन्, आज जो हमारे कांस्टेबिलों का यह तरीका है उसका कारण यह है कि उनको संरक्षण नहीं मिलता। संरक्षण का अर्थ यह है कि मिलिटरी की तरह लीडरशिप के प्रिंसिपिल के ऊपर जिस तरह से प्लैटून की जिम्मेदारी पूरे की एक एन० सी० ओ० के ऊपर होती है--कहां है हमारी पुलिस का संगठन उसकी तरह ? आज उसके अन्दर रेस्पांसिबिलिटी की भावना का अभाव है। उस रेस्पांसिबिलिटी की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये, उसको जगाने के लिये कहां प्रयास किया जा रहा है ? आज कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट एस० पी० को जाती है। एस० पी० उसको डी० एस० पी० को डायरेक्ट करता है। डी० एस० पी० उसको आर० आई० के पास भेजता है और वह फिर सर्किल इंस्पेक्टर के पास होती हुई एस० ओ० के पास पहुंचती है जिसको वह कांस्टेबिल के मत्थे कर देता है।

अब वास्तव में पता लगाने की जिम्मेदारी किसकी है ? जब उनके अंदर सेंस आफ रिस्पांसीबिलिटी का निर्माण किया जायगा तभी वह उनके अंदर रहेगी और वह सोचेंगे कि अगर हम इस कार्य को करते हैं और इसमें सुधार करते है तो उसका श्रेय हमको मिलेगा और अगर हम इसमें असफल होंगे तो बुराई हमको मिलेगी। जब यह भावना आप उनमें रख सकेंगे तभी में समझता हूं कि आप भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। इस वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर भ्रष्टाचार का रोकना सम्भव नहीं है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आज जो आपका लो पेड स्टाफ है जैसे कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल हैं, आज उनको तनख्वाह उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल रही है। जब वह लोअर पेड हैं, उनसे मोरल की आशा करें तो वह थोड़ी सी निर्मूल हो सकती है। इसलिये आज उनकी तनख्वाह बढाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा और वे मोरेली भी ऊपर उठेगें तब हम श्रीमन्, आशा कर सकते हैं, उनमें ईमानदारी का व्यवहार हो सकता है।

जहां तक श्रीमन्, ट्रेनिंग का सवाल है मैं समझता हूं कि वह बड़ी रफ और रेडी होती है। भले ही मुरादाबाद में ट्रेनिंग ऊंचे स्तर की हो। लेकिन कांस्टेबिल की ट्रेनिंग जो कि हमारी पुलिस के रीढ़ हैं, बहुत अच्छी होनी चाहिये। उनकी ट्रेनिंग बड़ी रफ और रेडी है। इसलिये उनकी उचित ट्रेनिंग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी का परिणाम होता है कि आज हमें पुलिस में रफनेस दिखाई देती है। मैं इसका श्रीमन्, एक उदाहरण इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को अवश्य मानेंगे कि माननीय सदस्यों को हथकड़ी नहीं पहनाई जानी चाहिये। माननीय सदस्य ही क्यों बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जो डिफरेन्स आफ ओपीनियन रखते हैं उनको भी नहीं पहनाई जानी चाहिये। लेकिन पुलिस की पाशविक व्यवहार करने की भावना होती है जो रफ और रेडी ट्रेनिंग की वजह से ही होती है और इसीलिये उनके अंदर इस तरह का व्यवहार देखने में आता है। आज इसी तरह का व्यवहार राजनीतिक बंदियों के साथ दिखाई पड़ेगा। जब हम उनकी ट्रेनिंग उचित ढंग से देने की ओर प्रयत्न करेगें तभी उनमें परिवर्तन हो सकता है।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जब करप्शन की बात होती है, तो कभी ऐन्टी करप्शन कमेटी का नाम लिया जाता है, कभी डिप्टी सुपरिटेंन्डेन्ट आफ कम्पलेंटस का नाम लिया जाता है। लेकिन मैं यहां इतना कह देना चाहता हूं कि बहुत सारे अफसरों के रखने से आप भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं। मैं इस संबंध में एक उदाहरण सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। एक सज्जन थे उनको अफीम की चाह थी। जब उनको मीठे खाने का शौक होता तो वह सेर भर बालाई मंगा लिया करते थे। उनका एक नौकर था जो बड़ा ही चतुर था। जब यह सज्जन अफीम की पिनक में होते थे तो वह आध सेर बालाई उनको देता था और आध सेर वह खुद खा जाया करता था। एक दिन उन सज्जन ने सोचा कि यह नौकर घूस खाने लगा है। इसलिये इसके ऊपर एक निरीक्षक रखा जाय। उन्होंने निरीक्षक रख लिया। निरीक्षक महोदय ने नौकर से कहा कि इस आध सेर बालाई में से चार छंटाक तुम खाया करो और चार छंटाक हम खाया करेंगे। उनको तो जिस समय वह

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

पिनक में ही खुरचनी दे दिया करो। कुछ दिन बाद सेठ जी ने कहा कि दूसरा निरीक्षक रखा जाय। उस निरीक्षक ने कहा कि आप लोग सब पागल हैं। जितनी बालाई है वह हम सब लोग खा लिया करेंगे और पत्तल में जो बालाई लगी रह जाती है वह उनकी मूंछों से रगड़ देंगे जब वह अफीम के नशे में चूर होंगे। लिहाजा वैसा ही किया गया। सुबह सेठ जी ने कहा कि यह निरीक्षक बड़ा ईमानदार है। इसने सब बालाई हमें खिला दी है क्योंकि अभी तक बालाई हमारी मूंछों पर लगी हुई है। श्रीमन्, यदि आप बहुत से आफिसर्स रखेंगे तो इसी तरह का हाल होगा और सारी बालाई गायब हो जायगी और मूंछों पर केवल खुरचनी ही खुरचनी दिखाई पड़ेगी।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अंदरूनी परिवर्तन करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी इधर ध्यान दें और उनके मारल को ऊंचा उठायें, शिक्षा के द्वारा उनके चरित्र को जगाने की आवश्यकता है। इसकी ओर यदि ध्यान दिया गया तो मैं समझता हूं कि पुलिस के ऊपर जो आजकल आक्षेप होते हैं उनकी मात्रा में बहुत हद तक कमी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज दिन भर जो डिस्कशन इस हाउस के अन्दर होता रहा वह मैंने बड़े गौर से सुना और खास तौर से मुझे वहां बैठने का मौका मिल गया था जहां आप तशरीफ़ फरमा हैं इसलिये मुझे और ज्यादा इत्मीनान के साथ और ज्यादा दिलचस्पी के साथ तमाम तकरीरें सुनने का मौका मिला। कुछ मेरी समझ में ऐसा आता है कि हमारे सदन के अन्दर जो कुर्सियां रखी हुई हैं ये कुछ अजीब किस्म की तासीर रखती हैं, कुछ इनमें बिजली की खासियत है कि जो भी इन पर बैठता है वह उसी किस्म की आवाज बुलन्द करता है जैसी इन पर पहले बैठने वाला बुलन्द किया करता था। मुझे वह दिन भी याद है कि जब यहां दूसरे किस्म के लोग बैठते थे और इसी किस्म की आवाज बुलन्द किया करते थे। इससे मैं यह महसूस करता हूं कि शायद वह विभाग जिस पर डिस्कशन हुआ है अपनी जगह पर बड़ा बदनसीब है कि जो कोई शख्स भी यहां आकर बैठता है उसके मुताल्लिक उसी राय का इजहार करता है जो उस पर बैठने वाले पहले आदमी किया करते थे। लेकिन जरूरत इसकी है कि जब इस सदन के अन्दर हम बैठें तो हम हर चीज को एक सही नजरिये से देखें, तौलें और परखें और उसके बाद कोई राय कायम करें।

मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें यह यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसलिये कि इस डिपार्टमेंट के सही तौर पर काम करने पर इस तरह का इनहसार हमारे सूबे और मुल्क के अन्दर शान्ति और अमनो अमान का होता है कि जो अगर नहीं होता है तो दुनियां की कोई तरक्की मुमकिन नहीं है चाहे वह जराअत की हो, तिजारत की हो या प्लानिंग की हो। इस एतबार से इस कसौटी पर परख कर अगर हम इसके ऊपर बहस करें तो मैं समझता हूं हम उससे कुछ नतीजा निकाल सकते हैं।

इस वक्त जो बजट हमारे सामने है उसमें जैसा कि माननीय मंत्री ने फरमाया ९ करोड़ से ऊपर हम पुलिस पर खर्च कर रहे हैं। हमें याद है कि एक जमाना वह भी था जब इसी सूबे के अन्दर पुलिस पर ७ करोड़ और तालीम पर सिर्फ ६ करोड़ रुपये खर्च किये जाते थे और लोग चीखते थे कि यह पुलिस स्टेट है। लेकिन आज पुलिस पर ९ करोड़ और एजुकेशन पर १५ करोड़ से ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो और नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स पर खर्च हो रहा है उससे साफ़ जाहिर है कि पुलिस के महकमे पर कोई बहुत ज्यादा रुपया खर्च नहीं हुआ और पुलिस के जरिये से जो कुछ इस सूबे में किया गया उसके ऊपर हम बजातौर पर नाज कर सकते हैं। यह सही है कि पुलिस में करप्शन है, बुराइयां हैं। मैं कोई पुलिस की तरफ से ब्रीफ नहीं रखता जो उन तमाम चीजों के मुताल्लिक यहां पर वकालत करूं लेकिन हमें अभी वह जमाना भूल नहीं कि जब सन् ४७ में इस मुल्क के अन्दर एक आग लगी हुई थी, इस मुल्क का पार्टीशन हुआ

था और हर जगह पर कम्युनल रायट्स हो रहे थे लेकिन इस सूबे की पुलिस को हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि शायद दुनिया के अन्दर खिराजे तहसीन मिला कि उसने उसके ऊपर बहुत उम्दा तरीके से काबू पा लिया।

इसके अलावा इस मुल्क के अन्दर दो बड़े एलेक्शन हुये जिसकी दुनियां में नज़ीर नहीं मिल सकती और इस बात को हर शख्स मानता है कि यहां के पुलिस फोर्स ने और हमारे दूसरे अधिकारियों ने कामयाबी के साथ उन एलेक्शन्स को चलाया और पूरा किया। लेकिन इसके साथ ही हम यह बात भी मानते हैं कि पुलिस में और दूसरे महकमों में करप्शन है, दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इसको दूर कैसे किया जाय? एक तरीका यह हो सकता है कि हम एक स्लोगन लगायें और कहें कि पुलिस करप्ट है। लेकिन इससे हमारे मसले का हल नहीं हो सकता। इससे किसी सूरत से भी हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। अगर हम किसी शख्स को बराबर करप्ट कहते रहें तो उसका नतीजा यह होगा कि वह सोचेगा कि हमारे बास और वे लोग जो हमारे एफर्ट्स को देखते हैं उनकी नज़र में जब हम कभी भी अच्छे नहीं बन सकते तो सब से बेहतर यह है कि हम अपनी जेबों को भरने की कोशिश करें। अगर ऐसा फ़्रस्ट्रेशन पैदा हो गया तो मैं समझता हूं वह दिन इस मुल्क और सूबे के लिये बुरा दिन होगा।

मैं इस सिलसिले में एक सुझाव भी पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर हम लोग पुलिस के महकमे को और अपने तमाम कर्मचारियों को किसी पार्टीबन्दी से अलग होकर एक नेशनल इंटरेस्ट के मातहत देखना शुरू कर दें तो ये दुश्वारियां बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। हमारे मुल्क और सूबे की भी एक बड़ी बदनसीबी रही है कि हम लोग छोटे-छोटे मसलों को जिनकी कि कोई बड़ी इम्पार्टेन्स नहीं है उनको एक पार्टी की ऐनक लगा कर उसके नुक्ते नजर से देखते हैं और इससे कभी भी कोई उम्मीद कामयाबी की नहीं हो सकती। यकीनन हम आज आजाद हो गये हैं लेकिन अभी मुल्क में गरीबी है, जहालत है, बीमारियां हैं, यह अभी वबाओं का मरकज़ है और इसे हमें दूर करना है। यह सब उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम मैक्सिमम कोआपरेशन पुल करें और उसके साथ आगे बढ़ें।

इसी तरीके से पुलिस का महकमा भी हमारे लिये जिन्दगी और मौत के सवाल से वाबस्ता है। हमारे सूबे और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के सवाल का इसी पर दारोमदार है। अगर हम इस मसले को कंट्रोवर्शियल बनायेंगे तो इसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि न सिर्फ पुलिस और पब्लिक के दरमियान बल्कि पब्लिक के आम लोगों के दरमियान इतनी खलीज पैदा हो जायगी कि जिसे भरना आसान नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कोई पुलिस की ओर से वकालत करने नहीं आया हूं। पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो करप्ट हैं और जिनके ठीक होने की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर जोर देता हूं कि करप्शन को दूर करने के लिये उनको सही रास्ते पर लाने की क्या सूरत है।

एक चीज तो यह है कि अगर आप यह चाहते हैं कि उनका स्टेन्डर्ड आफ एफीशियेंसी और उनकी स्टैंडर्ड आफ इंटेग्रिटी काफी ऊंची हो तो आपको इस बात का प्रबन्ध करना पड़ेगा कि इन लोगों को ऐसी तनख्वाहें दें जिससे ये लोग आबरू और इज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर करें। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि बावजूद माली दिक्कतों के गवर्नमेंट ने इस ओर एक कदम उठाया है। ९५ रुपये या इससे कम तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह में उसने ५ रुपये का इजाफा किया है। इससे उनको बहुत सकून मिलेगा। सरकार ने कांस्टेबिलों और हेड कांस्टेबिलों के परिवार के लोगों के लिये इलाज के मिलने में भी सहूलियतें दी हैं, और और भी सहूलियतें टाउन एरिया टैक्सेज़ वगैरह की दी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब काफी नहीं है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट को दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं और शायद माली दुश्वारी न होती तो आज जो बजट में उसने किया है उससे ज्यादा और करती, लेकिन उनकी दिक्कतें हैं जिनको हम सब को ऐप्रिशियेट करना चाहिये। तो हम सबको मिल कर सर जोड़कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम कहां से रुपया लायें और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करें जिससे वे अपनी जिन्दगी, आबरू

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

और इज्जत के साथ, बसर कर सकें और इंटेग्रिटी और एफीशियेंसी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकें।

इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक दो सुझाव और पेश करने की कोशिश करूंगा। जितने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैं उनको इस तरफ खास तौर से तवज्जह देनी चाहिए कि जब वे दौरे पर जायें तो वे इस तरह की मीटिंग काल करें जिनमें रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के लोग, जैसे गांव के प्रधान हैं, या अदालती पंचायतों के या पंचायतों के मेम्बर्स हैं उनको बुलावें। इन लोगों से एक खास किस्म का रिश्ता, एक खास किस्म का ताल्लुक पुलिस के आफिसरान जो वहां रहते हैं उन लोगों से पैदा होना चाहिये क्योंकि ये वे लोग हैं जिनमें पब्लिक ने कान्फीडेंस किया है और चुन कर भेजा है। उनको यह समझ कर रखा जाय जैसा कि पिछले जमाने में मुखिया होते थे, उनकी जैसी उनकी पोजीशन होती थी वैसी ही गांव के प्रधान की पोजीशन मान कर उनको आगे बढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह दिक्कतें बहुत हद तक दूर हो सकेंगी।

एक बात मैं गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९४७ में एक पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी इस सूबे के अन्दर बैठी थी डाक्टर सर सीताराम की सदारत में और उन्होंने काफी लेबर करके एक बड़ी रिपोर्ट दी थी। यह गवर्नमेंट के सामने है। उस रिपोर्ट का कहां तक इम्प्लीमेंटेशन हो सका यह मैं नहीं कह सकता। यह बड़े डिटेल की बात है और उसका यहां मौका भी नहीं है लेकिन मैं चाहूंगा कि १० वर्ष में हालात बहुत बदल गये हैं, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को मशविरा दूंगा कि वे फिर से एक कमेटी बैठावें और उस कमेटी के सामने उस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट भी दें कि वह उसमें तरमीम करके पेश कर सके तो ज्यादा अच्छा हो। उसमें खास तौर से विलेज पुलिस के मुताल्लिक, चौकीदार के मुताल्लिक बड़ा डिस्कशन था, जो अब तक तीन रुपये तनख्वाह पाता था और अब हमारी गवर्नमेंट ने उसकी तनख्वाह में ५ रुपये और इजाफा कर दिया है लेकिन अब उसकी जगह पर बीट कांस्टेबिल्स हलकों में रखे जायेंगे। तो इसमें रुपयों का मसला भी आता है और रिआर्गनाइजेशन का मसला भी पैदा होता है और ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर अजसरे नौ गौर करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मेरे लिये अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम सेक्योरिटी के काम को इतमिनान और सकून के साथ चलाना चाहते हैं तो, हालांकि यहां यह बात इसके मुताल्लिक नहीं है लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि हमको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Criminal Procedure Code) और खास तौर से एवीडेंस ऐक्ट (Evidence Act) को तरमीम करना चाहिये। अफसोस है कि वक्त की कमी के कारण मैं इसको तफसील के साथ बयान नहीं कर सकता लेकिन यह एवीडेंस ऐक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आज से ८० बरस पहले की हालत में बनाया गया था। उस वक्त से अब तक गोमती के पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है इसलिये जरूरी है कि इसका रिओरिएन्टेशन किया जाय और अगर नहीं होता तो पुलिस का काम सहूलियत से नहीं चल सकता, यह मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी चीज जिसके मुताल्लिक कई लोगों ने कहा भी है और जिससे मैं समझता हूं कि लोगों को कभी-कभी संतोष भी होता है वह है सेपरेशन आफ जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव की बात। किसी हद तक इनका काम अलाहदा-अलाहदा हुआ है, लेकिन आज भी यह तकाजा है कि इनको कतई तौर पर अलग-अलग कर दिया जाय। मैं तो कहूंगा कि सरकार इस मामले के मुताल्लिक भी छानबीन करे और इस पर गौर करे कि कहां तक यह चीज मुमकिन हो सकती है और किस तरह से इस काम को बढ़ाया जा सकता है, वह कोई कदम उठाने की कोशिश करे।

इन अल्फाज के साथ मैं इस ग्रान्ट का, जो कि माननीय मंत्री जी ने पेश की है, स्वागत करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन में माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है मैं उसकी ताईद में खड़ा हुआ हूं। किसी भी राज्य के चार स्तम्भ हुआ करते हैं—फौज, पुलिस, कचहरी और जेल। अंग्रेजो हुकूमत ने इस देश पर अपना अधिकार जमाने के बाद अपने राज्य को अक्षुण्य कायम रखने के लिये एक विशिष्ट दृष्टिकोण से इन सब संस्थाओं का निर्माण किया था। पुलिस भी उन्हीं में से एक है। जब आजादी के बाद समाजवादी, सुधारवादी सत्ताधारियों के हाथ में सत्ता हस्तान्तरित हुई, सरकार के कर्मचारियों ने इन चारों में कोई भी आमूल परिवर्तन करने के लिये एक भी कदम नहीं उठाया। पुलिस भी इसका अपवाद नहीं रही और इसीलिये आज पुलिस के दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। छोटे से छोटे केस को अगर हम देखें तब भी और बड़े से बड़े केस को अगर देखें तब भी हम एक ही बात देखेंगे कि आज पुलिस के दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। पुलिस विभाग को हमारे देश का और प्रदेश का एक प्रधान नागरिक किस निगाह से देखता है यही हमारे लिये पुलिस विभाग की सफलता या असफलता की एक मात्र कसौटी है। आज भी देश के प्रधान नागरिक और हमारे प्रदेश के नागरिक पुलिस विभाग को अपना रक्षक नहीं बल्कि एक तरह से उसको दबाने वाला, उससे घूस लेकर उसे तंग करने वाला और मौका पड़े तो और दूसरे तरीकों से उसे परेशान करने वाला समझते हैं। कारण क्या है? अंग्रेजी हुकूमत ने पुलिस का प्रयोग देश के जनवादी राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिये किया और वह हमेशा करती रही। आज भी मौजूदा सरकार के जमाने में विद्यार्थी आन्दोलन, मजदूर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, मध्यम वर्गीय आन्दोलन, इन सब प्रकार के आन्दोलनों को दबाने में पुलिस का जो रवैया अंग्रेजी हुकूमत तक रहा था वही कायम है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आज भी एक-एक गांव और एक एक जिले में अगर हम देखें तो स्थिर स्वार्थी वर्ग की, धनी और बड़े आदमियों की रक्षक यह पुलिस हमेशा रहा करती है। किसी गांव में, किसी जिले में, कोई झगड़ा खड़ा हो तो पुलिस को बहुत कम देखा जाता है कि गरीबों के पक्ष में वह वहां जाकर खड़ी हुई हो। इसलिये आज भी जनता का विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है। यदि कानपुर के मजदूर आन्दोलन को देखा जाय तो उसमें भी पुलिस ने मिलमालिकों का समर्थन किया, उनकी मदद की। गिरे हुए मजदूरों के साथ उसने जो व्यवहार किया उसका जिक्र इस सदन में कई कई बार आ चुका है, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। ऐसी हालत में पुलिस का जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी रवैया रहा है, हमारे देश की जनता के प्रति, उसके विभिन्न वर्गों के प्रति वही आज भी कायम है। पुलिस की सारी परम्परायें राष्ट्र विरोधी रही हैं। हमारे प्रदेश के नागरिक के प्रति पुलिस का रवइया तब्दील नहीं हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वेलफेयर स्टेट में पुलिस का बजट बढ़ता जाता है और पुलिस की संख्या बढ़ती जाती है। हमारा ख्याल है कि ज्यों-ज्यों हमारे प्रदेश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो त्यों-त्यों पुलिस के बजट में कमी होनी चाहिये। किन्तु अब इसका साफ अर्थ है कि हमारे प्रदेश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्राइम्स बढ़ने का जो सामाजिक और आर्थिक आधार है वह बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इसीलिये पुलिस की संख्या भी बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि मौजूदा कांग्रेस सरकार की बदनामी देहाती क्षेत्रों में और शहरों में जितनी पुलिस के कारण है उतनी और किसी कारण नहीं है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय आज हमारे शासक वर्ग के लिये होना चाहिये।

आज पुलिस के रवइये में परिवर्तन नहीं है। हमारे प्रदेश का कोई नागरिक कोई परिवर्तन पुलिस के प्रति महसूस नहीं करता। इसलिये पूरे शासन के प्रति उसकी उपेक्षा है। यह पुस्तक जो हमको दी गयी है इसमें पुलिस की सराहना की गयी है कि पुलिस और जनता के बीच सहयोग बढ़ा है। मैं समझता हूं कि इस पुस्तिक के ये वाक्य गलत हैं। पुलिस और जनता का सहयोग जितना पहले था उससे किसी प्रकार भी बढ़ा नहीं है यही सब से बड़ी कमजोरी पुलिस की सफलता की रही है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि आज भी पुलिस की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ रही है त्यों-त्यों अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके आंकड़े इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गये हैं और उनका कारण इस पुस्तक में बतलाया गया है कि थानों में अब रिपोर्ट सही दर्ज होती है

[श्री झारखंडे राय]

इसलिये वे बढ़े मालूम होते हैं। हमको इसमें सन्देह है। हम समझते हैं कि अपराधों की संख्या ज्यादा है और अपराध ज्यादा होते हैं और आर्थिक सामाजिक आधार पर उनको दूर करने के लिये नहीं दिया जाता और कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसलिये आज अपराधों की वृद्धि हो रही है। यह बात नहीं है कि अपराधों की संख्या रिपोर्ट सही दर्ज होने से बढ़ी। बहुत सदस्यों का यह अनुभव होगा कि डकैती के स्थान पर चोरी की रिपोर्ट लिखी जाती है। सेंध होती हैं तो उनको बन्द कर दिया जाता है और उनका कोई भी रिकार्ड नहीं रखा जाता है। इस प्रकार का अनुभव सभी माननीय सदस्यों का होगा।

मैं आपके पुलिस के जंगल कानून का एक नमूना इस सदन में पेश करना चाहता हूं जिससे पुलिस की मनोवृत्ति का पता चलेगा। खुद हमारे घोसी (आजमगढ़) थाने के एक थानेदार ने अभी हाल में एक केस चलाया। यह हमारे गांव का ही मामला है। वहां पर एक ही प्रकार के लोगों अर्थात् एक ही गोल को दो हिस्सों में बांट कर १०७ का केस उन पर चलाया, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि अभियुक्तों में दो सगे भाई हैं और उन दोनों को दो पार्टी में रख दिया गया है। एक का नाम सम्पत कुमार और दूसरे का कृष्णकुमार। उनको बड़ी परेशानी हुई कि इस तरह से दोनों सगे भाइयों को दो पार्टी में करने से केस कमजोर होगा। वहां पर पुलिस को कुछ आसानी नजर नहीं आई तो उसी सम्पत्ति कुमार नाम के एक और आदमी पर झूठा केस बनाया और सम्पत्तिकुमार धोबी मुलजिम है, ताकि केस कायम रहे और पुलिस की बदनामी न हो। नेपाल में मैंने सुना था कि बाप की जगह बेटे को सजा दी जाती है लेकिन कम से कम अपने देश और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं सुना था कि एक नाम के आदमी की जगह उसी नाम का दूसरी जाति का आदमी पकड़ कर बन्द कर दिया जाय।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है उसके बारे में कई बातें कही जा चुकी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक है। यों तो अपवाद भी हैं उनके लिये हमारे हृदय में स्थान है लेकिन आम तौर पर ऊंचे से ऊंचे अधिकारी भी इससे बरी नहीं हैं। यह आम बात जिलों में है और लोगों को इसकी जानकारी है कि हर थाने से थानेदार के जरिये बंधी हुई रकम अथवा वस्तुएं पुलिस कप्तान को भेजी जाती हैं। घूसखोरी, भ्रष्टाचार के भी नाना प्रकार होते हैं और अनेक रूपों में वह ली जाती है, तोहफों के जरिये से, या साहबों की बीवियों की नाना प्रकार की चीजों के जरिये से, बड़े-बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों से लेते हैं। तो क्या वे उसको अपनी तनख्वाह से देंगे? वे कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिलों को दबाते हैं और वे जनता को दबाते हैं। और इस तरह से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है। हो यह रहा है कि 'तू कहे न मेरी, मैं कहूं न तेरी'।

इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज और बता दूं, वह यह कि हमारे सभी जिलों में डी० एस० पी० कंप्लेन्ट की जगह कायम की गई है। लेकिन सरकार की यह स्कीम असफल रही है। दो तीन सालों तक कुछ काम करने के बाद अब वह बेकार हो गयी है और उसके काम में कोई प्रगति नहीं मालूम होती। पुलिस विभाग के द्वारा ही पुलिस की जांच हो यह कैसे सफल हो सकेगा, इस पर, माननीय मंत्री जी जिन्होंने इस विभाग को अभी संभाला है, अवश्य विचार करेंगे और अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे सफल हो सकेगा।

मैं आपकी आज्ञा से एक बात और कह देना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिसमें जस्टिस मुल्ला और जस्टिस चतुर्वेदी थे, उन्होंने एक केस में जिसमें सीतापुर के रामेश्वर प्रसाद नाम के एक कांस्टेबिल को सेशन अदालत से फांसी की सजा हुई थी और जिसको हाईकोर्ट से कालापानी कर दिया गया, उसमें माननीय जजों ने जो रिमार्क दिया है वह बहुत गम्भीर है। उसको पढ़ने से मालूम होता है कि प्रदेश में पुलिस का क्या तौर तरीका और रवैया है। मैं समझता हूं कि आज के पुलिस विभाग के बारे में जो आम जनता में भावना है, पुलिस विभाग ने जो आतंक का राज्य कायम किया है वह इससे स्पष्ट हो जायगा। उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"It is true that the ties of religion are strong, but it has come repeatedly in our experience that the ties of the Police uniform are stronger than the ties of any religion."

इसी सिलसिले में वे आगे अपने रिमार्क्स में कहते हैं---

"The very fact that the appellant was permitted to commit a crime of this magnitude in the presence of witnesses is a sad commentary on the way the police force maintains law and order in this country. The vanity of the police man was injured because Rambali (deceased) instead of tamely submitting to his brutal conduct, in a fit of desperation, threw a stone at him. The majestly of the police constable was offended and he could not tolerate any such resistance. This created a mad fury, and in this mad fury the police constable acted in a most inhuman, brutal and cruel manner. It is only in this country that such a crime is possible. A large number of persons see a man being beaten in such a manner and they make no attempt to save the victim. This indicates the terror which the police force has created in the countryside. No one has the courage to come in their way even when they are acting in such an inhuman and brutal manner."

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का जो आतंक जनता के ऊपर है वह आज भी वैसा ही कायम है ।

इसी सिलसिले में जो हमारा सी० आई० डी० का विभाग है उसके बारे में भी मैं कुछ कह देना चाहता हूं । हम लोग उसके शिकार रह चुके हैं । हम लोगों ने बड़े-बड़े षडयंत्र किये हैं और उन षड़यत्रों का भंडाफोड़ होते हुए हमने देखा है । हमने देखा है, यों तो हमारे सारे पुलिस विभाग में ही अनुशासनहीनता, अनिपुणता और ढीलापन ब्रिटिश दिनों से ज्यादा बढ़ा है, सी० आई० डी० विभाग में भी इनएफीशियेन्सी आ गयी है । बड़े-बड़े क्राइम हमारे समाज में होते हैं, अमानुषिक और असामाजिक, लेकिन हमारी सी० आई० डी० चुपचाप बैठी हुई है, जानबूझ कर अथवा किन्हीं कारण वह हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहती । माननीय गृह मंत्री जो देखें कि यह बड़ी गंभीर परिस्थिति है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि लखनऊ में ही १०-१० साल और १६-१६ साल से ऐसे पुलिस अधिकारी पड़े हुए हैं जिनका ट्रान्सफर नहीं हुआ है । ऐसे भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके लड़के पिछले पांच वर्षों में पाकि तान चले गये हैं और वहां अपना घर बसा लिया है । आज जब कि काश्मीर के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है और जब कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिये से यहां घुसपैठ की नीति अपना रहा है, जिसके कुछ न कुछ प्रमाण रोजाना मिला करते हैं, उस हालत में ऐसे कर्मचारियों पर हमारी निगाह कड़ी होनी चाहिये । इसमें भी सन्देह नहीं कि ऐसे लोगों के जरिये बहुत सी ऐसी सूचनायें जो बाहर नहीं जानी चाहिये, जाती हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचूंगा कि सी० आई० डी० की अकर्मण्यता और अनिपुणता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, अन्यथा इस राज्य को भारी खतरे का मुकाबला करना पड़ सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात मैं इतनी ही कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग को कर्त्तव्यपरायण करने की जरूरत है । लेकिन हम यह नहीं कहते कि पुलिस के सभी कर्मचारी अकर्मण्य हैं । जिनके खिलाफ शिकायतें होती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय और उन पर कार्यवाही करके एक नमूना पेश किया जाय । साथ ही साथ जो निपुण हैं कर्त्तव्य परायण हैं उन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय और जो नीचे के कर्मचारी हैं, उनके वेतन बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जाय और वेतन की असमानता को दूर करने का प्रयास कया जाय तभी पुलिस विभाग में आमूल सुधार के लक्षण दिखलायी पड़ सकते हैं ।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)——उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस सदन की शुरूआत हुई है तब से विरोधी दल की तरफ से पुलिस की निन्दा होती रही है। हम आलोचनाओं से घबड़ाते नहीं हैं। मगर आलोचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिस से पुलिस अपने अवगुणों को दूर कर सके, केवल आउट राइट कन्डेम्नेशन करने से कोइ विशेष लाभ नहीं हो सकता। माननीय पालीवाल जी ने दो चोरी की घटनाओं का जिक्र इस सदन में किया। एक तो श्री ए० एन० सप्रू, का और एक श्री बाजपेयी जी का। केवल दो घटनाओं को लेकर के कोई परिणाम निकालना कि यहां की पुलिस के कर्त्तव्यपालन में कमी है, या क्षमता में कमी है, या उसकी उपयोगिता नहीं है, मेरे ख्याल में यह उचित नहीं होगा। मैं अपने अनुभव से दर्जनों चोरियों के मुकदमों का वर्णन कर सकता हूं जिनमें पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ काम किया है। आप मुरादाबाद के बैंक केस को लें। मुरादाबाद के बड़े डाकखाने में ६४ हजार रुपये की चोरी हुई और पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ ५८ हजार रुपया बरामद किया। दूसरी घटना श्रीमन्, कोटद्वार की है जहां एक तिजोरी से ६० हजार रुपये का अभिलेख गायब हो गया, पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ उनकी खोज लगायी और वे सब के सब अभिलेख मिल गये। एक घटना लखनऊ की है जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण की एक अटैची गायब हो गयी थी, पुलिस ने २४ घंटे के अन्दर पता लगाया और उस अटैची के साथ सब के सब सामान मिल गये। एक और घटना बनारस की है, जो वहां के ईश्वरी मेमोरियल के एक लेडी डाक्टर से सम्बन्धित है। वह लेडी डाक्टर ट्रेन से सफर कर रही थी, और जौनपुर में दो तीन स्टेशन पहले चोर आये और उसके जेवरात को छीन कर उतर गये। एक हफ्ते के अन्दर ही सारे जेवरात बरामद हो गये और चोर पकड़ लिये गये। इसी तरह से कानपुर के जयपुरिया साहब के ८४ हजार के हीरे के जेवरात चोरी चले गये और पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ सब के सब जेवरात बरामद किये।

श्रीमन्, मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि यहां की पुलिस ने चोरियों का बड़ी पत्परता के साथ पता लगाया है। मैं फिर भी किसी परिणाम पर नहीं आना चाहता। इसी सदन में गोंडा के माननीय सदस्यों ने रूसे डकैत के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी से शिकायत की कि उसकी वजह से गोंडा की जनता बहुत त्रसित हो गयी है और १ महीने के बाद खबर मिली हम लोगों को कि उसका खात्मा कर दिया गया। १९५६ में २,६०० के करीब डकैत पकड़े गये और बहुत कुछ डकैतों का खात्मा किया गया जो यहां आतंक मचाये हुये थे।

जिस परिस्थिति में पुलिस श्रीमन्, काम कर रही है उस पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। एक फर्स्ट क्लास पुलिस स्टेशन पर १२ कांस्टेबिल होते हैं, एक हेड मुहर्रिर होता है और दो सब-इन्स्पेक्टर होते हैं। और १२ कांस्टेबिलों में से १ कांस्टेबिल तो आफिस का काम करता है और एक आध बीमारी की वजह से छुट्टी पर रहता है। केवल १० कांस्टेबिल एक स्टेशन पर काम करते हैं। यह पुलिस स्टेशन में पुलिस की स्ट्रेंथ होती है। श्रीमन्, आप देखें कि एक पुलिस स्टेशन के कमांड में करीब १ लाख जनता होती है और ५ मील के एरिया पर उनका कन्ट्रोल होता है। और यह फोर्स, सन् १९३४ से चला आ रहा है, कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। जो भी उदाहरण पेश किये गये हैं विरोधी दल की तरफ से मैं फिर भी कहूंगा कि जो अनुदान रखा गया है वह बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और अपराधों की बढ़ती को देखते हुए बहुत कम है। मैं आप के सामने यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि अपराध घटे हैं, अपराध निश्चय ही बढ़े हैं। मगर श्रीमन् देखेंगे और प्रान्तों से मुकाबला करेंगे तो मालूम होगा कि जितना पुलिस फोर्स यहां है और जो यहां की आबादी है उस के हिसाब से अपराध ज्यादा नहीं हुये हैं और प्रान्तों की बनिस्बत। मेरे सामने १९५५ की मद्रास गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने हर एक प्रान्त के पुलिस के बारे में उसका प्रोपोर्शन दिया है। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से पुलिस का प्रोपोर्शन .०९ है, वेस्ट बंगाल १.४, आसाम १.३, बम्बई २.०, ईस्ट पंजाब का १.६। और क्राइम को देखें, १ हजार की आबादी के ऊपर जो क्राइम है वह उत्तर प्रदेश में २.२ है, मध्य प्रदेश का १.४, वेस्ट बंगाल ३.१, आसाम का २.०१, बम्बई १४.१७। तो मैं कहूंगा कि अगर

हर प्रान्त से मुकाबला करें तो इस से नतीजा यही निकलता है कि हमारी पुलिस में कार्यक्षमता है और कर्त्तव्यपालन भी है।

एक बात और माननीय झारखंडे राय जी की तरफ से कही गयी, मैं उस के बारे में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता, मगर एक घटना मुझे याद आती है कि किसी समय में रूस का अमेरिका से कुछ सामान मंगवाने का कन्ट्रैक्ट था। और हड़ताल हो जाने से सामान अमेरिका से रूस नहीं आ सका तो अमेरिका के एम्बेस्डर ने जाकर स्तालिन से कहा कि सामान इसलिए नहीं आ सका कि अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। स्तालिन ने जवाब दिया क्या आप के प्रदेश में पुलिस नहीं है? श्रीमन्, इस से यह द्योतक है कि किस प्रकार रूस में पुलिस से काम लिया जाता है। यह माननीय झारखंडे राय को मालूम होगा कि कलेक्टिव फार्मिंग रूस में करायी गयी पुलिस के जरिये। और विशेष मैं नहीं कहूंगा। इंग्लैन्ड की पुलिस का भी हवाला इस सदन में दिया गया। मैंने भी वहां की पुलिस का इतिहास देखा है। मैंने देखा कि १९वीं सदी में जो वहां की पुलिस की हालत थी वही हालत आज यहां २०वीं सदी में है। वहां भी उस समय भ्रष्टाचार था। पुलिस वाले लोगों को परेशान करते थे। वहां एक कमेटी बैठायी गयी और कमेटी ने निश्चय किया कि कांस्टेबिलों को तनख्वाह अनस्किल्ड लेबरर से कम नहीं दी जानी चाहिए। श्रीमन्, हम देखें कि कांस्टेबिलों को तनख्वाह शायद ३५ रु० देते हैं और भत्ता मिला कर शायद ५०–५५ रुपये हो जाती है। २४ घंटे डयूटी ली जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और फिर हम उनका मुकाबला इंग्लैन्ड की पुलिस से करें, श्रीमन्, जहां कि उनको काफी वेतन दिया जाता है, तो वह अनुचित होगा।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कटौती का प्रस्ताव किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं एक बात सुन रहा था माननीय सदस्य, फर्रुखाबाद के मुख से कि उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य एक ही बात कहा करते हैं। श्रीमन्, मैं बतलाऊं कि उन माननीय सदस्य को इधर बैठने का भी तजुर्बा है। जब वे इधर बैठते थे तो वे भी ऐसी ही बातें कहा करते थे और गवर्नमेंट की भलाई उनको नजर नहीं आती थी और जब वे आज उधर बैठते हैं तो सब बातों में उन्हें गवर्नमेंट की भलाई नजर आती है . . .

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया। आप एक व्यक्ति को लेकर ऐसी बात नहीं कह सकते।

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि ऐसे लोग हैं जो इधर भी बैठ चुके हैं, और उधर भी बैठ चुके हैं उनसे पूछा जाय तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं।

श्री जगवीर सिंह—मैंने भी उसी बात की ताईद की थी और कुछ नहीं कहा था। अभी यहां जिक्र किया गया कि करप्शन बहुत कम है। क्राइम्स में भी बहुत कमी बतलायी गयी और १९४५–४६ के माननीय सदस्यों ने कुछ फीगर्स भी दिये। श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि १९४५–४६ में ७ करोड़ रुपये गवर्नमेंट के पुलिस विभाग पर खर्च हुये, लेकिन मैं श्रीमन् के द्वारा उनको बतलाऊं कि १९४५–४६ में ३ करोड़ ७४ लाख रुपये पुलिस विभाग पर खर्च हुए। अगर आप आज मुकाबला करें तो देखेंगे कि आज खर्चा करीब-करीब ढाई गुना बढ़ गया है और क्राइम्स में भी कोई कमी नहीं हुई है बल्कि प्रोपोर्शनेटली देखा जाय तो १९४५–४६ के हिसाब के मुकाबिले आज क्राइम्स में कुछ वृद्धि ही हुई है, कमी का कोई सवाल नहीं।

१९५४–५५ और ५६ के फीगर्स भी आप के सामने हैं। श्रीमन्, अगर आप देखें तो १९५५ में डकैतीज ८४४, राबरीज ४१४, और मर्डर्स १,४४८ हुए और १९५६ में डकैतीज ९३२, राबरीज ५६२ और मर्डर्स १,५९९ हुए। रायट्स सन् १९५५ में २,७६५, और १९५६ में ३,०८७। बरगलरीज १९५५ में ५०० और १९५६ में १९,४२०। क्या इसकी वजह यह है कि अब ठीक तरह से रिपोर्ट लिखी जाने लगी है? तो क्या मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री

[श्री जगवीर सिंह]

जी से मालूम कर सकता हूं कि पहले ऐसे आदेश थे कि गलत रिपोर्ट लिखी जायं और १९५६ में ही ठीक लिखी जाने लगीं ? मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि आज क्राइम की सिचुएशन बड़ी नाजुक है । पुलिस का कर्त्तव्य कोअर्शन और फ्राड और वायलेंस को रोका है । जिन चीजों को रोकने के लिए पुलिस रखी जाती है देखने में यह आता है कि पुलिस स्वयं इन चीजों का उपयोग करती है । रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो फिर किस तरीके से हमारा काम चल सकता है ? पुलिस के थाने पर आज गांव वाला हर आदमी जाने से घबराता है । पुलिस जब गांव में जाती है तो ऐसा खयाल होना चाहिए कि एक हमदर्द आ गया है, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही गांव वाले समझते हैं कि कौन लुटेरा हमारे बीच में आ गया है । पुलिस के कर्त्तव्य भी कई किस्म के होते हैं--प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रोटेक्शन । मैं कुछ क्राइम के डिटेक्शन के बारे में आप से कहूंगा । आज हम देखते हैं कि जितने चालान पुलिस करती है और उनकी फीगर्स देखी जायं तो उसमें से केवल २५ फीसदी को सजा मिलती है । इसके माने श्रीमन्, यही हो जाते हैं कि ७५ फीसदी चालान पुलिस के छूट जाते हैं या तो पुलिस गलत चालान करती है, और अगर ठीक करती है तो बहुत से बदमाश बच जाते हैं इन ७५ फीसदी में से । मैं तो इसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से पुलिस के ऊपर ही रखूंगा ।

श्रीमन्, यहां इंग्लैन्ड की पुलिस का भी जिक्र किया गया । वहां की तो एक कहावत है कि "इनविजिबिल हैण्ड आफ दि पुलिस ओवर दि हेड आफ दि क्रिमिनल" । वहां से हमारी पुलिस का क्या मुकाबला हो सकता है ? वहां चोर ने चोरी की और फौरन वह पकड़ लिया जाता है, मालूम होता है जैसे पहले से ही सी० आई० डी० उसके पीछे लगी हुई थी । हमारे यहां का डिटेक्शन का तरीका इतना डिफेक्टिव है जिसका अन्दाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता ।

श्रीमन्, कम्प्लेंट्स आफिसर की बात भी कही गयी कि हमने तो करप्शन को रोकने के लिए कम्प्लेंट्स आफिसर रख दिये हैं । श्रीमन्, शुरू शुरू में तो ऐसी भावना लोगों के दरमियान पैदा हुई थी कि मौजूदा कम्प्लेंट्स आफिसर के आने से करप्शन में कमी हुई, लेकिन देखने में क्या आया कि वह चीज मुश्किल से दो तीन महीने ठहर पायी । उसकी वजह क्या है ? मैं आप को बतलाऊं कि डी०वाई० एस० पी० कम्प्लेंट्स करप्शन तो नहीं कहूंगा---जो है वह डायरेक्ट कंट्रोल में है, बिलकुल नीचे है एस० पी० के, तो वह किस तरीके से पुलिस के विरुद्ध काम कर सकता है और करप्शन को रोक सकता है ? मैं नहीं कह सकता कि यह तरीका कहां तक उचित है । वह तो एक इन्डिपेंडेंट आदमी होना चाहिए, पुलिस में से भी नहीं । उस जगह उन लोगों को रखा गया है जिन पर करप्शन करने के आरोप लगे हैं और खुद करप्शन किया है ।

श्रीमन्, क्या आप आशा करते हैं कि जिन्होंने हर तरीके से जुल्म किये हैं, रिश्वतें ली हैं, वह कम्प्लेंट्स में जाकर ठीक तरह से काम करेंगे ?

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां हम करप्शन की बात करते हैं वहां हम यह भूल जाते हैं कि हमारे सिपाही को वेतन केवल ३० रुपये मिलता है । अब शायद उसके ५ रुपया बढ़ा दिये जायेंगे जैसा कि माननीय मन्त्री ने कहा । जहां तक ईमानदारी की आशा की बात है हमारे सिपाही ईमानदार हों, और पुलिस में करप्शन ही न हो तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे सिपाहियों का वेतन कम से कम १०० रुपये माहवार होना चाहिए ताकि वह ईमानदारी से काम कर सकें । उस घोड़े से कम न हो जो दारोगा जी को अपने घोड़े के लिए ४५ रुपये मिलते हैं और सुपरिन्टेंडेंट को ९० रुपये मिलते हैं । क्या सिपाही ३० रुपये में अपनी और अपने परिवार की गुजर कर सकता है ? इसके साथ ही साथ हमारी सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात करती है । श्रीमन्, अगर वह ऐसा सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी लाना चाहती है कि पुलिस के सिपाही को केवल ३५ रुपये

मिलें और आई ० जी० को लम्बी चौड़ी तनख्वाह मिले तो श्रीमन्, हमें ऐसे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी ऊपर वालों की तनख्वाहों में कटौती करने की कृपा करें। छोटा सिपाही जो दिन रात काम करता है, जिस को हम गार्जियन आफ पीस कहते हैं, उस को रिश्वत की ख्वाहिश न हो अगर उसको उचित वेतन मिले। इस प्रार्थना के बाद मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इन बातों की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री केशव पांडेय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर बोलने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कई दिनों की कसरत के बाद आज आप की कृपा मुझ पर हुई। आज जो पुलिस का अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस अनुदान में कम तनख्वाह वालों की बढ़ती का क्रम रखा है, यह पुलिस विभाग की प्रगति के लिये है। इसके ऊपर सहानुभूति प्रदर्शित करते हुये माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद का बजट प्रस्तुत किया है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से अथवा हमारी ओर से पुलिस की बहुत सी शिकायतें कही जाती हैं। अब की बार सच्चाई के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कबूल किया है कि स्टेट में अपराध बढ़े हैं। किसी ने नहीं कहा कि अपराध नहीं बढ़े हैं। लेकिन आलोचकों की ओर से कोई सुझाव नहीं दिये गये कि किस प्रकार से अपराध कम हों क्योंकि अगर सच्चाई के साथ कहें या इसका अनुसंधान करें तो वह अपना ही हिस्सा पायेंगे। अपराधों के बढ़ जाने के कारण हम लोग भी हो जाया करते हैं। किसी केस को पुलिस चलाती है तो उस को गवाहों के मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। जानबूझ कर आदमी गवाही देने जाय ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर कोई आदमी जरा भी फंसा तो लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यह तो बड़ा साधु आदमी है, पार्टीबाजी का मामला था, इसलिये फंसा दिया गया और कितने ही मामलों में देखते हैं कि किसी अफसर ने अगर किसी के साथ कोई ऐक्शन लिया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक कर दिया जायगा। यह सब बातें अपराध बढ़ाने की नहीं हैं तो और क्या हैं ? हम सब जानते हैं कि अगर बदमाश या भ्रष्टाचारी यह समझ ले कि हमारा कोई रक्षक नहीं है, जमानत नहीं होगी तो वह अपराध करना छोड़ सकता है। लेकिन इस बात की चेष्टा नहीं की जाती है और फौरन् उसकी सहायता की जाती है, मदद की जाती है और सब लोग जुट जाया करते हैं। हमारे क्षेत्र में श्रीमन् कुछ आदमी हैं जो काफ़ी सफ़ेदपोश हैं और बहुत ऊंचे तबके के भी हैं। लेकिन जितने जरायम पेशेवर हमारे देहात के हैं उन सब के वे ठेकेदार हैं और उनकी बड़ी मदद करते हैं, अदालतों में मुकदमा छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं और घर-घर पहुंच कर उनकी पीठ ठोंकते हैं और कहते हैं कि चलो, कोई बात नहीं, सब देख लिया जायगा। अब इससे हम क्या अन्दाजा लगायें।

जहां तक हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि अल्प संख्या की तनख्वाह वालों के नाते ही अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं या उनका स्तर ऊंचा नहीं हो पाता, तो उसी पक्ष के सदस्यों के मुंह से हमने यह भी कहते सुना कि उच्च स्तर के जो कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाहें २ हजार से ३ हजार रुपये तक की हैं वे भी कुछ ठीक ठाक काम नहीं करते। तो आखिर उनकी तनख्वाहें वे कहां तक बढ़ाना चाहते हैं ? उनके कहने के मुताबिक तो छोटी और बड़ी तनख्वाह कोई माने नहीं रखती। वह तो तभी हो सकता है कि जब यहां के तमाम बसने वालों का स्तर ऊंचा उठे तो अपराध घट सकते हैं। लेकिन पार्टीबाजी के आधार पर, पोलिटिकल स्वार्थ के लिये हम उन तमाम छोटी-छोटी बातों को नजरअन्दाज करते हैं जिसके कारण धीरे-धीरे अपराध बढ़ते जाते हैं। अगर हम इसकी कड़ी दृष्टि रखें और वह अपराधी चाहे हमारे घर का हो, या हमारी पार्टी का हो या हमारा वोटर हो, उसको हम किसी प्रकार की मदद न दें तो अपराध कम हो सकते हैं। मैं माननीय उग्रसेन जी से कहूंगा, जो मेरे मित्र हैं और बहुत नजदीक के आदमी हैं, अगर वे हमारी तरफ कष्ट कर के आयेंगे तो मैं उनको दिखलाऊंगा कि हमारे यहां एक खास पार्टी है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें तमाम आदमी भरती किये गये हैं। अगर हमारे

[श्री केशव पांडेय]

यहां के थानेदार या एस० पी० उस के किसी एक सदस्य पर मुकदमा चलाने लगें तो सारा प्रान्त यह समझेगा कि काम बहुत ठीक ढंग से हो रहा है, लेकिन वह होने नहीं पाता और इसलिये कि उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग लगे हुये हैं जो सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे और कहेंगे कि हम तो राजनीतिक विरोधी हैं, हमारे हाथ में हथकड़ियां क्यों डालते हो। अगर हम लोग ऐसे आदमियों को पार्टियों में न लें तो बहुत अच्छा हो लेकिन यह होता नहीं है।

अब एक बात मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीगण ही नहीं, इस सदन के सदस्यगण ही नहीं बल्कि इस प्रान्त के रहने वाले तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाय कि अब जरा कड़ाई करके अपनी रक्षा कीजिये। माना कि बृटिश राज्य में पुलिस इस दृष्टिकोण से रखी गयी थी कि उसका साधन खूब अच्छे ढंग से हिन्दुस्तान भर में चले, लेकिन आज हम इस बात का प्रचार क्यों नहीं करते कि आज हमारे सारे सरकारी कर्मचारी राज्य की सेवा करने के हेतु हैं। कभी तो विरोधी पक्ष की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार सोशलिस्टों को अपना राज्य कायम रखने के लिये पकड़ती है। मेरी समझ में तो अब तक यह आया कि असल में पोलिटिकल स्वार्थ हल करने को कोशिश की जाती है क्योंकि ऐसा करने में आसानी से नेतागीरी मिल जाती है।

मैं माननीय पुलिस मंत्री ने जो अनुदान को उपस्थित करके पुलिस विभाग में कुछ प्रगति का संकेत किया है उसके लिये उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे आई० जी०, डी० आई० जी० या और भी जो उनके समकक्ष अफसर हैं उनको चाहिये कि वे एक सेवक की हैसियत से बिला सूचित किये हुये देहातों की ओर जाया करें और वहां देखें और समझें कि जो लोग वहां पर हैं वह क्या करते हैं और देहातों में क्या होता है, तो इससे बहुत से मसले हल होंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गांवों में जो चौकीदार रखे गये हैं उसकी उपयोगिता में पुलिस के महकमे के लायक नहीं समझता क्योंकि यह देखने में आता है कि अगर थाने पर नालायक किस्म का थानेदार पहुंचता है और उसी किस्म का सिपाही भी मिल गया तो वह चौकीदार बिलकुल इसी किस्म का काम कराता है कि बदमाशों का सारा समाज जुड़वावे, चोरी करवावे, हिस्सा बटावे, मन करे तो मुकदमा चलावे और न मन करे तो फाइनल लगवा दे कि सारा केस ही गलत है। इस तरह की चीज वहां पर है। तो मैं समझता हूं कि चौकीदार का यह काम खत्म करके उसको गांव सभाओं के सुपुर्द कर दिया जाय। वह उसको चिट्ठी पत्री को पहुंचावे, उसकी सूचनाओं के लिये डुग्गियां पीटे और दूसरे काम उसके करे तो मैं समझता हूं कि यह चीज पुलिस के महकमे के लिये सहायक होगी।

इसके अलावा जो रक्षा समितियां बनी थीं अगर उनको आप प्रोत्साहित करें उनसे मिलें तो नीचे के अफसरान जो गड़बड़ियां करते हैं उनको भी भय होगा कि हमारे ऊपर के अधिकारी सीधे जनता से सम्पर्क कायम करके असली हालत को जान लेंगे। इससे उनको डर रहेगा और व्यावहारिक रूप से काम चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी—उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख जो पुलिस विभाग के लिये ९,२४,७८,९०० रुपयों की ग्रांट पेश की गई है उसमें हमारे दल के नेता माननीय पालीवाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे देश में आज पुलिस के ऊपर खर्च इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि आज से १० वर्ष पूर्व सन् १९४७ में हमारे प्रदेश का जो बजट था वह ४,०६,७५,२०० सौ रुपये था, वह

बजट आज बढ़कर इतना हो गया है कि उसमें ५,१८,०३,७०० रुपये की बृद्धि हो गई है । इसका मतलब यह हुआ कि सन् ४७ के मुकाबले में सन् ५७ का पुलिस बजट १२७ १/२ प्रतिशत अधिक है । लेकिन आज जहां पुलिस के ऊपर इतना खर्च किया जा रहा है और जहां हमारे सामने बैठे हुये कांग्रेसी भाई पुलिस की तारीफों के इतने पुल बांध रहे हैं वहां मैं सिर्फ एक बात बतलाना चाहता हूं। आज से एक हफ्ता पूर्व उन्नाव की घटना के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था तो उस समय हमारे गृह मंत्री, जिन्होंने आज इस अनुदान को पेश किया है, उन्होंने स्वयं उस उन्नाव की घटना के बारे में यह कहा था कि उस उन्नाव की घटना पर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । एक हफ्ता पूर्व की घटना को भी, जिसमें पुलिस के कारनामों का भंडा फोड़ किया गया था क्या आज हम सब भूल गये । एक ओर तो जहां गृह मंत्री महोदय आज स्वयं अपना सिर पुलिस के कारनामों की वजह से झुका हुआ समझते हैं वहीं पर यह कहा जाता है कि विपक्षी लोगों को तो आलोचना करने की आदत है लेकिन क्या गृह मंत्री को भी पुलिस की आलोचना करने की आदत पड़ गई है ?

अभी डकैतों को पकड़ने के सम्बन्ध में पुलिस की बात कही गई है । क्या आप मानसिंह का नाम भूल गये ? क्या आपने लाखन का नाम अखबारों में नहीं पढ़ा है ? क्या आपने रूपा, पुतली और चरणा का नाम नहीं सुना है ? मैं आगरा जिले से आ रहा हूं। गत दो यूरोपीय महायुद्धों में जितना समय लगा था उससे दूने से भी अधिक समय हमारी पुलिस को मान-सिंह को पकड़ने में लगा, परन्तु फिर भी वह मानसिंह को नहीं पकड़ सकी । जिस मानसिंह को पकड़ने के लिये हमारी पुलिस ने करोड़ों रुपये व्यय किये आखिर में वह मानसिंह गतवर्ष मारा गया और वह भी यहां नहीं, मध्य प्रदेश में । लाखन, रूपा और पुतली द्वारा बर्बर कांड हो रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस इतने वर्षों के बाद भी रूपा, लाखन और पुतली आदि को पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ है । छोड़िये डाकुओं की बात को । मैं छलियों की बात बताऊं । आपने नटवरलाल नाम के छलिये का नाम सुना होगा । वह यहां की पुलिस के द्वारा जेल से भगा दिया गया । आज पुलिस के ऊपर यह एक कलंक है कि उसने उस छलिये को, जिस के ऊपर हजारों रुपये का इनाम था, अछूता भाग जाने दिया ।

क्या आपने पिछले सदन के माननीय सदस्य श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी और श्रीमती विद्यावती राठौर की वह अपील पढ़ी थी कि जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बाह में पुलिस ने बड़े बर्बर काम किये हैं और हमारी माताओं और बहनों की इज्जतें तक लूटी हैं। उस वक्त डी० आई० जी० पुलिस ने कहा था कि चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिये वोट पाने के लिये यह झूठा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन आप देखिये कि वह लांछन विरोधियों पर नहीं वरन् कांग्रेस के सदस्यों पर ही लगाया गया था। उसके बाद भी घटना की सत्यता का पता चलाने, पत्रकारों का एक दल बाह में गया और उन्होंने जांच करने के बाद बयान निकाला कि पुलिस के अत्याचारों की घटना सत्य है। महिलाओं का डेपुटेशन गया और उस ने भी बयान निकाला कि पुलिस के अत्याचारों व महिलाओं की बेइज्जती की घटना सत्य है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने उस कांड पर पर्दा डाल दिया ।

अभी-अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि पुलिस को गवाह नहीं मिलते। मैं कहना चाहता हूं अगर सच्चे गवाह नहीं मिलते है तो क्या हुआ पुलिस को टैक्सी गवाहों की कमी नहीं है। जिस तरह से हम लोगों के पास मोटर न होने पर भी टैक्सी (मोटर) किराये पर मिल सकती है उसी तरह पर पुलिस को टैक्सी गवाह मिलते हैं, किराये पर गवाह मिलते हैं। मैं आपको एक बात बतलाऊं। फीरोजाबाद-आगरा जिले में एक व्यक्ति को पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा जाल रचा गया। उसको सजा करायी गयी, परन्तु अपील केस में आगरे के जज ने उसे रिहा करते हुये अपना जो जजमेंट दिया है उसमें लिखा है कि "इट इज ए फाल्स ऐंड कानकाक्टेड केस" । रिहा होने के बाद उसकी ओर से पुलिस

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इंचार्ज पर मानहानि का दावा किया गया और तीन हजार रुपये की डिग्री उस पुलिस इंचार्ज पर हुई है। आगरा के एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री कालीचरण पांडेय, जो नवसंदेश के संपादक थे, समय-समय पर अपने पत्र में पुलिस के कारनामों का भंडाफोड़ करते रहते थे। पुलिस ने जाल रचा कि उनको किसी तरह से फंसाया जाय। एक बार जब वह लखनऊ आ रहे थे तो उनको रास्ते में पकड़ लिया गया और उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने एक व्यक्ति की जेब काटी है। सरकार के सामने जब वह घटना आई तो जांच के बाद उसको यह घटना असत्य मालूम हुई और सरकार ने उन पर कोई भी केस न चलाने का आदेश दिया। डिपार्टमेंट को जहां उस कर्मचारी को सजा देनी चाहिये थी उसकी जगह पुलिस ने श्री पांडेय पर मुकदमा चलाया और हाईकोर्ट के जज ने उनको रिहा करते हुये फैसले में पुलिस के बारे में जो कुछ लिखा है वह किसी से छिपा नहीं है। तो इस तरह से पुलिस, जो भी व्यक्ति अथवा पत्रकार उसके कारनामों का भंडाफोड़ करता है, उसको फंसाने की कोशिश करती है। यह किसी से छिपा नहीं है।

मैं अपने जीवन की एक घटना बताऊं। शिकोहाबाद तहसील में रामनगर एक गांव है। वहां चार वर्ष पहले मैं एक बारात में गया। वहां चरना डाकू लड़की वालों की तरफ से इंतजाम कर रहा था। उसी गांव में पी० ए० सी० की एक चौकी भी थी। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन चरना डाकू मजे से लड़की वालों का काम करता और अपने गिरोह के साथ खाना खाता था। गांव वालों ने हम बारातियों को चरना की जानकारी करायी तो हम बारात वाले घबराने लगे, परन्तु उन लोगों ने हमें अभयदान दिया और कहा कि चरना डाकू यहां पर अभी कुछ नहीं करेगा। पुलिस को भी पता है। हमसे कहा गया कि आप लोग किसी तरह से न डरिये। आखिर जब हम लोग बारात से लौटकर आये तब मैंने जिले के अधिकारियों के समक्ष यह सब बातें रखीं। जब चार दिन बाद यह बारात वहां से वापस आ रही थी तो वहां से आते हुये ज्यों ही हम लोग रास्ते में शिकोहाबाद स्टेशन के चौराहे पर पहुंचे कि हमको पुलिस की लारियां उस गांव की ओर जाती हुई दिखायी दीं कि वह चार दिन बाद डाकुओं को पकड़ने के लिये जा रही है। रामनगर में पी० ए० सी० पुलिस एक बड़ी संख्या में रहती थी, लेकिन एक भी सिपाही ने चरना को पकड़ने के लिये जब तक वह उस गांव में रहा अधिकारियों को इत्तिला नहीं दी। उनके पास वायरलेस था लेकिन वह सब लेकर वैसे ही बैठे रहे। चरना के चले जाने के बाद ही सूचना भेजी गयी। फिर क्या होता है। जब सांप चला गया तो लकीर पीटने से क्या लाभ ? मैं पुलिस का भंडाफोड़ करना चाहता हूं कि पुलिस का डाकुओं के साथ गठबंधन रहता है। अभी कुछ समय पहले मैंने फीरोजाबाद के संबंध में एक सवाल किया था कि तीन साल में वहां पर कितने डाके और चोरियां हुईं। मुझे जो उत्तर दिया गया उसके मुताबिक प्रति वर्ष एक डाका पड़ता है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप जनता से पूछें कि कितने डाके पड़े तो बहुत बड़ी संख्या मालूम होगी। अभी चुनाव के बाद फीरोजाबाद में सिर्फ एक मील के इर्दगिर्द डाकुओं का एक गिरोह बना, जो हर १५ वें दिन बाद डाका डालता था। नगला कोठी, नगला हाजीरा, कनैटा, मोंढ़ा आदि गांवों में उसने डाके डाले। जब उन गांव वालों ने पुलिस से कहा कि हमारी रक्षा करो तो थानेदार साहब ने फरमाया कि हमारे पास पुलिस नहीं है। और यह भी कहा कि अगर वहां पर आपकी हिफाजत नहीं हो सकती है तो आप गांव छोड़कर चले जाइये। एक घटना को एस० पी० और डी० एस० पी० शर्मा से कहा गया। तो उसी दिन रात को एक बजे डी० एस० पी० शर्मा मेरे साथ जांच करने के लिये उस गांव में गये। मैंने और डी० एस० पी० शर्मा ने देखा कि सारे गांव के आदमी एक मकान की छत पर घबराये हुये बैठे हैं, डाकुओं का मुकाबला करने के लिये। इस घटना के बाद इतना जरूर हुआ कि डी० एस० पी० शर्मा ने उक्त थाने के इंचार्ज को आगे

इंक्वायरी करने के लिये नहीं भेजा और सी० आई० पुलिस को उस काम के लिये नियुक्त कर दिया। सी० आई० पुलिस ने १० दिन के अन्दर डाकुओं के पूरे गिरोह को पकड़ लिया; परन्तु जिस सी० आई० ने उन डाकुओं को गिरफ्तार किया उसको अधिकारियों ने यह इनाम दिया कि वहां से उसको ट्रांसफर का आर्डर दे दिया और बाद में उसको सस्पेंड करके फर्रुखाबाद से निकाल दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान के संबंध में जो भाषण आज इस सदन में हुये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार है, खर्चा बढ़ा है, अपराध बढ़े हैं, आज भी रिपोर्ट सही नहीं लिखी जाती हैं, जो रिपोर्ट लिखाने जाते हैं उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता और उनको परेशान किया जाता है। मैं भी मानता हूं कि बहुत हद तक यह सभी बातें सही हैं। कहावत है कि 'बद अच्छा बदनाम बुरा', यह इस विभाग का दुर्भाग्य रहा है कि एक जमाने से यह विभाग बदनाम समझा जाता है और भी बहुत बदनाम है। जैसी कि हमारे एक भाई ने शिकायत की कि पुलिस की जहनियत नहीं बदली है, सो काफी हद तक यह सही है। किसी भी स्वतंत्र देश में और विशेषकर ऐसे देश में जहां समाजवादी व्यवस्था तथा कल्याण-कारी राज्य कायम करना घोषित लक्ष्य हो, वहां की पुलिस का जो स्तर तथा मनोवृत्ति होनी चाहिये, यह दुख तथा दुर्भाग्य की बात है कि, वह स्तर तथा मनोवृत्ति हमारी पुलिस की नहीं है और उस हद तक जहां तक वह बदली जानी चाहिये थी वह नहीं बदली जा सकी है। यह भी सही है कि ब्रिटिश जमाने से पुलिस का राजनीतिक संघर्षों के कारण हम लोगों से संबंध ऐसा रहा जिसके कारण हम में भी एक प्रजुडिस भावना पैदा हो गयी। मैं समझता हूं कि कम से कम अब उस भावना को भी निकाल देना चाहिये।

जहां तक क्राइम बढ़ने की बात है, मैं समझता हूं, यह बात सही है। पर मैं यह भी जानता हूं कि जब समाज में किसी बड़े प्रकार की उथल-पुथल हो तो उस ट्रांजीशनल पीरियड के अन्दर क्राइम्स बढ़ जाते हैं। अन्य देशों का इतिहास भी यह बताता है। हमारे देश से ब्रिटिश सत्ता खत्म हुई। हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के बाद नये सामाजिक कानून बने। जमींदारी प्रथा समाप्त की गयी। इन सब के परिणाम-स्वरूप अगर क्राइम्स की संख्या बढ़ी है तो कम से कम मुझको इससे कोई विशेष परेशानी नहीं है। मेरे एक भाई ने ९ करोड़ २४ लाख के खर्च की बात कही और यह भी कहा कि ४६-४७ में यह खर्चा ४ करोड़ ६६ लाख का था। यह सही है। मैं भी यह चाहता था और चाहता हूं कि अच्छा होता अगर हम पुलिस पर खर्चा नहीं बढ़ाते। मगर आजादी के बाद देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसके कारण शांति-व्यवस्था रखने के लिये पुलिस का खर्च बढ़ा। लेकिन सारे बजट से जो अनुपात पुलिस के खर्चे का ४६-४७ में था उससे इस साल कम ही है। शांति तथा अच्छी व्यवस्था काग्रम रखने का दायित्व पुलिस पर है। आज जब कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति काफी डांवाडोल हो और काश्मीर को लेकर हिन्दुस्तान पर हर समय खतरा हो और इस तरह की वक्त-वक्त पर आवाजें सुनाई देती हों कि अक्तूबर में कोई जिहाद की बात पाकिस्तान की तरफ से होगी, तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश या प्रदेश पुलिस के खर्च में कटौती की बात सोच नहीं सकता है।

मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता कि कहां तफतीश में पुलिस कामयाब हुई और कहां नहीं हुई। अगर उधर से यह कहा जाय कि २०० मामले इनवेस्टीगेट नहीं हुये तो इधर से यह भी कहा जा सकता है कि ३०० इनवेस्टीगेट हुये। मैं मानता हूं कि बहुत से मामले इनवेस्टीगेट नहीं हो पाते हैं और उसमें कुछ जिम्मेदारी जनता की भी है। क्योंकि उसका सहयोग कम मिल पाता है। झारखंडेराय जी ने कहा कि लेबर के तथा अन्य राजनीतिक

[श्री नवल किशोर]

एजीटेशन्स को दबाने के लिये पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है । मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यहां तो उलटी शिकायत है कि हिन्दुस्तान में जितनी विचारों तथा भाषणों की स्वतंत्रता है उतनी बहुत कम देशों में है और यदि कोई विशेष राजनीतिक पार्टी यही तय कर ले कि कानून की सीमा तोड़कर ही चलना है तो शांति व्यवस्था रखने के लिये सरकार को उचित कदम उठाना पड़ता है और उठाना चाहिये भी।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि पुलिस विभाग की भी अपनी कठिनाइयां हैं। जैसा कि एक भाई ने संकेत किया कि हमारे कानून डिफेक्टिव हैं। मेरा भी विश्वास है कि हमारे फौजदारी के केसेज आमतौर से अदालत से छूट जाते हैं। गवाहों के मिलने में आजकल दिक्कत है ही। मुमकिन है कि अब भी, जैसे कुछ भाइयों ने कहा, किराये के गवाह मिल जाते हों। मगर आमतौर से मैं तो यह देखता हूं कि सच्चे मामलों में भी पुलिस को सहयोग नहीं मिलता है और गवाह नहीं मिलते हैं। यह सोचना होगा कि कौन से कदम उठाये जावें जिनसे यह कठिनाई दूर हो। cr. p. c. तथा evidence के कानूनों में तब्दीली होना भी आवश्यक है। यह प्रदेशीय सरकार तो नहीं कर सकती है मगर उसे केंद्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहिये। समय को देखते हुये उक्त कानूनों में तरमीमें होना आवश्यक हैं ।

माननीय गृह मंत्री जी ने सब इन्स्पैक्टरों को वर्दी भत्ते की बात कही और मेडिकल फैसिलिटीज की बात कान्स्टेबिलों और हेड कांस्टेबिलों के परिवारों के लिये कही, तथा होमगार्ड आदि की बात भी कही, सो यह सभी अच्छे कदम हैं और उनके लिये वह हमारी बधाई के पात्र हैं।

एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि यह जो आपने डी० एस० पी० (कम्पलेंट्स) रखे हैं मेरा तो अनुभव यह है कि यह बिलकुल बेकार साबित हुये हैं । मुझे बरेली जिले का अनुभव है और मेरा यह विश्वास है कि विभाग में जितना निकम्मा तबका था और जिसका रेकार्ड सबसे खराब था उसे खासतौर से छांटकर डी०एस० पी० (कम्पलेंट्स) बनाया गया है। बहरहाल मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर आपको कम्पलेंट आफिसर को रखना ही है तो जुडीशियल आफिसर्स की तरह का कोई आफिसर रक्खें। या फिर इसको सी० आई० डी० में दे दिया जाय। यह मंत्री जी के सोचने की बात है कि इसको किस प्रकार से करना है।

जहां तक जहनियत की बात है यह असानी से नहीं बदली जा सकती है। मैं समझता हूं कि जो-जो इनकी ट्रेनिंग होती है, जो हमारे केडेट्स ट्रेनिंग के लिये जाते हैं, उनको वहां किस प्रकार की शिक्षा तथा ट्रेनिंग दी जाय, उनके माइंड को किस प्रकार का फूड दिया जाय जिससे उनमें यह मौलिक परिवर्तन हो सके, यह भी सरकार के सोचने की बात है।

इन तमाम कमियों और खामियों के बाद भी इस विभाग का महत्व तथा इसकी आवश्यकता अपने स्थान पर है और हमारी सभी की यह पूरी कोशिश होनी चाहिये कि हम इन तमाम कमियों को दूर करने और इन लोगों को उचित रूप से ट्रेंड करने में सफल हो सकें। हमें पूरी आशा है कि यदि हमारे गृह मंत्री जी अपना थोड़ा सा माधुर्य, अपनी सौम्यता और सौजन्यता इस विभाग को दे सकें तो इस विभाग का बड़ा कल्याण होगा और इस प्रदेश का भी हित होगा।

श्री बलवान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो बहुत देर से यही देख रहा था कि कम से कम ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से ऐसी बात आये जिससे पुलिस के क्या अत्याचार हैं, उन पर रोशनी पड़े। मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि एक साथी ने यहां तक कह दिया कि आज जितनी फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम आफ थाट है उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। अगर आप आज की हालत को और १९४७ से पहले की हालत को देखें तो आपको मालम होगा कि आज क्राइम्स

और जरायम अंग्रेजों के जमाने से दूने हो गये हैं, दूसरी तरफ उस जमाने से पुलिस के ऊपर जो खर्चा है वह दूने से ज्यादा हो गया है । जहां तक फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का ताल्लुक है, आप देखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एक सत्याग्रह हुआ । चार हजार आदमियों के करीब उसमें गिरफ्तार हुए और आप कहते हैं कि फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है । कैसे? क्या किसी आदमी ने कहीं एक कंकड़ भी फेंका या कहीं बलवा किया ? उनका विचार तो यह था कि देश के अन्दर जो गरीबी है, उस गरीबी की जिम्मेदार यह सरकार है । सरकार जमीन का बटवारा करे, रुपये का बटवारा करे, यह मांग उनकी अवश्य थी । इन्हीं मांगों के करने पर ज्यादती के साथ उन पर कार्यवाही की गयी और उसके बारे में ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया । मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि एक ओर तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पुलिस की स्वामी जनता है, लेकिन फिर उन्होंने बाद को कहा कि पुलिस से उनको निहायत संतोष है । मुझे याद है, गृह मंत्री जी जब लखनऊ में आये थे और यहां की पुलिस ने बर्बरता की नीति अपनायी थी । पुलिस ने एक पार्टी के मूवमेंट को तोड़ने के लिये तीन घंटे तक सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर को घेरे रक्खा और उसके नेताओं को गिरफ्तार किया उसके बाद गृहमंत्री जी ने साफ कहा कि यह पुलिस का काम पागलपन का था । माननीय गृह मंत्री जी ने उस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा । इस वक्त साल १८५७ की शताब्दी मनायी जा रही है ; वहां पर बर्बरता का काम हुआ और एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को पुलिस ने जबरदस्ती घेरे रखा, लेकिन एक शब्द भी उसके लिये उन्होंने नहीं कहा । उन्होंने कहा कि मैं उससे सन्तुष्ट हूं । मैं खुद क्या कहूं ? माननीय गृह मंत्री जी यहां तक कहते हैं कि अंग्रेजी जमाने से क्राइम्स बढ़े हैं और जब खुद माननीय मंत्री जी ऐसा मानते हैं तो क्या मैं उनसे पूछ नहीं सकता कि आखिर वे इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं ? जब वे जुर्म को रोक नहीं सकते हैं और गवर्नमेंट इस बात को मानती है तो फिर गृह मंत्री महोदय आखिरकार असेम्बली में आकर क्यों नहीं कहते हैं कि वे इस चीज को रोकने में असमर्थ रहे हैं इसलिये इस्तीफा देते हैं । लेकिन नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते ।

श्रीमन्, मैं पालीवाल जी का समर्थन कर रहा हूं । कानपुर के अन्दर आज भी करीब २,००० के हमारे सत्याग्रही बन्द हैं और लोगों को घरों में से पकड़-पकड़ कर लाया गया । मैं तो उसका खुद शिकार हूं । श्रीमन्, मैं तो खुद रिक्शे से जा रहा था, एलेक्शन पेटीशन मेरे सामने था, उस सिलसिले में मैंने कहा, कि मैं सत्याग्रह नहीं कर रहा हूं लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, आप सत्याग्रह कर रहे हैं और इस तरह से पुलिस द्वारा एक फर्जी स्पीच मेरे नाम की तैयार की गयी कि मैं भाषण दे रहा था, जब कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा था । तो जब असेम्बली के मेम्बर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है तो सोचने की बात है कि जो घसीटू, मंगरू और आम जनता हैं उसके साथ पुलिस का कैसा व्यवहार होता होगा ।

एक सज्जन ने तो बड़े उत्साह के साथ हिन्दुस्तान के एक बड़े नेता जयप्रकाश जी का नाम लिया और कहा कि उनकी अटैची खो गयी थी जो बड़ी जल्दी मिल गयी । इसी तरह से उन्होंने हिन्दुस्तान के एक बड़े करोड़पति जयपुरिया साहब, जो हमारे कानपुर शहर के हैं उनका नाम लेकर बतलाया कि उनके ८४ हजार के हीरे के जेवरात गायब हो गये थे जिनको पुलिस ने कितनी तत्परता के साथ ढूंढ़ निकाला । श्रीमन्, मैं कहता हूं कि पुलिस श्री जयप्रकाश नारायण, जयपुरिया साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू की चोरी का पता जल्दी लगा सकती है, यह ठीक है लेकिन जो घसीटे, मंगरू आदि जो गांव के गरीब रहने वाले आदमी हैं उनके यहां जब चोरी होती है तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है, इस पर भी कभी आपने गौर किया है ? जब गांव का कोई चौकीदार थाने के कम्पाउन्ड में पहुंचता है तभी थानेदार उसे गाली सुनाता है और कहता है कि कम्बख्त क्या लेकर आया है ? फिर चौकीदार की हिम्मत नहीं होती कि वह आगे बढ़ सके, वह कांपने लगता है । चौकीदार से तो यहां तक पुलिस कहती है कि कोई मामला गड़बड़ तो नहीं है ? अगर कोई राहजनी हो, या डाकेजनी हो तो चौकीदार को गाली देकर कहा जाता है कि उसे चोरी में लिखाओ । आज हजारों लाखों व्यक्तियों की रिपोर्ट थाने में लिखी नहीं जाती, फिर भी कांग्रेस बेंचेज की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस का काम बड़ा अच्छा है । उनको क्या पता, वे अपोजीशन में नहीं हैं, जरा एक महीने के लिये इधर आ जायं फिर हम बतला देंगे कि पुलिस का अत्याचार

[श्री बलवानसिंह]

किस तरह का है और किस तरह का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है और जनता के साथ हो रहा है। यू० पी० में जो कल्याणकारी राज्य की बात कही जाती है और उससे भी बढ़कर राम-राज्य का नाम लिया जाता है, मैं तो यह कहूंगा कि वास्तव में यहां पुलिस राज्य है। गृह मंत्री जी ने खुद माना है कि अंग्रेजी जमाने से क्राइम्स ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ९ करोड़ रुपया आप पास करने के लिये कह रहे हैं, ऐसे आप तो उसे पास कर ही लेंगे क्योंकि आपकी तादाद ज्यादा है, लेकिन जो आम जनता है वह इस बात को अच्छी तरह से समझती है, जो सरकारी आफिसर हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, वे भी उन्हीं के पक्ष की बात करते हैं।

श्रीमन्, माननीय गृह-मंत्री जी ने दो तीन बातें ऐसी कहीं जो इस यू० पी० से विशेष सम्बन्ध रखती हैं। एक तो हिन्दी के ऊपर ही उन्होंने कहा, लेकिन अगर वे इस बात को भी कर देते कि बिना सफीह जो रोजाना लोगों को थाने में बुला लिया जाता है, बिना वारंट के, बिना लिखे हुए पुलिस आफिसर जिस किसी को भी थाने पर बुला लेते हैं, वे न बुलावें तो बड़ा अच्छा होता। अगर मंत्री जी यह कर दें तो यह बहुत बड़ी चीज हो जायगी। लेकिन नहीं, मैं देखता हूं कि पुलिस का रवैया वही है, और पालीवाल जी ने ठीक ही कहा कि पुलिस का ढांचा ऐसा है कि चाहे जितने भी रिश्वतखोरी के केस हों वे सब कांस्टेबिल, थानेदार और इन्स्पेक्टर तक बन्द हो जाते हैं। किसी डी० एस० पी०, एस० पी०, डी० आई० जी०, आई० जी० का नाम नहीं आने पाता। ढांचा क्या हो रहा है? अगर आप देखें सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस जिस थानेदार को चाहता है मन चाहे तरीके से एक ही मिनट में नाम काटकर सेकेन्ड आफीसर बना देता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस कप्तान जिले का डिक्टेटर होता है। अगर कोई दरोगा १५-२० साल से काम कर रहा है और पुलिस कप्तान जरा उससे नाराज हो गये तो फिर उसको ऐसे दरोगा के नीचे काम करना पड़ जाता है जिसकी सर्विस २–३ साल की होती है।

अब जरा गोली कांड के बारे में भी मैं बता दूं। जब हम पी० एस० पी० में थे तो ट्रावनकोर कोचीन में जनता पर गोली चलाई गई। हम लोगों ने उस पर एतराज किया और माननीय त्रिलोकीसिंह जी भी साथ थे। वहां के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रधान मंत्री ने कहा कि जनता उत्तेजना में थी, जनता ने सरकार की फाइलों को फेंका इसलिये मजबूरन हमको गोली चलानी पड़ी। लेकिन नहीं, हमने कहाकि जब तक कोई बलवा न हो, हिन्दुस्तान में, जो देश अहिंसा में विश्वास रखता हो, अगर वहीं गोली चलायी जाती है तो तमाम मानवता के कानूनों की हत्या होती है। लेकिन आज क्या होता है गृह मंत्री जी जानते होंगे कि विश्वविद्यालय की लड़कियों के ऊपर गोली चलायी गयी। आज हर महीने गोली कांड होता रहता है.....

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

२६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे के बाद भी बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मुझे माननीय सदन को एक सूचना देनी है। कल सरकार की तरफ से यह एक प्रस्ताव आयेगा माननीय सदस्य जान लें ताकि उस पर जो उचित कार्यवाही करना हो करें।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (१) के अनुसार विधान सभा की बैठक ५ बजे अपरान्ह तक होती है। परन्तु विधान परिषद् द्वारा पारित हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संगठन) विधेयक, १९५७ को २९ अगस्त, १९५७ से पहले

अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चित करता है कि इस सदन की बैठक २६ अगस्त, १९५७ को ५ बजे अपरान्ह के बाद भी उपरोक्त विधेयक के पारित होने तक होगी ।"

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊः
दिनांक २२ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

अनुवाद अनुभाग

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर।)

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, विलग्राम (हरदोई)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	नवीन कूप	मरम्मत वाले कूप	खड न्जा	स्कूल तथा पंचायतघर	ड्रेन	पुलिया	डिस्पेंसरी
१	इटोली ..	२	—	—	—	—	—	—
२	भोंगतापुर ..	२	—	—	१	—	—	—
३	अलीगढ़ ..	७	१	—		३०० फीट	—	—
४	ककराखेड़ा	३	१	६ फ०	—	१ मी० ४ फ०	—	—
५	कोईलरा ..	४	२	४ फ०	१	८ फ०	—	—
६	दिवाली ..	१	—	६ फ०	—	१ मी० ४ फ०	—	—
७	विरनी ..	—	१	—	—	—	—	—
८	कबीरनपुरवा	१	—	—	—	—	—	—
९	महमूदनगर	१	—	—	—	—	—	—
१०	अतरछावुजुर्ग	२	—	—	—	—	—	—
११	धमईपुरवा	१	—	—	—	—	—	—
१२	जलालपुर	२	—	—	—	—	—	—
१३	बेहटी खुर्द	१	—	१ फ०	—	२ फ०	१	—
१४	असरफनगर	—	१	—	—	—	—	—
१५	दुधेला ..	१	—	—	—	—	—	—
१६	निजामपुर	—	४	६ फ०	—	१ मी० ४ फ०	—	—
१७	विरौरी ..	—	—	२२० गज	—	—	—	—
१८	हथौरा ..	१	१	—	१	—	—	—
१९	वरगावां ..	—	—	—	१	—	१	—
२०	चांदपुर ..	१	१	४ फ०	—	८ फ०	—	—
२१	गजरई ..	—	१	—	—	—	—	—
२२	चचरापुर ..	५	२२०	११० गज	—	२२० गज	—	—
२३	पिंडारी ..	२	—	—	१	—	—	—
२४	परसापुर ..	—	—	१ फ० १० फी०	—	२फ०२०फी०	—	—
२५	सहोरा ..	—		१ फ० १० फीट	१	२फ०२०फी०	—	—
२६	मुरोली ..	—	—	१ फ० १६५ ग०	—	३ फ०	—	—
२७	ढोढपुर ..	४	—	—	—	—	—	—
२८	पसनेर ..	—	—	१ मी०	—	२ मी०	—	—
२९	जरौलीशेरपुर	—	—	३३० गज	—	६६० ग०	—	—
३०	गुरौली ..	१	—	—	—	—	—	—
३१	हैवतपुर ..	—	—	—	१	—	—	—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	नवीन कूप	मरम्मत वाले कूप	खड़न्जा	स्कूल तथा पंचायतघर	ड्रेन	पुलिया	डिस्पेंसरी
३२	कुतलूपुर	—	२	—	—	—	—	—
३३	धोधी ..	२	—	१६५ गज	१	३३० गज	—	—
३४	लालपुरकन्हरी	१	—	—	—	—	—	—
३५	परसोला ..	—	१	—	१	—	—	—
३६	सढियापुर	१	—	—	—	—	—	—
३७	रामपुरमझियारी	१	१	—	—	—	—	—
३८	अजमतनगर	१	—	—	—	—	—	—
३९	जरोलीकलां	१	—	—	—	—	—	—
४०	रेपुरा ..	१	—	—	—	—	—	—
४१	धाधामऊ ..	१	—	—	—	—	—	—
४२	कचना ..	१	—	—	—	—	—	—
४३	कुअरियापुर	१	—	—	—	—	—	—
४४	हुसेपुर ..	१	—	—	—	—	—	—
४५	फतियापुर	५	४		—	—	—	—
४६	होशियारपुर	३	१	—	—	—	—	—
४७	भदेवा ..	६	—	११० गज	—	२२० गज	—	१
४८	मलकनपुरवा	२	—	६६० गज	—	१३२० गज	—	—
४९	सुगवां ..	१	१	—	—	—	—	—
५०	मौना ..	—	२	—	—	—	—	—
५१	सथरा ..	४	—	—	१	—	—	—
५२	सहबुद्दीनपुर	—	—	—	१	—	—	—
५३	पेग ..	३	३	—	—	—	—	—
५४	दहिगवां ..	१	—	—	—	—	—	—
५५	तुन्दवल ..	१	—	—	—	—	—	—
५६	सुरसा ..	५	१	—	—	—	—	—
५७	सरसईया ..	३	—	—	—	—	—	—
५८	उमरापुर	२	—	—	१	—	—	—
५८ए	तुरतीपुर ..	१	—	—	—	—	२	—
५९	खजुरहरा	१	—	—	१	—	—	—
६०	ढोलिया ..	१	—	—	१	—	—	—
६१	उदरानेवलिया	३	—	—	१	—	—	—
६२	जूरा ..	२	—	—	१	—	—	—
६३	मलिहामऊ ..	६	२	—	—	—	—	—
६४	जलवाखेरा	—	—	—	—	—	१	—
		१०४	३१	६ मी० ४ फ० २० फु०	१६	१० मी० २ फ०	५	१

राष्ट्रीय विकास क्षेत्र, सांडी

क्रम-सं०	ग्राम	कूप	पंचायतघर	खरन्जा	बोरिंग
१	चौसार	२	..	..	
२	मलवा	..	..	..	१
३	मानीमऊ	३			
४	घटकना	४	..	..	
५	जल्पीपुर	१	..	..	
६	मगहर	३	..	..	१
७	आदमपुर	३	१	..	१
८	चौधकपुर	१		..	
९	हरिवन्सापुर	१	..	..	
१०	सेतियापुर	१	..	..	
११	उमरौली जैतपुर	१	..	..	
१२	मनसूरपुर	१	..	..	
१३	जिगनी	१	..	..	
१४	श्री मऊ	..	१	..	
१५	उल्लामऊ		१	..	
१६	वम्टापुर	१	..	..	
१७	वधराई	१	..	..	
१८	जजवासी	१	..	..	
१९	अखवेलपुर	३	..	..	
२०	पकरा	१	..	..	
२१	वेठापुर	१	..	..	
२२	कैंखाई	१	..	१	
२३	लमकन	..	..	१	
२४	कछियन पुरवा	..	..	१	
		३१	३	३	३

राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र बावन, हरदोई

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	कुआं	मकान	स्कूल	पंचायतघर	पुल	खरंजा
१	तत्योरा ..	१	..	..	१	१	१
२	ककरहिया ..	१	..	..	..	..	..
३	अमखेरवा ..	३	..	..	..	..	१
४	बावन ..	२	..	..	..	..	..
५	जगदीशपुर ..	१	..	..	१	..	..
६	जटौली ..	१	..	..	..	..	..
७	चिन्तालपुर ..	१	..	..	..	..	..
८	दरवेशूपुर ..	१	..	..	..	..	..
९	गदाईपुर ..	१	..	..	..	..	..
१०	मानपुर ..	२	..	१	..	..	१
११	बेहटागोकुल ..	४	..	..	१	..	१
१२	सकतपुर ..	१	..	..	..	..	..
१३	बोझवां ..	१	..	..	..	..	..
१४	मजाहिद पुर ..	१	..	..	..	..	..
१५	सहजिना ..	१	..	..	..	..	..
१६	मिठारी ..	१	..	..	..	..	..
१७	फल बेहटा ..	१	..	..	..	..	..
१८	ववनापुर ..	२	..	..	१	..	..
१९	बेहटा धारा ..	१	..	..	१	..	..
२०	कोढ़ां ..	१	..	..	..	२	१
२१	ककवाही ..	..	..	..	..	..	१
२२	सराय ..	१	..	..	..	..	..
२३	पाटकुआं ..	१	..	..	..	..	..
२४	सथरा ..	१	..	..	..	..	..
२५	काशीपुर ..	१	..	..	..	..	..
२६	बिलपुरवा ..	१	..	..	..	..	..
२७	हसियापुर ..	१	..	..	..	..	..
२८	कअरापुर ..	२	..	..	..	..	..
२९	जमुनिया पुरवा ..	१	..	..	..	..	..
३०	बन्नई ..	१	..	..	..	..	..
३१	खुमारीपुर ..	१	..	..	..	..	..
३२	मगनपुर ..	१	..	..	..	..	..
३३	गौरैया ..	१	..	..	..	..	..
३४	लानार ..	१	..	..	..	..	..
३५	मत्तीपुर ..	१	..	..	..	..	..
३६	पलिया ..	१	..	..	..	१	१
३७	मझरेता ..	१	..	..	..	..	१
३८	मढिया ..	..	..	..	..	..	..
३९	गदाईपुर ..	..	..	..	..	१	..
	योग ..	४४	..	१	५	५	७(१,७३५ गज)

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

मिर्जापुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दी गई सहायता का विवरण,

	रु०	आ०
१—१३६४ फसली खरीफ की मालगुजारी की स्थगित धनराशि जिसकी छूट करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ..	४,०३,०२१	१३
२—१३६४ फसली खरीफ की मालगुजारी की स्थगित धनराशि ..	२८,१८६	
३—१३६४ फसली रबी की मालगुजारी की स्थगित धनराशि ..	४,८४,१८३	१५
	+ ६६,८२४	४
४—१३६३ फसली की मालगुजारी जिसकी वसूली अब तक स्थगित है ..	४,४८,०४३	

५—दिनांक ३१ मार्च १९५७ को स्थगित की गई मालगुजारी व अन्य सरकारी मांगे

मालगुजारी	सिंचाई कर	तकावी ऐक्ट १२	तकावी ऐक्ट १९
३,२१,२८१–१४	२,१५,४६८–४	१,५४,५१५–८	९६,३६३–११

६—तकावी जो इस वर्ष (जनवरी १९५७ से) वितरित की गई ..	९१,८४० रु०	
७—कुल तकावी जो वितरण की गई (बाढ़ग्रस्त, ओलाग्रस्त क्षेत्र में)	क—विपत्तिकालीन तकावी	४०,०००
	ख—तकावी ऐक्ट १२ ..	३,१७,०००

इसके अतिरिक्त ९०,००० रु० बैल व बीज के लिये तथा २३,००० रु० किसानों को मकान बनाने के लिये और वितरित किया जा रहा है।

८—मोटे गल्ले की दूकानें जहां से चना और जौ सस्ते भाव पर बेंचा गया था ..	११	
९—सस्ते गल्ले की कुल दूकानें जो अभी चल रही हैं	३६	
१०—अहेतुक सहायता ..	४७,५०० तथा ५००० बांटा जा रहा है।	
११—गृह निर्माण के लिये अनुदान ..	२७,५००	
१२—अकृषकों को गृह निर्माणार्थ ऋण	१,१००	
१३—कृषकों को गृह निर्माणार्थ तकावी	१७,०००	
१४—बच्चों के कपड़े ..	१,५००	
१६—प्रधान मंत्री के निजी कोष से सहायता	४,२२४ रु० २आना बांटा जा चुका है तथा २,५०० रु० और प्राप्त हुआ है।	

इसके अतिरिक्त गरीबों को कपड़े बांटे गये तथा लोगों को सरकारी योजनाओं पर काम प्राप्त करने में विशेष सुविधायें दी गईं।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

विवरण-पत्र जिसका उल्लेख श्री नारायणदत्त तिवारी एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के उत्तर में किया गया है

सेन्ट्रल जोनल काउन्सिल की पहली बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

मद	निर्णय
(१) काउन्सिल के उप-अध्यक्ष तथा सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिये पुनरावृत्ति के क्रम(order of rotation) का निर्धारण ।	(१) काउन्सिल के प्रथम वर्ष में इस संस्था के उप-अध्यक्ष तथा सचिव क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव होंगे । द्वितीय वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव उप-अध्यक्ष तथा सचिव होंगे । इसके बाद अगले सालों में यही क्रम रहेगा ।
(२) काउन्सिल के कार्यालय का स्थापन ।	(२) काउन्सिल का कार्यालय इलाहाबाद में होगा ।
३) काउन्सिल की बैठकों के लिये राज्यों के पुनरावृत्ति के क्रम (order of rotation) का निर्धारण ।	(३) काउन्सिल की बैठक क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होगी । दूसरी बैठक मध्य प्रदेश में उस स्थान पर होगी जिसे वहां के मुख्य मंत्री निश्चित करें ।
(४) काउन्सिल की प्रक्रिया-विधि की नियमावली (Rules of Procedure) के आलेख्य पर विचार ।	(४) काउन्सिल की प्रक्रिया-विधि की नियमावली (Rules of Procedure) का आलेख्य स्वीकृत किया गया ।
(५) मैन-पावर प्लानिंग (man-power planning) ।	(५) man-Power planning पर विचार करने तथा उस पर प्रारम्भिक रिपोर्ट देने के लिये एक समिति का निर्माण किया जाय जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री, डेवलपमेन्ट कमिश्नर और रिआर्गेनाइजेशन (इंटीग्रेशन आफिसर्स) हों ।
(६) रिहन्द बांध के लिये भूमि-अध्याप्ति ।	(६) रिहन्द बांध के लिये अर्जित भूमि पर व्यय तथा बेदखल हुये व्यक्तियों को पुनः बसाने पर होने वाले व्यय को उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी । इन व्यक्तियों के व्यवस्थापन के लिए अनुदान की रकम उत्तर प्रदेश में लागू नियमों के अनुसार होगी । माताटीला बांध के सिलसिले में अनुदान से सम्बन्धित नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा ।

नोट:—उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त कुछ और मदें भी काउन्सिल की पहली बैठक की कार्यवाही में शामिल थीं किन्तु उन पर कोई निर्णय नहीं लिये गये । वे अधिकतर दूसरी बैठक के लिये स्थगित कर दी गईं ।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता की सूची

विवरण		रुपया	
१—अहेतुक सहायता	. . . . .	२३,६८,०००	
२—मकानों के पुनः निर्माण हेतु अनुदान	. . . .	११,३०,०००	
३—स्कूल फीस की माफी से हुई हानि की क्षति पूर्ति के लिये	. .	२३,७६,७६५	
४—प्रयोग कार्य	. . . . .	१७,००,०००	
५—सस्ते दामों पर गल्ला बेचने पर हुई हानि	. .	२५,००,०००	लगभग
६—फौजी पुराने कपड़ों के वितरण हेतु	. . . .	२५,०००	
७—कम्बलों के मुफ्त वितरण हेतु	. . . .	६०,०००	
८—चर्खों के वितरण हेतु	. . . . .	१,१३,२५०	
	योग . .	१,०२,७३,०१५	
९—तकावी ऐक्ट १२ के अधीन	. . . .	१,५४,८२,५००	

इसके अतिरिक्त मालगुजारी में ३२,४३,६६७ रु० २ आना की छूट और ५,७५,०७२ रु० १४ आना का स्थगन अब तक स्वीकृत किया जा चुका है तथा लगभग १,१०,००,००० रुपये की मालगुजारी में छूट के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

विधान सभा के चौथे गुरुवार अर्थात् २२ अगस्त, १९५७ के लिये निर्धारित श्री गोविन्द सिंह के प्रश्नोत्तर संख्या ८७ में उल्लिखित तराई-भावर में भूमि वितरण संबन्धी सूची

भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)	व्यक्तियों की संख्या
३० एकड़ तक	१८,३६०
३० से ५० एकड़ तक	५३४
५० से १०० एकड़ तक	३३१
१०० से ५०० एकड़ तक	६९
५०० से १,००० एकड़ तक	४
१,००० से २,००० एकड़ तक	२
२,००० से ३,००० एकड़ तक	—
३,००० से ४,००० एकड़ तक..	—
४,००० से ५,००० एकड़ तक	१
५,००० से अधिक	१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०४ पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला झांसी तहसील ललितपुर व महरौनी में लागू की गई योजनाओं का विवरण :—

क्रम-संख्या	योजनाओं का नाम		पूर्ण की गयी योजनाओं की संख्या	ऐसे कार्यों की संख्या जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण नहीं किये जा सके और कार्यान्वित हो रहे हैं
१	२		३	४
१	पेय जल के कुयें			
	(१) ललितपुर	..	४९	१२३
	(२) महरौनी	..	४६	६०
२	बंधी			
	(१) ललितपुर	..	३३	३६
	(२) महरौनी	..	३७	८
३	स्कूल			
	(१) ललितपुर	..	४	४२
	(२) महरौनी	..	—	४
४	पंचायतघर			
	(१) ललितपुर	..	३	४
	(२) महरौनी	..	—	६
५	सिंचाई के कुयें			
	(१) ललितपुर	..	१	—
	(२) महरौनी	..	—	—
६	बीज गुदाम			
	(१) ललितपुर	..	—	१
	(२) महरौनी	..	—	१
७	सड़कें			
	(१) ललितपुर	..	२	१०
	(२) महरौनी	..	१	२
८	तालाब			
	(१) ललितपुर	..	—	—
	(२) महरौनी	..	—	१

उक्त विवरण के स्तम्भ ४ में उन कार्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूर्ण नहीं किये जा सकें और कार्यान्वित हो रहे हैं।

२--उक्त तालिका में दिये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य निम्नलिखित कार्य भी सम्पन्न किये गये :--

(१) जाखलौन में ३५,००० रु० की लागत से एक हरिजन कालोनी का निर्माण कराकर गरीबी को दूर करने का सफल प्रयास किया गया।

(२) ग्राम सभाओं द्वारा भूमि-हीनों को भूमि प्रदान की गई, ताकि वह खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण भली प्रकार कर सकें।

(३) ६२ बहुमुखी (Multi purposes) सहकारी समितियों का संगठन किया गया और १,२६१ लाख रु० किसानों को कर्ज के रूप में बांटा गया।

(४) उक्त ६२ सहकारी समितियों के अतिरिक्त १३ कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ खोली गईं।

(५) २२ मील ५ फर्लांग लम्बी ललितपुर-महरौनी सड़क का पुनःनिर्माण २ लाख ५१ हजार रु० की लागत पर किया गया।

३--विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य ये हैं :--

(१) गोविन्द सागर का निर्माण
(२) ललितपुर नहर (१६ मील तक) का निर्माण
(३) पाली टैंक का निर्माण
(४) बरहट टैंक का निर्माण
(५) वारपारों का निर्माण
(६) उखनताल का निर्माण
(७) सुनारी ताल का निर्माण
(८) खरखरी बांध का निर्माण
(९) माताटीला बांध (प्रथम चरण) का निर्माण।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०४ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९५७ के ४थे गुरुवार के लिये श्री जंगबहादुर जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर की संलग्न सूची

२० जुलाई, १९५७ को जिला बाराबंकी की विभिन्न तहसीलों में चल रहे मुकदमों की संख्या तथा उनकी अवधि

तहसील का नाम	चालू मुकदमों की संख्या	३ मास या उससे कम अवधि के मुकदमों की संख्या	३ मास से अधिक अवधि के मुकदमों की संख्या
१—नवाबगंज ..	४८५	१७९	३०६
२—रामसनेहीघाट ..	१८९	७८	१११
३—फतेहपुर ..	८	५	३
४—हैदरगढ़ ..	१८४	१२४	६०

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०५ पर)

सूची

	स्थगित कर दी गई (Postponement)	रोक दी गई (Suspension)
खरीफ़ १३६४ फसली		
१—मालगुजारी	१,९६,८३२ रु० ३ नया पैसा	—
२—सिंचाई	२,५२१ रु० ९७ नया पैसा	—
३—ऐक्ट १२ के आधीन तकावी	—	१,०९,२३८ रु० ६४ नया पैसा
४—ऐक्ट १९ के आधीन तकावी	—	१,८९२ रु० १६ नया पैसा
रबी १३६४ फसली		
१—मालगुजारी	—	५,६२,८३० रु० ८६ नया पैसा
२—ऐक्ट १२ के अधीन तकावी	—	१,६५,३४१ रु० १७ नया पैसा
३—ऐक्ट १९ के आधीन तकावी	—	२२,३३६ रु० ८३ नया पैसा

इसके अतिरिक्त २४,९०७ रु० ५९ नया पैसा के कृषि बीज स्टोर के बकाया (Agricultural seed store dues) तथा ४०,२७७ रु० ५६ नया पैसा के सामूहिक बीज स्टोर बकाया (Co-operative seed store dues) की वसूली क्रमशः रोक देने तथा स्थगित करने के कार्य पर कार्यवाही की जा रही है। अब तक १४६ उचित मूल्य पर बेचने वाली गल्ले की दूकानें भी खोली गई हैं।

पी० एस० पू० पी० ए० पी० १११ एल० ए० १९५७—७९८६।